लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
4th LOK SABHA DEBATES

[पहला सत्र
First Session]

Preservation Unit
6-7-92
Fumigated
04-12-87
Parliament Library

(खंड 1 में अंक 1 से 10 तक हैं
Vol. I contains Nos. 1—10)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price: One Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

अंक ५, मंगलवार 21 मार्च 1967/30 फाल्गुन, 1888 (शक)

No. 5, Tuesday March 21, 1967/Phalguna 30, 1888 (Saka)

सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण	Members Sworn	131
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	Oral Answers to Questions	131-148
ता. प्र. संख्या		
S. Q. Nos.		
विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
19. भारत और पाकिस्तान के बीच विमान सेवाएँ	Indo-Pak Air Services	131-132
20. राष्ट्रीय खाद्य बजट	National Food Budget	132-139
21. राज्यों में विकास खण्ड	Development Blocks in States	139-144
22. सूखे की स्थिति	Drought Conditions	144-148
प्रश्नो के लिखित उत्तर	Written Answers to Questions	148-155
तारांकित प्रश्न संख्या		
Starred Questions Nos.		
23. गन्ने का मूल्य	Price of Sugar-cane	148
24. खाद्यान्नों के मूल्य	Prices of Foodgrains	148
25. पश्चिम बंगाल में 'लाल गोला' विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में पाकिस्तानी नागरिकों द्वारा मतदान किया जाना	Casting of Votes by Pakistain Nationals in Lal Gola Assembly Constitutency in West Bengal	149
26. बिहार में रबी की फसल	Rabi Crop in Bihar	149
27. मूलभूत अधिकारों के बारे में उच्चतम न्यायालय का निर्णय	Supreme Court judgemet on Fundamental Rights	149-150
28. विवाह सम्बन्धी कानूनों की समान संहिता	Uniform Code of Marriage Laws	150
29. दिल्ली दुग्ध योजना	Delhi Milk Scheme	150-151
30. जम्मू तथा कश्मीर में नामांकन पत्रों का रद्द किया जाना	Rejection of Nomination Paperns in J & K State	151
31. अन्तर्राज्य परिवहन आयोग	Inter State Transport Commission	151-152
32. खाद्य स्थिति	Food Situation	152

*किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by him.

33 चौथे आम चुनाव	Fourth General Elections	152-153
34. खाद्य स्थिति	Food Situation	153
35. मतदाताओं की सही पहचान	Identity of Voters	135
36. आयातित खाद्यान्नों के मूल्य	Cost of Imported Foodgrains	154
37. खाद्य क्षेत्र	Food Zones	154
38. दिल्ली में राशन के गेहूं और चावल के मूल्य	Price of Rationed Wheat and Rice in Delhi	154-155
39. इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के वर्तमान विमानों के स्थान पर अन्य विमानों की व्यवस्था	Replacement of I.A.C. Aircraft	155
अतारांकित प्रश्न संख्या Unstarred Question Nos.		155-159
16. 1967-68 में उर्वरकों का आयात	Import of Fertilizers in 1967-68	155
17. हल्दिया पत्तन	Haldia Port	156
18. एन्नूर पत्तन, मद्रास	Ennoore Port, Madras	156
19. ट्रैक्टरों का आयात	Import of Tractors	156
20. चौथे आम चुनावों के दौरान मतदान केन्द्रों में शान्ति भंग	Disturbances in Polling Stations during 4th General Elections	157
21. उपचुनाव	Bye-elections	157-158
22. उत्तर प्रदेश और बिहार को अनाज का संभरण	Supply of Foodgrains to U. P. and Bihar	158
प्रश्नों के लिए जाने के बारे में	Re. Coverage of Questions	159
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	159
श्रीमती स्वेतलाना अलेलुइवा का भारत से पश्चिमी देश में चले जाना	Departure of Mrs. Svetlana Allelueva from India to the West	159-163
श्री अटल बिहारी वाजपेयी	Shri Atal Bihari Vajpayee	
श्री मु० क० चागला	Shri M. C. Chagla	
स्थगन प्रस्ताव के बारे में (प्रश्न)	Re. Motion for Adjournment (Query)	163
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	163-167
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव	Motion of Thanks on President's Address	167-206
श्री हनुमन्तैया	Shri Hanumanthaiya	
श्री विश्वनाथ पान्डेय	Shri Vishwa Nath Pandey	
श्री मी० रू० मसानी	Shri M. R. Masani	
श्री मानवेन्द्र शाह	Shri Manavendra Shah	
श्री बलराज मधोक	Shri Bal Raj Madhok	

श्री राम कृष्ण सिन्हा	Shri R. K. Sinha
श्री वी० कृष्ण मूर्ति	Shri V. Krishnamoorthi
श्री एन० डी० तुलसीदास	Shri Tulsidas
श्री ही० ना० मुकर्जी	Shri H. N. Mukerjee
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा	Shrimati Tarkeshwari Sinha
श्री मुहम्मद सैयद पदनाथ	Shri Muhammed Seyed Padanatha
श्री राम सेवक यादव	Shri Ram Sewak Yadav
श्री मणि भाई जाबेर भाई पटेल	Shri Manibhai J. Patel
श्री हुकम चन्द कछवाय	Shri Hukam Chand Kachhavaiya

सभा का कार्य Business of the House 207

लोक-सभा
LOK SABHA

मंगलवार, 21 **मार्च** 1967 / 30 **फाल्गुन**, 1888 (**शक**)
Tuesday, March 21, 1967 / **Phalguna,** 30, 1888 (**Saka**)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. SPEAKER *in the Chair.*]

सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण
MEMBERS SWORN

श्री मु० इस्माइल (मंजेरी) *[अंग्रेजी]

श्री अमयनाथ बोस (आरामबाग) *[बंगला]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

भारत और पाकिस्तान के बीच विमान सेवाएं

*19. **श्री यशपाल सिंह :**

श्री दी० चं० शर्मा :

क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और पाकिस्तान के बीच विमान सेवाएं पुनः चालू करने के बारे में विचार करने हेतु सरकारी अधिकारियों की बैठक बुलाने के सम्बन्ध में पाकिस्तान के प्रस्ताव पर विचर किया जा चुका है;

---

*सदस्य के नाम के आगे दी गई भाषा इस बात की द्योतक है कि सदस्य ने उसी भाषा में शपथ ली थी ।

The language shown against the name of a Member indicates that he took oath in that language.

(ख) यदि हाँ, तो उसका क्या परिणाम रहा है; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिह)

(क), से (ग) : भारत और पाकिस्तान के बीच विमान सेवाएं पुन: चालू करने के प्रश्न पर अभी दोनों देशों के बीच के सम्बन्ध सामान्य स्थिति में लाने के बारे में अन्य दूसरे मामलों के साथ-साथ, राजनयिक माध्यम से बातचीत हो रही है :

Shri Yashpal Singh : Whether any Surity would be taken to the effect that no Pakistani plane, carrying equipment for defence purposes from West Pakistan to East Pakistan flies on Indian territory ?

Dr. Karan Singh : Yes, Please.

Shri Yashpal Singh :—What would be the practical steps to be taken : What would be the guarantee that the plane is or is not carrying equipment for defence purposes ?

डा० कर्ण सिह : यह मामला विचाराधीन है ।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Whether some conditions would also be attached while restorating the air services ? So that the Pakistan may not create any trouble for the passengers.

Dr. Karan Singh :—When there would have been an agreement, it is but natural that some sort of conditions might be placed from both the sides.

Shri Onkar Lal Berva : Who had placed the proposal for restorating this service ? Whether it was India or Pakistan or both. Who would bear the expenses in this regard ?

Dr. Karan Singh : This question was raised under the Tashkent Agreement and both the Countries are discussing it. So far as the expenses are concerned, they will be borne by both the sides.

Shri Onkar Lal Berva : Who was first to place the proposal ? It is correct that the proposal is under Tashkent Agreement. Whether we were the first to place the proposeal or the Pakistan ?

Dr. Karan Singh : Many problems were discussed under The Tashkant Agreement and it was one of them.

Mr. Speaker : Next question.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Mr. Speaker. It has not been cleared that who has placed the proposal first, whether it was India or Pakistan.

+

20. **श्री ही० ना० मुकर्जी :** **डा० कर्णी सिह जी :**
श्री इन्द्रजीत गुप्त : **श्री सी० जर्नादनम :**
श्री सी० सी० देसाई : **श्री पी० सी अबीचन :**

क्या खाद्य और कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य नीति और राष्ट्रीय खाद्य बजट तैयार कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो उनकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) उन्हें क्रियान्वित करने के लिए क्या ठोस कदम उठाये जा रहे हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री० शिन्दे) : (क) से (ग) : वर्तमान खाद्य कमी के संदर्भ में खाद्य नीति अधिक से अधिक अधिप्राप्ति करना और अधिप्राप्ति तथा आयातों से प्राप्त खाद्यान्नों को राशन-व्यवस्था और सरकार के अन्य वितरण प्रणालियों से खाद्यान्न वितरित करना, लाइसेंस देने की प्रणाली से खाद्यान्न व्यापारियों की समाज विरोधी गतिविधियों पर नियन्त्रण रखना, सरकार को खाद्यान्नों की अधिप्राप्ति करने में सहायता देने के लिए क्षेत्रीय सीमाओं के अन्दर देश में खाद्यान्नों के संचलन पर प्रतिबन्ध लगाना, भारी खपत वाले क्षेत्रों को अलग कर खुले बाजार के मूल्यों पर निगरानी रखना, खाद्यान्न के उत्पादकों को उचित मूल्य दिलाना, रही है। आगामी महीने के शुरू में होने वाले मुख्य मन्त्रियों के सम्मेलन के निष्कर्षों की दृष्टि में सरकार खाद्य नीति की फिर से समीक्षा करेगी।

एक राष्ट्रीय खाद्य बजट तैयार किया जा रहा है और मुख्य मन्त्रियों के सम्मेलन के बाद उसे अन्तिम रूप दिया जायेगा।

श्री हो० ना० मुकर्जी : मन्त्री महोदय का विवरण कुछ आडम्बरमय प्रतीत होता है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि बिहार में जो असम्भव स्थिति उत्पन्न हो गई है उसे दूर करने के लिये सरकार कोई अन्तरिम उपाय कर रही है या इसको दूर करने के लिये उसने कोई और कार्यवाही की है ?

श्री शिन्दे : जहां तक माननीय सदस्य का बिहार के सम्बन्ध में प्रश्न है हम यह प्रयत्न कर रहे हैं कि बिहार को अधिक से अधिक मात्रा में अन्न भेजा जाये। चालू महीने में हम बिहार को 1,78,000 टन अन्न भेज रहे हैं। पिछले महीने में भी काफी अधिक मात्रा में अन्न भेजा गया था।

एक माननीय सदस्य : केरल के विषय में क्या स्थिति है ?

श्री शिन्दे : यदि सदस्य राज्यवार पूछेंगे तो मेरे लिये बतलाना बहुत कठिन हो जायेगा।

अध्यक्ष महोदय : उनको इसका उत्तर देने की आवश्यकता नहीं। वे केवल पूछे गये प्रश्न का ही उत्तर दें।

श्री शिन्दे : माननीय श्री हीरेन मुकर्जी सभा के एक बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं। मैं बड़ी नम्रता से कहूँगा कि मुख्य प्रश्न राष्ट्रीय खाद्य बजट से सम्बन्धित है, परन्तु माननीय सदस्य एक विशेष राज्य के बारे में विस्तार से कह रहे हैं।

श्री प्र० के० देव : वह अपना निर्णय नहीं दे सकते।

अध्यक्ष महोदय : मैं पहले उन सदस्यों का नाम पुकारूँगा जिन्होंने प्रश्नों को पूछने की सूचना दी है। दूसरे सदस्य यह सोच रहे होंगे कि उनका भी नाम पुकारा जायेगा। परन्तु उनका नाम नहीं पुकारा जायेगा क्योंकि जिन सदस्यों ने प्रश्न पूछने की सूचना दी है उनका नाम पहले पुकारा जायेगा। कृपया मुझे क्षमा करें। कल भी इसी प्रकार की स्थिति उत्पन्न हुई थी। पहले मैं उन सदस्यों को प्राथमिकता दूँगा जिन्होंने प्रश्न पूछने की सूचना दी है। इसके पश्चात्, प्रश्नों के स्वरूप और आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये मैं दूसरे सदस्यों को अनुमति दे दूँगा, परन्तु,

अभी नहीं, जब तक कि मैं उन सदस्यों की सूची समाप्त न कर लूं, जिन्होंने प्रश्न पूछने की सूचना दी है ।

श्री कृष्ण कुमार चटर्जी : हम अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : हां, परन्तु मुख्य प्रश्न का पहले उत्तर दिया जाना चाहिये ।

श्री ही० न० मुकर्जी : मन्त्री महोदय ने यह कह कर कि हम प्रश्न की सीमा से बाहर जा रहे हैं, हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया । परन्तु वास्तव में प्रश्न राष्ट्रीय खाद्य नीति को क्रियान्वित करने सम्बन्धी था जो कि मेरे विचार में सभा में चर्चा का विषय है ।

चाहे मुख्य मन्त्रियों से खाद्य नीति को अन्तिम रूप देने के लिये कुछ भी चर्चा हुई हो, परन्तु अभी भी खाद्य नीति की समस्या है । मैंने जो पहले प्रश्न पूछा था वह इससे सम्बन्धित था । मेरा दूसरा प्रश्न अब यह होगा कि केरल राज्य में, केन्द्र सरकार की आर्थिक सहायता को रोक देने के कारण जो संकट कालीन स्थिति तथा भयंकर परिणाम उत्पन्न हुए हैं, या पश्चिमी बंगाल में जहां पिछली सरकार ने आर्थिक सहायता को कठिन परिस्थिति में छोड़ दिया था और नई सरकार को इसको (कार्यान्वित करने में कठिनाई हो रही है) सरकार का उनको, दूर करने का क्या इरादा है । क्या मैं यह जान सकता हूँ, कि उनकी विरोधी सरकारों से, जो अब हमारे समक्ष है सहयोग के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, केन्द्रीय सरकार की इस विषय में कोई योजना है ।

खाद्य तथा कृषि मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : विभिन्न राज्यों की सरकारों को कुछ ऐसी चीजें एलाट की गई है जो कि घाटे की है अथवा वहाँ खाद्यान्न सूखे से काफी प्रभावित हुए हैं, ऐसा करते हुये उन राज्यों की आवश्यकताओं, केन्द्र से उपलब्धि तथा आयात को ध्यान में रखा गया है । हम केरल को भी खाद्यान्न प्रति मास भेज रहे हैं । हम बंगाल को भी खाद्यान्न भेजने का प्रयत्न करेंगे, बंगाल के मुख्य मन्त्री तथा खाद्य मन्त्री स्थिति को किस प्रकार से सुलझाया जाये, इस विषय पर चर्चा करने कल दिल्ली आ रहे हैं । हमें केरल के मुख्य मन्त्री से भी संदेश प्राप्त हुये हैं और वह भी स्थिति को आसान बनाने के सम्बन्ध में चर्चा करने दिल्ली आ रहे हैं ।

श्री करणी सिंह : सन 1950 के आरम्भ में प्रधान मन्त्री पंडित नेहरू ने संसद् में कहा था कि अगले साल तक देश अन्न के मामले में आत्म निर्भर हो जायेगा । अब राष्ट्रपति महोदय ने बतलाया है कि हम खाद्य के मामले में 1971 तक आत्म निर्भर हो जायेंगे । मैं यह जानना चाहता हूँ कि खाद्य के मामले में आत्म निर्भरता का लक्ष्य नियत करते समय सरकार ने दस वर्ष में 10 करोड़ की आबादी बढ़ने का भी ध्यान रखा है । और सरकार की कोई दूरदर्शित योजना है जिससे की 1 अरब बढ़ी हुई जनसंख्या की अन्न की मांगों को पूरा किया जा सके ।

श्री जगजीवन राम : इसमें कठिनाई यह है कि जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है । इस समस्या को हमें दो प्रकार से समाधान करना होगा—अधिक अन्न उपजा कर तथा जनसंख्या की वृद्धि को रोककर । हमारी समस्या नित्य की समस्या होगी इसलिये परिवार नियोजन की योजना को बड़े स्तर पर प्रोत्साहन मिलना चाहिये । हमें कृषि उत्पादन, गवेषण, अच्छे बीज खाद्य और सिंचाई को नये ढंग से इन सब योजनाओं में प्रयोग करना चाहिए । देश में जागृति उत्पन्न होनी चाहिये कि हमें जल्द से जल्द इस मामले में आत्म निर्भर होने के लिये खाद्य उत्पादन बढ़ाना चाहिये ।

Shri Kanwar Lal Gupta : Hon. Minister is requested to please reply the question in Hindi.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya. This is an established convention of the House, and the former Speaker has also given a ruling in this regard that a Hindi question should be answered in Hindi and Vice Versa.

अध्यक्ष महोदय : ऐसी कोई परम्परा नहीं है। सब मन्त्री हिन्दी नहीं जानते। सभा में अनुवाद का भी प्रबन्ध है।

श्री शिन्दे : इस मामले को श्री वेंकटापय्या की अध्यक्षता में खाद्य नीति समिति को सौंपा गया था और उसने सिफारिश की है कि अब चल रही स्टेट-जोन व्यवस्था को जारी रखना चाहिये। इसकी चर्चा फिर मुख्य मन्त्रियों के सम्मेलन में भी हुई थी और वे भी इसी नतीजे पर पहुँचे कि स्टेट जोन व्यवस्था को जारी रखना चाहिये।

यह सब मामले विचाराधीन हैं। अगले महीने के शुरू में मुख्य मन्त्रियों का सम्मेलन हो रहा हैं और मामले पर उनकी मंत्रणा से पुनः विचार किया जायेगा और इस विषय पर फिर आगे निर्णय किया जायेगा।

Shri Bibhuti Mishra : The Hon. Minister has said just now that the government would adopt the procurement policy. I have been hearing this very thing for the last fifteen years. The procurement poliicy of the government is this that if something costs twenty rupees in the market, it pays only ten for it. The prices of the commodities daily used by the farmers are going to be continuingly increased, but the government is not taking any step to bring them down. I want to know whether the government propose to make such a national budget under whic h the farmers might get the commodities of his daily use at chead rates, as the government purchases grains from them.

In Bihar Leavy order had been imposed under which the grain was purchased from the farmers at low rates. There was a great deal of dissatisfaction among the farmers due to that and some of our colleauges have been defeated in the elections as a result of it. I want to know whether the government is considering to review it again.

Shri Jagjivan Ram : Hon. Member has put a very appropriate question. Agricultural Commodities should be paid reasonably and I admit that the rates of agricultuarl production should be determined after taking into consideration the expenses incurred on production. The rates determined should be such that the farmers may have the belief that they are gaining something in addition to their Cost. This is the policy I intend to adopt. It is most important that the farmer should be provided with all essentials of his life wthin his means. So far as the question of leavy is concerned it depends on what arrangement the states make to obtain the foodgrains. It is within their means.

अध्यक्ष महोदय : मुझे ज्ञात हुआ है कि श्री तिवारी का नाम भी प्रश्नकर्ताओं की सूची में था, परन्तु वह रह गया प्रतीत होता है। वह अपना प्रश्न पूछ सकते हैं।

Shri K. N. Tiwari : Hon. Minister has just told that the rates of agricultural production would be determined after taking into consideration the expenses incurred on its production and the farmers would be paid accordingly. The same practice has been followed by the last food ministers also. I want to know where the matter stands now and the question of expenses incurred on different crops and the rate at which the farmers to be paid would be decided. So long as it is not determined whether farmers would or would not be permitted to sell in open market competition.

श्री शिन्दे : मैं माननीय सदस्य के विचार से सहमत हूँ कि कृषि से उत्पादित पदार्थों का मूल्य उत्पादन में जो खर्चा होता है उसका हिसाब करके निर्धारित करना चाहिए। जैसा कि उन्हें विदित है कि उत्पादन खर्च का पता करना एक लम्बा कार्य है।

हाल में ही हमने कृषि-मूल्य आयोग के अध्यक्ष की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की है जो विभिन्न उत्पादित पदार्थों के उत्पादन में जो खर्चा होता है उसका पता लगायेगी। इस काम में समय लगेगा, परन्तु सरकार की सदैव से ही यह नीति रही है कि किसानों को अधिक से अधिक लाभकारी मूल्य मिले। भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जो मूल्यों की घोषणा की जाती है, वह कृषि मूल्य आयोग की मन्त्रणा पर किये जाते हैं, जो कि इस मामले में विस्तार से पता लगाता है। मैं यह मानता हूँ कि अभी तक सन्तोषजनक प्रबन्ध नहीं किया गया है। हमारा यही ही प्रयास रहेगा कि व्यवस्था सन्तोष जनक चलती रहे। ताकि आगे चलकर उद्योग तथा कृषि की वस्तुओं के मूल्यों में समानता स्थापित हो सके।

श्री उमानाथ : एक खाद्य विभाग के दस्तावेज से मुझे यह ज्ञात हुआ है कि राष्ट्रीय खाद्य बजट के प्रश्न को लेकर एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की गई है, परन्तु उसका प्रयास खाद्य बजट को व्यवस्थित करने का न होकर आयात का प्रोग्राम बनाने का रहा है। खाद्य बजट को तैयार करने के लिये यह आवश्यक है कि खाद्य के सब संसाधन सरकार के हाथ में हों। क्या मैं यह जान सकता हूँ कि खाद्य निगम की असफलता के पश्चात् वे कौन से मुख्य साधन हैं जिनके आधार पर राष्ट्रीय खाद्य बजट तैयार किया जा रहा है ? क्या मैं यह जान सकता हूँ कि राज्य के व्यापार में खुदरा खाद्यान्न भी एक मद है जिसके आधार पर राष्ट्र खाद्य बजट तैयार किया जाता है।

श्री शिन्दे : खाद्य बजट देश में होने वाली खाद्य की उपलब्धता तथा बाहर से सम्भावित आयात के आधार पर तैयार किया जाता है। परन्तु खाद्य बजट को तैयार करने में कई बातों को दृष्टिगत रखना पड़ता है। माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये मैं बता देना चाहता हूँ कि उनमें से कुछ इस प्रकार है :—

(एक) राज्यवार आधार पर वास्तविक उपभोग के विश्वस्त प्राक्कलन उपलब्ध नहीं हैं।

(दो) गैर सरकारी स्तर पर विभिन्न राज्यों से सड़क द्वारा वहन के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(तीन) प्रति वर्ष विभिन्न राज्यों में प्रति व्यक्ति उपभोग में जो अन्तर पड़ता है या प्रति व्यक्ति आप के स्तर में परिवर्तन आने से जो अन्तर पड़ता है उसके सम्बन्ध में विश्वस्त जानकारी उपलब्ध नहीं हैं।

(चार) विभिन्न राज्यों में प्रति व्यक्ति अनाज के उपभोग में जो अन्तर है वह इस बात पर निर्भर करता है कि विभिन्न लोगों में आलू, टैपियोका आदि खाद्य पदार्थों का किस मात्रा में उपयोग किया जाता है।

(पांच) खाद्य बजट के तैयार करने के लिए उत्पादन के विश्वस्त प्राक्कलनों का समय पर मिल जाना बहुत जरूरी है। एक विशेषज्ञ समिति ने, जिसके साथ खाद्य सचिव, कृषि सचिव, योजना आयोग के सचिव और कुछ अन्य प्रमुख व्यक्तियों का सम्बन्ध रहा है, एक अस्थायी बजट तैयार किया है। मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में उस पर चर्चा की जायेगी। इसके बारे में मुख्य मंत्रियों को विश्वास में लिया जायेगा। आखिर, राज्य सरकारों के सहयोग से ही इसका निपटारा किया जा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति, यहाँ तक कि केरल के मुख्य मन्त्री भी अपनी बात कह सकेंगे। हम मुख्य मन्त्रियों की सलाह

से फायदा उठायेंगे और उसके आधार पर संभव है किसी संतोषजनक व्यवस्था का पता लग जाये ।

श्री उमानाथ : श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । मेरे प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर नहीं दिया गया है, क्या थोक स्तर पर राज्य व्यापार का किया जाना भी राष्ट्रीय खाद्य बजट के आधारों में से एक होगा ।

श्री शिन्दे : मैं समझता हूँ कि इस सम्बन्ध में भारत सरकार की नीति बहुत स्पष्ट है । भारत का खाद्य निगम सरकारी क्षेत्र का निकाय है ।

श्री उमानाथ : यह असफल रहा है ।

श्री शिन्दे : मैं यह मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि यह असफल रहा है । यदि राज्य सरकारें सहयोग दें और उनसे हमें आवश्यक सहयोग मिल रहा है, तो मुझे विश्वास है काफी प्रगति की जा सकती है । पहले ही भारत के खाद्य निगम ने काफी प्रगति की है । मैं यह मानता हूँ कि इसके मार्ग में कठिनाइयां हैं । परन्तु जहां तक नीति का सम्बन्ध है । हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि भारत का खाद्य निगम खाद्य व्यापार में एक महत्वपूर्ण कार्य करने की स्थिति में हो ।

श्री नाथ पाई : प्रश्न संख्या 20,32 और 34 लगभग एक जैसे हैं और इनको एक साथ लिया जा सकता था । मुझे खेद है कि माननीय मन्त्री इस बात की प्रतीक्षा करते हैं कि इनको एक साथ लेने के लिये हम आप से प्रार्थना करें । मैं आशा करता हूँ कि भविष्य में यह आवश्यक न होगा और एक जैसे प्रश्नों को एक साथ ही ले लिया जायेगा ।

श्री जगजीवन राम : मंत्रालय प्रश्नों को इकट्ठा क्यों करे ?

Shri Nath Pai : It pertains to your Ministry. Please read it.

अध्यक्ष महोदय : श्री हीरेन मुकर्जी के मुख्य प्रश्न का सम्बन्ध राष्ट्रीय खाद्य बजट के तैयार किये जाने से है और ऐसे बजट के तैयार किये जाने के लिये यह जरूरी है कि उपलब्ध अनाज का उचित और न्यायिक वितरण हो और उसे ऐसे मूल्यों पर बेचा जाये कि विभिन्न राज्यों के मूल्यों में बड़ा अन्तर न हो । मैं नहीं जानता कि हम इससे कितनी दूर हैं । माननीय राज्य-मन्त्री ने एक अस्पष्ट सा वायदा किया है कि हम विचार कर रहे हैं । क्या सरकार इसको करेगी या क्या सरकार यह चाहेगी कि अन्य लोग इसके लिये तेजी से कार्यवाही करें जैसा कि श्री गोपालन ने मद्रास में एक वक्तव्य में कहा—मैं पढ़ देता हूँ—

"यदि भारत सरकार केरल राज्य की सहायता नहीं करती तो केरल राज्य..... **(व्यवधान)** ।"

इसका अर्थ है कि यदि राष्ट्रीय खाद्य बजट तैयार नहीं किया जाता, यदि खाद्य की कीमतों को स्थिर नहीं किया जाता तो केरल सरकार को रबड़ के बागानों आदि का राष्ट्रीकरण करना पड़ेगा । क्या भारत सरकार इस बारे में समय पर कार्यवाही करने जा रही है ।

श्री जगजीवन राम : मैं नहीं जानता कि रबड़ के बागानों के राष्ट्रीकरण का इस प्रश्न से क्या सम्बन्ध है ।

अध्यक्ष महोदय : आपको इसका उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है । आप प्रश्न के केवल दूसरे भाग का उत्तर दीजिये ।

श्री ई० के० नयनार : हम विदेशी मुद्रा अर्जित करते हैं ।

श्री ज्योति बसु : सरकार रबड़ को बेच कर उसके बदले में अनाज आयात करेगी ।

श्री नाथ पाई : यह बहुत संगत है । यदि सारे देश में अनाज के मूल्य एक नहीं होते तो.....

अध्यक्ष महोदय : रबड़ के बागानों का इस प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है । श्री गोपालन ने ऐसा कह दिया होगा ।

श्री नाथ पाई : मैं श्री मधुलिमये से सहमत हूँ कि शायद यह भाषा की कठिनाई है ।

I have tried to say that nationalization is necessary to bring about uniformity in the prices. These two are interrelated.

Shri Jyotimoy Basu : They will sell rubber and get foodgrains for that.

श्री जगजीवन राम : प्रत्येक राज्य के लिए विदेशी मुद्रा के इस अजीब सुझाव के ब्यौरे में मैं नहीं जाना चाहता । उस सुझाव की जाँच किये बिना ही मैं यह बता देना चाहता हूँ कि एक राष्ट्रीय खाद्य बजट बनाना बहुत आसान नहीं है । वर्तमान खाद्य नीति का पुनर्विलोकन करने और नई नीति बनाने के लिए हमने सभी राज्यों के मुख्य मंत्रियों को बुलाया है ताकि खाद्यान्न के उत्पादन को बढ़ाया जा सके और उसका यथा संभव समान वितरण किया जा सके और संभव है मूल्यों पर भी इसका प्रभाव पड़े । परन्तु मैं नहीं समझता कि सारे देश में समान मूल्य लाना हमारे लिये संभव होगा । विभिन्न राज्यों में खाद्यान्न के मूल्यों के उतार-चढ़ाव को कम करने के लिये राज्य सहायता देंगे और अन्य उपाय भी करेंगे ।

श्री कंड़प्पन : इस वर्ष अनाज के कम उत्पादन को ध्यान में रखते हुए, केरल, मद्रास और बिहार जैसे राज्यों की निम्नतम आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु खाद्यान्न की उपलब्धता बढ़ाने के लिये क्या सरकार ने कोई और उपाय किये हैं ?

श्री शिन्दे : माननीय सदस्य ने ठीक ही कहा है, उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों, बिहार, राजस्थान के कुछ भागों तथा मध्य प्रदेश में सूखा पड़ने के कारण इस वर्ष खाद्य स्थिति वास्तव में कठिन हो गई है । अत: हमें देश में यथासम्भव अत्यधिक मात्रा में अनाज की उपज बढ़ाने के लिये प्रयत्न करना होगा । मुख्य मन्त्रियों की बैठक बुलाने का यही प्रयोजन है । हम यह सुनिश्चित करने के लिये मुख्य मन्त्रियों का सहयोग प्राप्त करना चाहते हैं कि इस समस्या को सुलझाने हेतु प्रत्येक राज्य से अधिकाधिक मात्रा में अनाज प्राप्त किया जा सके ।

श्री दामानी : क्या मुख्य मन्त्रियों की बैठक में रूई, गन्ना, मूंगफली जैसी रोकड़ फसलों तथा ऐसी अन्य फसलों के बारे में विचार किया जायेगा जिनकी कमी है ?

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न राष्ट्रीय खाद्य आयव्ययक के बारे में है । श्री जनारधनन ।

श्री सी० जनारधनन : यह तो एक अच्छी बात है कि खाद्य समस्या के बारे में मुख्य मन्त्रियों से विचार विमर्श किया जा रहा है । परन्तु केरल से प्राप्त हुए समाचारों के अनुसार वहां की स्थिति बहुत गम्भीर हो गई है । अनाज के अभाव में वहां पर सारी राशन-व्यवस्था अस्तव्यस्त होने वाली है । क्या सरकार केरल को अनाज भेजने के लिये कार्यवाही करेगी और राज-सहायता के प्रश्न पर भी पुन: विचार करेगी ?

श्री शिन्दे : हम केरल सरकार की यथासम्भव अत्यधिक सहायता करने का प्रयत्न कर रहे हैं ।

श्री सी० जनारधनन : उन्होंने राज-सहायता के प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है ।

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री जगजीवन राम) : केरल सरकार को अभी हम 70, 000 मीट्रिक टन की दर से चावल दे रहे हैं। वहां पर नौवहन में देरी हो जाने के कारण, हमें किसी एक महीने विशेष में पूरी मात्रा में चावल भेजने में कुछ देर हो गई थी । ऐसी अवस्था में हम ने मद्रास सरकार को पेशगी में चावल देने के लिये कह दिया था । राज-सहायता के प्रश्न पर मुख्य मन्त्री से विचार-विमर्श किया जायेगा जब वह यहां आयेंगे ।

श्रीमती शारदा मुकर्जी : माननीय मन्त्री द्वारा दिये गये उत्तर से मालूम होता है कि अनाज की वसूली करने तथा खंड-पद्धति को जारी रखने के बारे में कोई निर्णय नहीं किया गया है । इस बारे में सरकार की क्या नीति है ।

श्री जगजीवन राम : वसूली समाहार का एक ढंग है । यह मामला हमें राज्य सरकारों पर छोड़ना होगा कि समाहार के लिए वे कौन सा ढंग अपनाती हैं ।

श्री पी० सी० अदीचन : क्या दिसम्बर, 1966 में केरल को चावल का सम्भरण करने में कुछ गड़बड़ हो गई थी जिससे केरल के लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था, यदि हां, तो इसके लिये कौन जिम्मेदार था ?

श्री शिन्दे : हमने पहले ही बता दिया है कि हम केन्द्रीय सरकार के पास चावल की उपलब्ध मात्रा के आधार पर केरल को चावल देने का प्रयत्न कर रहे हैं ।

राज्यों में विकास खन्ड

\+

21. **श्री स० चं० सामन्त** :

श्री एस० के० सम्बन्धन :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भूतपूर्व सामुदायिक विकास मंत्रालय का खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में विलय हो जाने के बाद विभिन्न राज्यों में विकास खण्डों के कार्य-संचालन में सुधार लाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है और उसका क्या परिणाम रहा है;

(ख) क्या विकास खण्ड व्यवस्था देश-भर में अधिक अन्न उपजाओ कार्यक्रम को क्रियान्वित करने में संतोषजनक सिद्ध हुई है अथवा नहीं और क्या इसमें कोई परिवर्तन करने का विचार है; और

(ग) इस विलय के बाद मन्त्रालय में कितनी बचत हुई है ।

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिन्बे) : (क) से (ग) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ?

विवरण

दोनों मंत्रालयों के विलय के पश्चात् सामुदायिक विकास खण्डों के कार्यकरण की ध्यान-पूर्वक समीक्षा की गई । आवश्यक सुधारों के लिए उपाय तैयार किए गए और विभिन्न विशेषज्ञ तथा अन्य दलों के साथ विचार-विमर्श करने के पश्चात् उन्हें अक्टूबर, 1966 में हुए राज्य

विकास आयुक्तों के वार्षिक सम्मेलन और बाद में सामुदायिक विकास तथा पंचायतीराज के प्रभारी राज्य मंत्रियों के सम्मेलन में विचारार्थ रखा गया। इन सम्मेलनों ने उपागम के जिन मुख्य तत्वों का अनुमोदन किया उनमें खण्डों के कार्यात्मक आकार, कर्मचारीवर्ग के प्रतिरूप तथा स्थानीय सम्बद्धता के कार्यक्रमों में कुछ लचीलापन शामिल है; तथपि कृषि तथा परिवार नियोजन जैसे राष्ट्र-व्यापी महत्व के कार्यक्रमों पर प्राथमिक रूप से ध्यान दिया जाता रहेगा। इसी प्रकार कुछेक विशेष कार्यक्रम, जिन्हें खण्ड अभिकरण द्वारा कारगर ढंग से चलाया जा सकता है, पर उचित बल दिया जाएगा। विशेष रूप से जिला स्तर पर उचित रूप से मजबूत की गई पंचायतीराज संस्थाओं को भी कार्यक्रमों के कार्यकरण में पूर्ण रूप से शामिल करना है। राज्य सरकारें इन सिफारिशों पर विचार कर रही हैं। परिणामों को आंकने का अभी समय नहीं हुआ है।

यदि हर रूप से विचार किया जाए तो खण्ड तंत्र ने उपलब्ध साधनों के भीतर कृषि उत्पादन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में अपनी भूमिका काफी अच्छी तरह अदा की है। और अधिक सुधार की कुछ दिशाएँ (क) भाग के उत्तर में दी गई हैं; अन्य उपाय जिनकी परिकल्पना की गई है उनका उद्देश्य विस्तार सेवाओं की कुशलता और जानकारी के स्तरों को उठाना है और जहां आवश्यक हो वहां उनकी संख्या को बढ़ाना है।

मंत्रालयों के विलय के पश्चात् किए गए पुनर्गठन के परिणामस्वरूप सामुदायिक विकास तथा सहकारिता विभागों (भूतपूर्व सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मन्त्रालय) के कर्मचारियों की संख्या तथा अन्य प्रशासनिक व्ययों में कमी की गई, जिसके फलस्वरूप 1966-67 में लगभग 6 लाख रुपये की बचत हुई।

श्री स० चं० सामन्त : क्या यह सच नहीं है कि कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन ने यह भी सिफारिश की थी कि सामुदायिक विकास और सहकार विभाग को खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में मिला दिया जाये; यदि हाँ तो क्या सरकार संगठन की अन्य सिफारिशों को क्रियान्वित कर रही है ?

श्री शिन्दे : खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय अब एक ही है और इन सभी विषयों से इसका सम्बन्ध है। यह प्रश्न सामुदायिक विकास खण्डों से सम्बन्धित है। मैं नहीं समझता कि माननीय सदस्य का किस मूल्यांकन समिति से तात्पर्य है। परन्तु हम सिंचाई सहित सभी विभागों में अधिकतम समन्वय लाने का प्रयत्न कर रहे हैं। सिंचाई सहित सारे विभाग खाद्य तथा कृषि मन्त्री के पूर्ण प्रभार में हैं।

श्री स० चं० सामन्त : हमें बताया गया था कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में 45 आदिम जातीय खंड खोले जाने थे। क्या उस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया गया है और क्या इस कार्य में कोई कठिनाई इसलिये है कि इन खण्डों के लिये सामाजिक सुरक्षा विभाग भी जिम्मेदार होगा और दोनों विभागों में क्या समन्वय होगा ?

श्री शिन्दे : जहाँ तक आदिम जातीय विकास खण्डों का सम्बन्ध है तृतीय योजना के आरम्भ में निर्धारित लक्ष्यों को व्यावाहारिक रूप में प्राप्त कर लिया गया है। सामाजिक सुरक्षा मंत्रालय भी इसकी जाँच करता है। परन्तु जहां तक क्रियान्विति का सम्बन्ध है वह राज्य सरकारों की सहायता से की जाती है।

श्री एस० के० सम्बन्धन : क्या मंत्री महोदय स्पष्ट रूप से यह बता सकते हैं कि क्या सरकार पिछले वर्षों में किये गये अनुसन्धान कार्य से संतुष्ट है और क्या सरकार को विश्वास है कि इन परियोजनाओं पर किये गये व्यय को ध्यान में रखते हुए वर्तमान व्यवस्था सफल रहेगी ?

श्री शिन्दे : हाल ही में स्थिति का पुनर्विलोकन किया गया था । क्षेत्र अधिकारियों ने कार्यवाही में भाग न लिया और सामुदायिक विकास सम्बन्धी नीति को हैदराबाद में कुछ सामाजिक वैज्ञानिकों और सामाजिक विशेषज्ञों के सम्मेलन में भी निर्दिष्ट किया गया था । उसके बाद विकास आयुक्तों के सम्मेलन में भी इस पर चर्चा की गई थी और तत्पश्चात सामुदायिक विकास अधिकारियों के सम्मेलन में भी इस पर चर्चा की गई थी । हम विकास खण्डों के कार्य की त्रुटियों से अवगत हैं और अब इन त्रुटियों को दूर करने के लिये पूरी कोशिश की जा रही है । परन्तु साथ ही यदि हम इसके कार्य को देखें तो वह भी कोई कम नहीं है । इन खण्डों के कार्य के परिणाम स्वरूप कृषि के विकास से सम्बन्धित अनेक बातों में सुधार हुआ है । उदाहारणार्थ, 1952-53 के आरम्भ में, प्रति खण्ड 407 क्विंटल अच्छी किस्म के बीज बांटे गये थे और अब यह मात्रा बढ़कर 1024 क्विंटल हो गई है । उर्वरकों का वितरण 1315 क्विंटल से बढ़कर 5273 क्विंटल हो गया है और कीटनाशी दवाइयों का मामूली से मात्रा से बढ़कर 78 क्विंटल । काफी सुधार हुआ है । हम स्थिति का पुनर्विलोकन करने का निरन्तर प्रयत्न कर रहे हैं । यदि माननीय सदस्य के पास कोई विशिष्ट सुझाव हैं तो वह उनको हमें भेज दें और हम उन सब पर विचार कर लेंगे ।

Shri Prakash Vir Shastri : What are the results of the radical changes brought about by the Madhya Pradesh Government in the Development Blocks during the recent past, for instance the abolition of B. D. O's posts and whether in view of these results Government is considering to bring about radical changes in respect of the Development Blocks of other States ?

श्री शिन्दे : अभी यह बताना कठिन है कि मध्यप्रदेश सरकार द्वारा उठाये गये कदमों के परिणाम क्या होंगे । सामुदायिक विकास मंत्रियों के सम्मेलन में इस विषय पर चर्चा की गई थी और राज्यों के मंत्री इस नतीजे पर पहुँचे, विकास खण्डों में एक समन्वयकर्त्ता का होना आवश्यक है चाहे उसका नाम खण्ड विकास अधिकारी हो या विकास अधिकारी । आखिर हमें यह समझना है कि खण्डों के कृत्य क्या हैं । उनमें विस्तार अधिकारी (सिंचाई), विस्तार अधिकारी (सहयोग), विकास अधिकारी (पशुपालन), विकास अधिकारी (कृषि) आदि होते हैं । इन सब कामों का समन्वय करने के लिये कोई व्यक्ति होना चाहिये । यदि किसी विशिष्ट क्षेत्र में खण्ड का काम संतोषजनक नहीं रहा है, तो इसके अन्य कारण हैं और मैं तो समझता हूँ कि इसका मुख्य कारण यह है कि खण्डों के कार्यों की निगरानी के लिये निर्वाचित निकाय स्थापित नहीं किये गये हैं । सम्मेलन इस निष्कर्ष पर भी पहुँचा कि इसका वास्तविक उपचार यह है कि खण्ड के समस्त कार्यों के प्रचार को निर्वाचित प्रतिनिधियों को दिया जाये । तब कुछ सुधार होगा ।

Shri Vishwanath Pandey : Sir, Part B of the statement says,

"The Block machinery has, by and large, discharged its role fairly well within the resources available in implementing agricultural production programmes."

But what I have noticed is this that the administrative machinery of these Blocks rather impels the "Grow More Food" Campaign. In view of this do Government propose to take constructive steps to change this administrative set up ?

श्री शिन्दे : यह मामला प्रशासनिय सुधार आयोग के विचाराधीन है और मैं समझता हूँ कि इन खण्डों के कार्य में सुधार करने के लिये हमें प्रशासनिक सुधार आयोग से कुछ सिफारिशें मिल जायेंगी।

Shri Ram Sewak Yadav : Is the hon. Minister aware that whatever money is sanctioned to the Development Blocks, major portion of it is spent on building construction, the pay and allowances of the staff and the maintenance of jeeps etc. with the result that very little is left for being spent on developmental works and that too is misappropriated and wasted on paper reports? In view of this do Government contemplate to divert these crore of rupees to some other useful purposes after eliciting public opinion or opinion of the elected representatives ?

श्री शिन्दे : मैं व्यक्तिगत मामलों में नहीं जा सकता। मैं यह नहीं कह सकता कि कहीं भी कोई कमी नहीं रही है, परन्तु मैं दोहराना चाहता हूँ.....

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री को पता होना चाहिये कि यदि उत्तर लम्बा होता है तो इससे अनुपूरक प्रश्नों के लिये समय कम रह जाता है। उत्तर बिल्कुल संगत होना चाहिये।

श्री शिन्दे : जहाँ पर खण्डों के कार्य का निरीक्षण करने के लिये निर्वाचित निकाय नहीं हैं वहाँ पर काम संतोषजनक प्रतीत नहीं होता। प्रशासन पर 33 से 35 प्रतिशत तक खर्च होता है; यह अधिक है या नहीं यह माननीय सदस्य के विचार करने की बात है, परन्तु यह मामला हमारी जानकारी में है और हम इस पर विचार कर रहे हैं कि इस प्रशासनिक व्यय को किस प्रकार घटाया जा सकता है। राशियों का अधिक भाग विकास सम्बन्धी कार्यों पर खर्च किया जाता है और बहुत से राज्यों में विशेषरूप से दक्षिण के राज्यों में विशेष रूप से 90 प्रतिशत तक विकास कार्यों पर खर्च किया जाता है।

Shri Ram Sewak Yadav : The hon. Minister stated that 35 percent of the expenditure is on administration and at the same time he stated that 80 percent of the expenditure is on developmental works. May I know which of the two figures is correct ?

श्री शिन्दे : राज्यवार व्यय बताने वाला विवरण मैं सभापटल पर रखने के लिये तैयार हूँ।

Shri Sarjoo Pandey : Do Government propose to reorganise these Development Blocks in view of the fact that major portion of the grants is spent on unproductive purposes while very little is spent on the productive purposes so that the common man may derive the maximum benefit and the money diverted to irragational and other more useful purposes ?

श्री शिन्दे : मुख्य रूप से सुख सुविधाएँ देने के सम्बन्ध में किये जाने वाले व्यय की आलोचना की गई थी। इसकी जांच की गई थी और सामुदायिक विकास मंत्री इस परिणाम पर पहुँचे कि भविष्य में हमें सुख-सुविधा के पहलू पर जोर नहीं देना चाहिये और स्थानीय लोगों पर ही इसको छोड़ दिया जाना चाहिये। जहां तक केन्द्र और राज्यों से मिलने वाले संसाधनों का सम्बन्ध है उन्हें मुख्य रूप से विकास कार्यों में ही जुटाया जाना चाहिये।

Shri Ram Sewak Yadav : These are not development Blocks but amibilation blocks.

श्री हेम बरुआ : हमारे स्वर्गीय प्रधान मंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने सुझाव दिया था कि सामुदायिक विकास क्षेत्रों से जीपों को हटा लिया जायेगा। परन्तु वापस लेने की बजाय हाल ही

में चुनाव आन्दोलन में एक बड़ी संख्या में जीपों का उन क्षेत्रों में प्रयोग किया गया। क्या सरकार का विचार सामुदायिक विकास क्षत्रों से इन जीपों को हटाने का है क्योंकि कई एक अवसर पर इनका दुरुपयोग होता है ?

श्री शिन्दे : हमने राज्य सरकारों को लिखा हुआ है कि खण्डों की जीपों को चुनाव की अवधि के दौरान वापस ले लिया जाना चाहिये। मुझे पता लगाना पड़ेगा कि चुनाव की अवधि के दौरान वास्तविक स्थिति क्या थी परन्तु अधिकांश राज्यों ने हमारे सुझाव को मान लिया है और मैं समझता हूँ कि उन्होंने सुझाव को क्रियान्वित कर लिया है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आप केवल संघ राज्य क्षेत्रों के सम्बन्ध में ही उत्तर दे सकते हैं।

श्री नाथ पाई : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। प्रक्रिया के नियमों में यह दिया गया है कि जब कोई प्रश्न स्पष्ट और सीधा हो तो उसका उत्तर भी समान रूप से सकारात्मक और स्पष्ट होना चाहिये। श्री हेम बरुआ का प्रश्न यह था कि क्या स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री द्वारा इस सभा में दिये गये इस आश्वासन को, कि दो महीने के भीतर ही जीपों को हटा लिया जायेगा और जिस आश्वासन का इस सभा के सभी दलों ने बहुत स्वागत किया था, क्रियान्वित कर लिया गया है। यदि यह कहा जाये कि मैं इसका पता लगाऊँगा तो यह कोई उत्तर नहीं है क्योंकि शास्त्री जी को स्वर्ग सिधारे आज 14 महीनों से भी अधिक समय बीत गया है। आश्वासन उनके जीवन काल में दिया गया था। हम जानना चाहते हैं कि क्या उन जीपों को वापस ले लिया गया है। "मैं पता लगाऊँगा"। अब तक क्या किया गया है ?

अध्यक्ष महोदय : इसमें व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है।

श्री नाथ पाई : यदि उत्तर स्पष्ट नहीं है तो क्या यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ?

अध्यक्ष महोदय : यह सच है कि श्री लाल बहादुर शास्त्री ने ऐसा कहा था। तत्पश्चात्, वह एक या दो मास ही नहीं अपितु काफी अधिक समय तक जीवित रहे। यह प्रश्न पिछली लोक सभा में भी पूछा गया था और उत्तर दे दिया गया था.....

श्री नाथ पाई : आप तब मंत्री थे।

अध्यक्ष महोदय : इसमें व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है। यदि माननीय मंत्री के पास कोई जानकारी नहीं है तो वह उसको प्राप्त कर लेंगे।

श्री नाथ पाई : उत्तर टालमटोल वाला था। यह मेरा आरोप है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने माननीय मंत्री से स्पष्ट उत्तर देने के लिये कह दिया है।

श्री वें० वेंकटा सुब्बय्या : माननीय मत्री ने कहा कि सामुदायिक विकास खण्डों पर होने वाला प्रशासनिक व्यय एक राज्य में दूसरे राज्य से भिन्न है। इस सम्बन्ध में मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या ग्रामसेवक को, जो कि सारे प्रशासनिक ढांचे में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है कागजी काम से लाद रखा है जिसके परिणामस्वरूप वह उपयोगी सिद्ध होने के बजाय एक दायित्व बन कर रह गया है और खाद्य उत्पादन और अन्य लघु सिंचाई पारयाजनाओ की प्रगति में बाधक सिद्ध हो रहा है और यदि हां, तो क्या सरकार सारे प्रशासनिक ढाचे का पुनर्गठन करने जा रही है ताकि यह कृषि उत्पादन कार्यक्रमो की क्रियान्विति में जनता के लिये आधक उपयोगी हो सके।

श्री शिन्दे : मैं माननीय सदस्य द्वारा दिये गये सुझाव का स्वागत करता हूँ।

श्री ज्योतिमय बसु : कृपया मुझे एक प्रश्न पूछने का अवसर दीजिये ।

अध्यक्ष महोदय : जब कई सदस्य उठते हैं तो मेरे लिए उन सबको बुलाना कठिन होता है । ऐसी स्थिति में मैं केवल कुछ सदस्य इस ओर से और कुछ उस ओर से चुन सकता हूँ । क्योंकि इस प्रश्न में अनेक सदस्य रुचि रखते थे इसलिये मैंने इस प्रश्न के लिए लगभग आधा घंटा दे दिया है ।

श्री ज्योतिमय बसु : मेरे क्षेत्र में लोग भूखे मर रहे हैं और उनको एक सप्ताह में तीन बार भी भोजन नहीं मिल पा रहा है और मैं यहां एक अनुपूरक प्रश्न भी नहीं पूछ सकता हूँ ?···

श्री उमानाथ : मैं भी देख रहा हूँ कि वह बार-बार इस प्रश्न पर और पिछले प्रश्न पर भी खड़े होते रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता । मैंने किसी भी माननीय सदस्य को एक से अधिक बार नहीं बुलाया है ।

श्री उमानाथ : जब से प्रश्न काल आरम्भ हुआ है वह अनूपूरक प्रश्न पूछने का प्रयत्न कर रहे हैं, परन्तु उनको अवसर नहीं दिया गया है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपकी जानकरी के लिये कह सकता हूँ कि दूसरी ओर श्री के० के० चटर्जी और अन्य माननीय सदस्य खड़े होते रहे हैं । अत: उसे मेरे विवेक पर छोड़ दिया जाना चाहिये ।

श्री शिन्दे : माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिया है हम उसकी जांच कर रहे हैं । जो नीति सम्बन्धी निर्णय लिया गया है वह यह है कि ग्रामसेवकों से कृषि उत्पादन और कृषि कार्यों के सम्बन्ध में ही कार्य लिया जाये ।

सूखे की स्थिति

\+

*22	**श्री श्री चन्द गोयल :**	**श्री जी० सी० नायक :**
	श्री रघुबीर सिंह शास्त्री :	**श्री के० पी० सिंह देव :**
	श्री स० चं० सामन्त :	**श्री ए० दीपा :**
	श्री मधुलिमये :	**श्री प्र० क० देव :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष में अनावृष्टि के कारण अथवा पर्याप्त वर्षा न होने के कारण किन-किन क्षेत्रों में सूखे की स्थिति उत्पन्न होने की आशंका है;

(ख) सूखे की स्थिति पैदा न होने देने के लिए केन्द्रीय सरकार ने क्या कार्यवाही की है;

(ग) पानी की कमी को पूरा करने के लिए चालू वर्ष में सरकार द्वारा चलाई गई अथवा चलाई जाने वाली सिंचाई, नलकूपों, और पम्पिग सैट संबन्धी योजनाओं का ब्योरा क्या है; और

(घ) · सरकार द्वारा चालू बर्ष में कौन-कौन सी अन्य बड़ी योजनायें चालू की गई हैं अथवा चालू की जाने की संभावना है जिनसे कृषि उत्पादन के तरीके को नया रूप दिया जायेगा तथा उत्पादन तेजी से बढ़ाया जायेगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मन्त्रालय में राज्य मन्त्री श्री शिन्दे : (क), (ख), (ग) और (घ) :

एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) वर्षा न होने और देर से वर्षा होने के कारण गंगा के मैदान, पश्चिमी बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार राज्य, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात के क्षेत्रों पर बुरा असर पड़ा है।

(ख) सूखे की हालत को फिर से होने से रोकने के लिए भारत सरकार ने राज्य सरकारों से निम्न उपाय करने के लिये अनुरोध किया है :—

(एक) निम्न आधार पर सूखा ग्रस्त क्षेत्रों का सीमाँकन :—

(क) वर्षा की मात्रा (ख) अन्नावरी और भूराजस्व निलम्बन सम्बन्धी आंकड़े; और (ग) भूतकाल में कमी की हालत की घोषणा;

(दो) नमी संरक्षण और पूरी जमीन पर खेती करने के लिये परम्परागत कार्यक्रमों को बढ़ावा देना।

(तीन) क्षेत्रों में बड़े और मझले सिंचाई कार्यक्रमों की संभावना।

(चार) भूमि के अधिक अच्छे उपयोग के लिये, जिसमें वनविज्ञान और चारे का उत्पादन भी शामिल हो, अग्रिम अध्ययन करना।

(पांच) नई तकनीकी जानकारी के प्रयोग से अनुकूल क्षेत्रों में भूगत जल की गहन खोज।

(छः) आधुनिक तकनीकी ज्ञान द्वारा खनिजों जैसे अन्य संसाधनों का सर्वेक्षण।

(सात) उद्योग आदि पर आधारित नये प्रकार के रोजगार का दिया जाना।

(ग) सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में कुँए खोदने और पम्पसैट लगाने का कार्यक्रम चालू किया गया था।

चालू वर्ष में 1,40,000 कुँए खोदे जाने की आशा है, लगभग 1,00,000 कुँए मशीनों द्वारा खोदे जायेंगे, 2,10,000 पम्पसैट लगाये जायेंगे और 20,000 नलकूप बनाये जायेंगे। आशा है कि चालू वर्ष में लगभग 1,50,000 पम्पसैटों को बिजली दी जायेगी। जब कि 1965-66 में 100,000 पम्पसैटों को बिजली दी गई थी।

(घ) कृषि उत्पादन के तरीकों और गति में क्रान्तिकारी परिवर्तन लाने के लिए सरकार द्वारा आरम्भ की गई योजनाओं में कुछ इस प्रकार हैं :—

(एक) अच्छी किस्म के बीजों का कार्यक्रम।

(दो) एक से अधिक फसल उगाने का कार्यक्रम।

(तीन) सिंचाई की नई पद्धति।

(चार) आयाकर विकास कार्यक्रम।

(पाँच) कृषि के लिए साधनों की संगठित व्यवस्था।

(छः) किसानों का प्रशिक्षण।

(सात) अनुपूरक खाद्य उत्पादन।

(आठ) विशेष क्षेत्रों का विकास।

श्री श्रीचन्द गोयल : सूखे की समस्या जल की कमी के कारण उत्पन्न होती है। क्या सरकार सिंचाई के पानी; बाढ़ के पानी और जल प्रबन्ध के सम्बन्ध में कोई आंकड़े इकट्ठे कर रही है ताकि ऐसी हाल से छुटकारा पाने के लिए कुछ योजनाएँ बनाई जा सकें ?

श्री शिन्दे : योजना आयोग और मन्त्रालय के पास काफी आंकड़े उपलब्ध हैं। हाल ही में इन आंकड़ों की अग्रेतर छानबीन करने के लिए कृषि विभाग में एक विशेष प्रभाग स्थापित किया गया है।

श्री श्रीचन्द गोयल : क्या सरकार को पता है कि फोर्ड प्रतिष्ठान के विशेषज्ञों ने उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि के लिए कुछ उपाय सुझाये हैं ? क्या सरकार इन सिफारिशों की क्रियान्वित हेतु इनकी जांच करा रही है ताकि खाद्य उत्पादन में वृद्धि की जा सके और इस समस्या को संतोषजनक ढंग से हल किया जा सके ?

श्री शिन्दे : केवल फोर्ड प्रतिष्ठान ही नहीं अन्य दलों ने भी इस समस्या की जांच की है। जब भी किसी संस्था द्वारा कोई सुझाव दिये जाते हैं हम अपने दिन प्रति दिन के कार्य में उनको क्रियान्वित करने का प्रयत्न करते हैं।

Shri Raghuvir Singh Shastri : Are Government aware that the **Takavi** loans advanced by the Government do reach the farmers in full and a substantial part of it is taken away in the form of graft and secondly that the Cement is not available to the farmer in the open market and he has to buy it in the blackmarket ?

Mr. Speaker : Please put the question straight.

Shri Raghuvir Singh Shastri : I am coming to that.

श्री ज्योतिमय बसु : अनावश्यक बातों पर समय नष्ट किया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय : चिल्लाने से काम नहीं चलेगा। वह भी एक उतने ही माननीय सदस्य हैं जितने कि अन्य। सूची में उनका नाम है और उन्हें प्रश्न पूछने का अधिकार है।

श्री ज्योतिमय बसु : इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि करोड़ों लोगों के लिए इस विषय का कितना महत्व है।

Shri Raghuvir Singh Shastri : Are Government also aware of the cost involved in the construction of a tubewell and the amount that a farmer has to give as graft for the same ? What steps have the Government taken or are going to take to relieve the farmers of these troubles ?

श्री शिन्दे : हमारे पास छोटी सिंचाई के अनेक कार्यक्रम हैं जिनमें कुँओं को खोदना और किसानों को ऋण आदि देना भी शामिल हैं। इस वर्ष के दौरान आरम्भ में छोटी सिंचाई के लिये योजना में 84 करोड़ रुपये की रकम रखी गई थी और बाद में कुछ सूखाग्रस्त क्षेत्रों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उस राशि में 24 करोड़ रुपये की और वृद्धि कर दी गई है।

Shri Ishak Sambhali : If is an important question and a very specific too. Corruption is rampant in the blocks. The money sanctioned for irrigation does not reach the farmer in full. Further, they are not getting the cement as a result of which minor irrigation is suffering. Will Government hold an enquiry into all these matters ?

Shri Jagjivan Ram : If you keep patience you will get a satisfactory reply. Here we hear all these complaints, but the hon. Member should also not forget that desipte all these

difficulties a large number of **Kacha** and **Pakka** wells have been sunk in during the drought period.....

Shri Kunwar Lal Gupta : Is there water in those wells ?

Shri Jagjivan Ram : It is just possible that some might have gone dry after having been dug. It is a matter of Common sense.

An hon. Member : Did the water come out after having spent so much money ?

Shri Jagjivan Ram : It is possible that nothing might have been done in the Constituency of the hon. Member, but his knowledge is also limited.

I have said that the cultivators in the drought affected areas have worked with remarkable courage and boldness. Despite all the troubles enumerated by the hon. Membera large number of wells have been sunk and water reached in them. Now, due to the failure of winter rains and the setting in of the summer season many wells are drying. This is also a difficult problem.

Shri Ishak Sambhali : The question has not been answered. The question is whether Government will hold an enquiry into the corruption cases and the causes of the non-availability of cement ?

श्री स० चं० सामन्त : विवरण को देखने से पता चलता है कि सूखे की स्थिति को फिर से होने से रोकने के लिए भारत सरकार ने राज्य सरकारों से कुछ कदम उठाने के लिए अनुरोध किया है। क्या सभी राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों को दिल्ली बुलाया गया था और उनके साथ चर्चा की गई थी, क्योंकि प्रत्येक राज्य की स्थिति दूसरे से भिन्न हैं ?

श्री शिन्दे : प्रत्येक वर्ष वार्षिक योजना पर चर्चा के दौरान इन सब मामलों पर चर्चा की जाती है और इसके अतिरिक्त जहां तक दक्षिणी राज्यों का सम्बन्ध है मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में गम्भीर रूप से सूखाग्रस्त क्षेत्रों की समस्याओं पर विचार किया गया था।

श्री प्र० के० देव : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के 20 वर्ष बाद भी इस देश में प्रति वर्ष सूखा पड़ता है और लोग भूख से मरते हैं, क्या सरकार ने एक दुर्भिक्ष आयोग स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार किया है जिसकी मांग इस सभा में निरन्तर रूप से की गई है ? क्या सरकार पिछली शताब्दी के भयंकर अकाल के पश्चात् स्थापित किये गये दुर्भिक्ष आयोग के तरीके पर एक दुर्भिक्ष आयोग स्थापित करेगी ताकि उन सहायता कार्यों की क्रियान्विति में भ्रष्टाचार के विभिन्न आरोपों की जांच की जा सके जिनका उचित क्रियान्वन नहीं किया गया था और जिन्हें कांग्रेस दल के उन व्यक्तियों को सौंप दिया गया था जिन्होंने शासक दल की चुनाव निधि में अंशदान दिया था ?

श्री जगजीवन राम : मैं नहीं समझता कि इस वर्ष के सूखे सम्बन्धी किन्हीं सहायता कार्यों को हमने कांग्रेस दल के लोगों को सौंपा है। साधन, खाद्यान्न या वित्त देने के पश्चात् सहायता कार्यों का काम संतोषजनक रहा है और जांच करने का कोई मामला नहीं है।

श्री प्र० के० देव : दुर्भिक्ष आयोग स्थापित की मेरी माँग का आपको हां या ना में उत्तर देना चाहिए।

श्री जगजीवन राम : इसके लिये पर्याप्त कारण नहीं हैं। मैं नहीं जानता कि उनके क्षेत्र में क्या स्थिति है, परन्तु जहाँ तक सहायता कार्यों का सम्बन्ध है इसको कांग्रेस या अन्य किसी गैर-सरकारी अभिकरण को नहीं सौंपा गया था। सरकार द्वारा ही यह सारा कार्य किया गया था।

राजा के० पी० सिंह देव : उड़ीसा का उल्लेख क्यों नहीं किया गया है जबकि यह भयंकर रूप से सूखाग्रस्त क्षेत्रों में से एक है ? क्या सरकार को उड़ीसा सरकार से कोई पत्र प्राप्त हुआ कि इस वर्ष भी कुछ जिलों में सूखा पड़ा है और कमी की हालत का मुकाबला करने और भुखमरी को रोकने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

श्री शिन्दे : इस प्रश्न के लिये मुझे पूर्व-सूचना चाहिए कि किसी राज्य से एक विशिष्ट पत्र प्राप्त हुआ है या नहीं ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Price of Sugarcane

23. **Shri Atal Behari Vajpayee** :
Shri Prakash Vir Shastri :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a proposal to increase the price of sugarcane is under the consideration of Government; and

(b) if so, when a final decision is likely to be taken in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Shinde) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

खाद्यान्नों के मूल्य

* 24. **श्री स० मो० बनर्जी** :
श्री हेम राज :
श्री यशपाल सिंह :
श्री नि० चं० चटर्जी :
श्री स० सं० सामन्त :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री विश्वनाथ राय :
श्रीमती सुशीला रोहतगी :
श्री रामकृष्ण गुप्त :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सब प्रकार के खाद्यान्नों के मूल्य कम करने के लिये क्या ठोस कदम उठाये जा रहे हैं,

(ख) क्या उत्तर प्रदेश, बिहार तथा अन्य सब राज्यों में दिसम्बर, 1966 से जनवरी, 1967 के बीच की अवधि में खुले बाजार में दाम बढ़ गये हैं, और

(ग) यदि हां, तो मूल्यों में कितनी वृद्धि हुई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिन्दे) : (क) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

[**पुस्तकालय में रखा गया देखिए संख्या एल० टी०** 36/67]

(ख) और (ग), इस अवधि में उत्तर प्रदेश तथा बिहार और अन्य अधिकांश राज्यों में वृद्धि का रुख था । सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें उत्तर प्रदेश तथा बिहार और अन्य राज्यों के कुछ महत्वपूर्ण केन्द्रों पर प्रमुख खाद्यान्नों के बाजार भाव दिये गये हैं ।

Casting of votes by Pakistani Nationals in Lal Gola Assembly Constituency in West Bengal.

* 25. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya** :

Will the Minister of **Law** be pleased to state :

(a) whether the attention of Government has been drawn to the news-item published in the Delhi Hindi Weekly 'Rashtrahit' dated the 4th March, 1967 wherein it had been stated that nearly 500 Pakistani Nationals cast their votes at different polling stations in a particular area in Lal Gola Assembly Constituency in District Murshidabad during the recent General Elections ;

(b) whether it is also a fact that these Pakistani nationals came from East Pakistan crossing river Padma in a boat on the polling day and after having cast their votes went back to Pakistan ;

(c) whether it is also a fact that no action was taken in the matter despite the fact that the Police posted at polling stations and the Returning Officers presiding at these places were aware of this fact ; and

(d) if so, the reasons therefor ?

The Minister of Law Shri Govinda Menon : (a) Yes, Sir ;

(b) to (d) A report which has been called for from the Chief Electoral Officer, West Bengal is awaited ; Does not arise.

Rabi Crop in Bihar

*26. **Shri Bibhuti Mishra** : **Shri Ram Kishen Gupta** :
Shri K. N. Tiwary : **Shri Madhu Limaye** :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the quantity of rabi crop production expected this year in Bihar as compared to last year ;

(b) the extent of expected food deficit in Bihar till September next ;

(c) whether the new Bihar Government have approached the Central Government for additional supply of foodgrains ; and

(d) if so, the attitude of Central Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Shinde): (a) **and** (b) : Production of rabi crop is expected to be less this year on account of inadequate rains. It is, however, too early to frame any reliable estimate of the production. Consequently, it is also not possible to indicate the extent of expected food deficit in the State till September next.

(c) Yes, Sir.

(d) The attitude is sympathetic, and the demands will be met to the extent permitted by the resources available with Government of India.

मूल अधिकारों के बारे में उच्चतम न्यायालय का निर्णय

● 27. **श्री सेंभियान** : **श्री नाथ पाई** :
श्री यशपाल सिंह : **श्री एस० सूपकर** :

क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान मूल अधिकारों से सम्बन्धित संविधान (सत्रहवां संशोधन) अधिनियम, 1964 के बारे में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या इस निर्णय से उत्पन्न होने वाले परिणामों के बारे में सरकार ने कोई अनुमान लगाया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) जी हाँ ।

(ख) और (ग) उच्चतम न्यायालय के निर्णय के प्रभाव और विवक्षाओं पर सरकार सक्रिय रूपेण विचार कर रही है ।

विवाह सम्बन्धी विधियों की समान संहिता

* 28. **डा० कर्णी सिंह जी :**

श्री बी० चं० शर्मा :

क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विवाह सम्बन्धी विधियों की ऐसी समान संहिता बनाने की वांछनीयता का विचार कर रही है जो भारत के सभी नागरिकों पर लागू हो;

(ख) यदि हाँ, तो संसद् में ऐसा विधेयक कब पेश किया जायेगा ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विधि मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) मुख्य कारण यह है कि भारत के सभी नागरिकों को लागू होने वाली विवाह सम्बन्धी विधियों की एकरूप संहिता के अधिनियमन के बारे में भारत के नागरिकों के विभिन्न वर्गों में मतैक्य नहीं है । दूसरे, जहाँ तक अल्पसंख्यक समुदायों की विवाह सम्बन्धी विधियों का सम्बन्ध है, विचार यह है कि उनमें परिवर्तन के लिये कोई भी प्रस्ताव सम्युक्त समुदायों से ही आना चाहिये । और फिर, जहाँ तक मुसलमान नागरिकों का सम्बन्ध है, उनमें से अधिकांश अपनी विवाह सम्बन्धी विधि में जो शरैयत का भाग है, किसी प्रकार के हस्तक्षेप को इसलाम में हस्तक्षेप समझते हैं, और अन्ततः, विशेष विवाह अधिनियम, 1954 को विवाह से सम्बद्ध सामान्य सविल संहिता माना जा सकता है । यद्यपि यह केवल समर्थकारी कानून ही है तो भी अपनी आस्था और धर्म को दृष्टि में लाये बिना न केवल भारत के नागरिक ही बल्कि अन्य व्यक्ति भी, उस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार और अधीन अपने विवाह अनुष्ठापित कर सकते हैं ।

दिल्ली दुग्ध योजना

* 29. **श्री सी० सी० देसाई :**

क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली दुग्ध योजना की दुग्ध वितरण स्थिति में कोई सुधार हुआ है;

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यह योजना जनता की आवश्यकता को पूरा करने में कहाँ तक सफल रही है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिन्दे) : (क) जी हाँ ।

(ख) जब से दिल्ली दुग्ध योजना चालू हुई तब से कितना दूध उपलब्ध किया गया इस सम्बन्ध में माहवार आंकड़े प्रदर्शित करने वाला एक विवरण सभा के पटल पर रख दिया गया है ।

[पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 37/67]

(ग) 4·25 लाख दूध की बोतलें प्रति दिन बेची जाती हैं ।

Rejection of Nomination Papers in J & K State

*30. **Shri Prakash Vir Shastri** :

Shri Hukam Chand Kachhavaiya :

Will the Minister of **Law** be pleased to state :

(a) whether Government have received complaints regarding the illegal rejection of nomination papers, bogus ballot papers etc., in the recent General Election in Kashmir ;

(b) whether it is also a fact that Government employees were also utilised for doing the work of a particular party in the said State during the Elections ;

(c) if so, whether Government have received suggestions for holding fresh elections in the State to ensure impartiality in that regard or for the imposition of the President's Rule ; and

(d) the reaction of Government in regard thereto ?

The Minister of Law (Shri Govind Menon) : (a) The Election Commission have received a number of complaints alleging illegal rejection of nomination papers, printing and distribution of duplicate ballot papers, undue interference by officials in favour of certain candidates etc. ;

(b) Government have no information.

(c) The Election Commission have received a few suggestions in this regard ; and

(d) Government is awaiting the decisions on the election petitions which have been filed or may hereafter be filed.

अन्तर्राज्य परिवहन आयोग

* 31. **श्री नि० चं० चटर्जी** :

श्री स० चं० सामन्त :

श्री प्र० कु० घोष :

क्या **परिवहन तथा नौवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्तर्राज्य परिवहन आयोग को अपना कामकाज करने में क्या-क्या कठिनाइयां अनुभव हो रही हैं;

(ख) आयोग द्वारा प्रभावपूर्ण ढंग से कार्य किया जा सके, इस सम्बन्ध में सड़क परिवहन कराधान जांच समिति ने क्या-क्या सुझाव दिये हैं ;

(ग) क्या सरकार का विचार अन्तर्राज्य परिवहन को अपने हाथ में लेने का है ;

(घ) क्या इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों के विचार मालूम किये गये हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो उनका विवरण क्या है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (प्रो० वी० के० आर० बी० राव) : (क) कुछ विशेष कठिनाइयां हैं जो विचाराधीन हैं । फिर भी सीमित क्षेत्राधिकार के होते हुए भी, आयोग ने उपयोगी कार्य किया है ।

(ख) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।

[पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 38/67]

(ग) समिति की सिफारिशों पर योजना आयोग तथा राज्य सरकारों के साथ विचार किया जा रहा है ।

खाद्य स्थिति

* 32. **श्री नाथ पाई :**
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री श्रीचन्द्र गोयल :
श्री सूपकर :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री मद्दी सुदर्शनम :
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री इस आशय का वक्तव्य सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि देश में इस वर्ष फसलवार और राज्यवार खाद्यान्न का कितना उत्पादन हुआ है और अनुमानित कमी कितनी है तथा उसे पूरा करने के लिये सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिन्दे) : 1966-67 के लिये फसलवार तथा राज्यवार खाद्यान्नों के अन्तिम अनुमान अभी उपलब्ध नहीं हैं ।

खाद्यान्नों की कमी के बारे में ठीक रूप से कहना कठिन है क्योंकि यह उत्पादन के स्तर, बचे हुए स्टाक, जनसंख्या में वृद्धि, आय के स्तर में वृद्धि, खपत के प्रतिमान तथा नागरीकरण आदि अनेक बातों पर निर्भर करता है । कमी को पूरा करने के लिए सरकार आयात की व्यवस्था करने के लिये हर संभव यत्न कर रही है ।

साधारण निर्वाचन

*33. **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री नाथ पाई :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री जार्ज फर्नेन्डीज :

क्या **विधि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत फरवरी में साधारण निर्वाचन होने की अवधि में विभिन्न राजनीतिक दलों तथा अभ्यर्थियों ने क्या-क्या शिकायतें कीं तथा निर्वाचन आयोग ने उन पर क्या कार्यवाही की;

(ख) क्या कोई प्रारम्भिक अथवा अन्तरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की जायेगी; और

(ग) प्रत्येक राज्य में साधारण निर्वाचनों पर कुल कितना और राज्यवार कितना व्यय हुआ है तथा राज्यों ने उसमें कितना अंशदान दिया है ?

विधि मन्त्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) गत फरवरी में साधारण निर्वाचनों के संचालन के दौरान निर्वाचन आयोग को अधिकतर साधारण प्रकृति की शिकायतें प्राप्त हुई थीं जैसे कि निर्वाचन सभाओं में गड़बड़ी, मतदान की तारीख को औद्योगिक स्थापनों का बन्द होना, नामनिर्देशन पत्रों का प्रतिक्षेपण, प्रतीकों का दोषपूर्ण आबंटन, आदि। जहाँ कहीं अभिकथन प्रथम दृष्टया सत्यापित हो सकते थे वहां आयोग ने जांच करने के लिए शीघ्र ही कार्यवाही की।

(ख) जी नहीं।

(ग) गत साधारण निर्वाचनों पर हुआ कुल और राज्य-वार व्यय निर्वाचन आयोग ने अभी तक नहीं निकाला, क्योंकि उसके सम्बन्ध में जानकारी अभी उपलब्ध नहीं हुई है। मोटे तौर पर, लोक सभा और राज्य विधान सभाओं के एक साथ हुए निर्वाचनों के सम्बन्ध में सरकार द्वारा किया गया व्यय, केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों पर 50 : 50 आता है।

खाद्य स्थिति

*34. **श्री वी० चं० शर्मा** :
श्री श्रीचन्द गोयल :
श्री कंवर लाल गुप्त :
श्री नाथ पाई :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री च० च० देशाई :
श्री एस० सूपकार :
श्री मुद्दी सुदर्शनम :
श्री राम कृष्ण गुप्त :

क्या **खाद्य और कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश की वर्तमान खाद्य स्थिति के बारे में सरकार का क्या अनुमान है; और

(ख) खाद्य स्थिति का मुकाबला करने तथा देश भर में सब लोगों के लिए अपेक्षित मात्रा में अनाज की व्यवस्था करने के लिये क्या उपाय किए गये हैं अथवा करने का विचार किया गया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिन्दे) : (क) देश में खाद्य स्थिति कठिन रहेगी। इस विषय पर एक विस्तृत विवरण अलग से सभा के पटल पर रखा जा रहा है।

(ख) नयी सरकार नये सिरे से समस्या पर दृष्टि डालेगी और आवश्यक समझे जाने वाले उपायों की अगले महीने के शुरू में होने वाले मुख्य मन्त्रियों के सम्मेलन में विचार-विमर्श करने के बाद आयोजना की जाएगी।

Identity of Voters

35. **Shri Bibhuti Mishra** :
Shri K. N. Tiwari :

Will the Minister of **Law** be pleased to state :

(a) whether Government propose to evolve any procedure to ensure at the time of General Elections the identity of a voter and to see that he is the same person whose name is included in the Electoral Roll ; and

(b) if so, the nature of the fool-proof system proposed to be evolved ?

The Minister of Law (Shri Govind Menon): (a) In addition to the procedure available under the provisions already contained in our election law regarding the prevention of personation of election electors, there is no proposal before the Government to evolve any procedure to ensure identity of voters at general elections.

(b) Does not arise.

आयातित खाद्यान्नों के मूल्य

*36. **डा० कर्णी सिंहजी :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रुपये के अवमूल्यन के परिणामस्वरूप आयातित खाद्यान्नों के मूल्य बढ़ गये हैं,

(ख) आयातित गेहूँ के अवमूल्यन से पूर्व तथा अवमूल्यन के बाद के प्रति टन मूल्यों में कितना अन्तर है, और

(ग) जन साधारण के खाद्य बजट पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है ?

खाद्य, कृषि सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) : आयातित गेहूं की मुद्रावमूल्यन के पूर्व और मुद्रावमूल्यन के बाद की लागत के बीच लगभग 209 रुपये प्रति मीटरी टन का अन्तर है । आयातित गेहूं के निर्गम मूल्य में मुद्रावमूल्यन के तुरन्त बाद वृद्धि नहीं की गयी थी । तथापि, 15 नवम्बर, 1966 से यह मूल्य 50 रुपये से थोड़ा सा बढ़ाकर 55।– रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया था ।

Food zones

37. **Shri Prakash Vir Shastri** **Shri Atal Behari Vajpayee :**
Shri Yashpal Singh **Shri Bibhuti Mishra :**
Shri S. C. Samanta **Shri K. N. Tiwari :**

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether prices of foodgrains have gone high and incidence of smuggling has increased as a result of formation of food zones ;

(b) whether Government are contemplating to reconsider their policy regarding the abolition of food zones ; and

(c) if so, the time by which final decision would be taken in regard thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Shinde) : (a) The rise in the prices of foodgrains mainly attributable to the heavy shortfall in production in two successive years. When restrictions are imposed on inter-State trade on private account, smuggling by anti-social elements cannot be ruled out.

(b) and (c) : In the Conference of Chief Ministers held in November, 1966, it was decided that the existing zonal restrictions under which inter-State movement of foodgrains on private trade-account is banned should continue. The continuance or otherwise of these restrictions is, however, reviewed from time to time.

दिल्ली में राशन के गेहूं और चावल के मूल्य

*38. **श्री दी० चं० शर्मा :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने दिल्ली में राशन के गेहूं, चावल और गेहूं से बनने वाले पदार्थों के मूल्य बढ़ा दिये हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) दिल्ली में इन चीजों के मूल्य कम करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) केन्द्रीय सरकार के भण्डारों से दिये जाने वाले गेहूं (आयातित) तथा चावल के निर्गम मूल्य में क्रमशः नवम्बर और दिसम्बर, 1966 से वृद्धि की गयी थी। यह वृद्धि जो कि सभी राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों में लागू होगी, इस उद्देश्य से की गयी थी ताकि इन खाद्यान्नों के सरकारी निर्गम मूल्य तथा खुले बाजार मूल्यों में अन्तर कम किया जा सके और खाद्यान्नों के वितरण में केन्द्रीय सरकार द्वारा दी जाने वाली उपदान की राशि में भी कमी की जा सके । गेहूं (आयातित) के निर्गम मूल्य में वृद्धि के परिणामस्वरूप गेहूं के पदार्थों के निर्गम मूल्य में वृद्धि की गयी थी ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के वर्तमान विमानों के स्थान पर अन्य विमानों की व्यवस्था

*39. **श्री विभूति मिश्र :** **श्री गु० च० नायक :**

श्री क० ना० तिवारी : **श्री के० पी० सिंह देव :**

श्री प्र० के० देव : **श्री ए० दीपा :**

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के कई किस्मों के विमानों के स्थान पर अन्य विमानों की व्यवस्था करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो किन-किन किस्मों के विमानों के स्थान पर अन्य विमानों की व्यवस्था की जायेगी और इस कार्य पर कितना खर्च आने का अनुमान है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री डा० कर्णसिंह (क) और (ख) : इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के विमान-बेड़े में वाइकाउण्ट विमानों के स्थान पर अन्य विमानों की व्यवस्था करने के लिए उपयुक्त वायुयान चुनने का प्रश्न इस प्रयोजन के लिए स्थापित समिति के विचाराधीन है ।

1967-68 में उर्वरकों का आयात

16. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1967-68 में कितनी मात्रा में उर्वरकों का आयात करने का विचार है; और

(ख) किन-किन देशों से आयात किया जायेगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिन्दे) : (क) अब तक नियत हुई विदेशी मुद्रा की तुलना में 1967-68 के लिये आयात के अनुमान निम्न प्रकार हैं :—

	मीटरी टन	के रूप में
नाइट्रोजनपूरक उर्वरक	836,200	नाइट्रोजन
फासफोटिक उर्वरक	324,600	पी 2 ओ 5
पोटासिक उर्वरक	217,500	के 2 ओ

आशा है कि नाइट्रोजन के आयात का स्तर 8.5 लाख मीटरी टन तक बढ़ जाएगा और यही लक्ष्य स्वीकार किया गया है ।

(ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार इनका आयात अमरीका, कैनाडा, पश्चिम यूरोप के देशों, जी० डी० आर०, रूस, पोलैण्ड तथा जापान से होने की आशा है।

हल्दिया पत्तन

17. **श्री दी० चं० शर्मा :**

श्री रामचन्द्र उलाका :

श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **परिवहन, तथा नौवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हल्दिया पत्तन के निर्माण तथा तत्सम्बन्धी अन्य कार्य पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार किये जा रहे हैं ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) यह परियोजना कब तक पूरी हो जायेगी ?

परिवहन तथा नौवहन मन्त्री (प्रो० वी० के० आर० वी० राव) ; (क) जी हां ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) परियोजना के जनवरी, 1971 तक पूरा हो जाने की सम्भावना है ।

एन्नूर पत्तन, मद्रास

*18. **श्री सेझियान** : क्या **परिवहन, तथा नौवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास के एन्नूर नामक स्थान में एक छोटा पत्तन बनाने के बारे में कोई अन्तिम निर्णय कर लिया गया है ;

(ख) क्या इस योजना के लिए चौथी योजना में कोई वित्तीय व्यवस्था की गयी है; और

(ग) यदि हां, तो प्रस्तावित योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

परिवहन तथा नौवहन मन्त्री (प्रो० वी० के० आर० वी० राव) : (क) जी नहीं ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

ट्रैक्टरो का आयात

19. **श्री सेझियान** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यूगोस्लाविया से ट्रैक्टरों के आयात के बारे में 29 नवम्बर, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 554 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच जानकारी एकत्र कर ली गयी है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) उड़ीसा सरकार के प्रयोग हेतु यूगोस्लाव क्रालर ट्रैक्टरों के आयात के लिए भारत सरकार ने कोई विदेशी मुद्रा नहीं दी है। उड़ीसा सरकार से मालूम हुआ है कि भारतीय फर्म के पास जो

स्टाक उपलब्ध है उसमें से ही वैसे ट्रैक्टर खरीदने का उनका प्रस्ताव है । फिर भी इस लेन-देन को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

चौथे साधारण निर्वाचनों के दौरान मतदान केन्द्रों में शांति भंग

20. **श्री सूपकर :**
श्री विभूति मिश्र :
श्री क० ना० तिवारी :

क्या विधि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत साधारण निर्वाचनों के दौरान देश के किसी भाग से किसी मतदान केन्द्र में शान्ति-भंग होने की सूचना मिली थी जिसके परिणामस्वरूप मतदान का कार्य स्थगित करना पड़ा था, और

(ख) कुल कितने मामलों में, मतदान का कार्य, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 57 के अधीन स्थगित करना पड़ा था ?

विधि मन्त्री (श्री गोविंद मेनन) : (क) और (ख) : उन मतदान केन्द्रों की, जिन में मतदान या तो अस्थायी रूप से निलंबित और पुनरारम्भ कर दिया गया था या उस दिन के लिए निलंबित और किसी पश्चात्वर्ती दिन के लिए स्थगित कर दिया गया था, राज्यवार संख्या निम्नलिखित थी :—

आन्ध्र प्रदेश	2
बिहार	15
हरयाणा	1,
मध्य प्रदेश	1,
पश्चिमी बंगाल	2
मनीपुर	5
कुल	26

उपनिर्वाचन

21. **श्री सूपकर** : क्या **विधि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे कितने मामले हैं जिनमें नामनिर्देशन पत्र भरने की तारीख तथा निर्वाचन की तारीख के बीच, निर्वाचन लड़ने वाले कुछ अभ्यर्थियों की मृत्यु हो जाने के कारण उपनिर्वाचन कराना आवश्यक हो गया है; और

(ख) ये उपनिर्वाचन कब तक पूरे हो जायेंगे ?

विधि मन्त्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) उन मामलों की, जिनमें नामनिर्देशन पत्र फाइल करने की तारीख और निर्वाचन की तारीख के बीच, निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों का मृत्यु हो जाने के कारण, रिटर्निंग आफिसर को मतदान, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा

52 के अनुसार प्रत्यादिष्ट करना पड़ा और नए निर्वाचन के लिए आदेश करना पड़ा, संख्या इस प्रकार है :—

राज्य	संख्या
गुजरात	1
मद्रास	1
महाराष्ट्र	1
उड़ीसा	1
उत्तर प्रदेश	2

(ख) गुजरात में निर्वाचन पहले ही समाप्त हो चुका है जब कि अन्य निर्वाचन-क्षेत्रों की बाबत निर्वाचन के समाप्त होने की तारीखें इस प्रकार हैं :—

	राज्य का नाम	निर्वाचन-क्षेत्र	समाप्त होने की तारीख
1.	मद्रास	तिरुमंगलम सभा निर्वाचन-क्षेत्र	3 मई, 1967
2.	महाराष्ट्र	अम्बेनांव सभा निर्वाचन-क्षेत्र	13 अप्रैल, 1967
3.	उड़ीसा	पारलखमुण्डी सभा निर्वाचन-क्षेत्र	6 अप्रैल, 1967
4.	उत्तर प्रदेश	(1) जौनपुर, और	
		(2) हरैया (अ० जा०) सभा निर्वाचन-क्षेत्र	20 अप्रैल, 1967

[ध्यान दीजिए—यह उल्लेखनीय है कि धारा 52 के अधीन मतदान के प्रत्यादिष्ट होने के कारण जिस निर्वाचन की आवश्यकता पड़ती है वह उसी निर्वाचन की ही अनुवृत्ति होती है; कोई उपनिर्वाचन नहीं होता।]

उत्तर प्रदेश और बिहार को अनाज का संभरण

22. **श्री सूपकर :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नवम्बर, 1966 से लेकर अब तक प्रतिमास उत्तरप्रदेश और बिहार को कुल कितनी मात्रा में खाद्यान्न दिया गया, और

(ख) क्या पिछले चार महीनों में इन राज्यों में खाद्यान्नों के मूल्यों में वृद्धि होती रही है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिन्दे) : (क) उत्तर प्रदेश और बिहार को नवम्बर, 1966 से दिये गये खाद्यान्नों का महीनेवार ब्यौरा निम्न प्रकार है :—

(हजार मीटरी टन)

महीना	उत्तर प्रदेश	बिहार
नवम्बर, 1966	83	136
दिसम्बर, 1966	90	162
जनवरी, 1967	90	170
फरवरी, 1967	95	165
मार्च, 1967 (आवंटित मात्रा)	125	178

उपर्युक्त मात्रा के अलावा उक्त अवधि में बिहार से 14·3 हजार मीटरी टन मोटे अनाज भी आवंटित किये गये थे ।

(क) खाद्यान्नों की उपज में भारी कमी होने के कारण बिहार में दिसम्बर, 1966 और फरवरी, 1967 के बीच मूल्य बहुत अधिक चढ़ गये थे। पिछले दो सप्ताहों या इससे अधिक समय से राज्य में खाद्यान्नों के मूल्यों में गिरावट का रुख आया है ।

उत्तर प्रदेश में भी नवम्बर-दिसम्बर, 1966 से लगभग 4 मार्च, 1967 तक खाद्यान्नों के मूल्य बढ़ते रहे। इसके बाद गेहूं, ज्वार और चने के मूल्यों में गिरावट आयी है जबकि कुछ स्थानों पर चावल के मूल्यों में भी कुछ गिरावट आयी है। अन्य जगह यह स्थिर रहे ।

निप टाये जाने वाले प्रश्नों की संख्या के बारे में
RE : COVERAGE OF QUESTIONS

श्री जे० मुहम्मद इमाम (चित्रदुर्ग) : पिछली संसदों में प्रश्न काल के दौरान 20 अथवा 25 प्रश्न निपटा दिये जाते थे। अब हम बहुत से प्रश्न नहीं निपटा पाते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस विषय पर स्वयं ही कुछ कहना चाहता था। मैं सभी दलों के नेताओं से प्रार्थना करता हूं कि सायंकाल को मुझे मिलकर इस सम्बन्ध में बातचीत करें।

श्री नी० श्रीकान्तन नायर (क्विलोन) : हमने एक स्थगन प्रस्ताव रखा था। इसे अब लिया जा रहा है अथवा नहीं ?

अध्यक्ष महोदय : जो प्रस्ताव प्राप्त हुए थे उनमें से कुछ प्रस्ताव ग्राह्य तथा कुछ अग्राह्य कर दिये गये हैं। ग्राह्य प्रस्ताव मंत्रालय को भेज दिये गये हैं। उनके उत्तर आने पर उन्हें यहां लिया जायेगा।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना
CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

श्रीमती स्वेतलाना एलील्यूएवा का भारत से पश्चिमी देश में चले जाना

Shri Atal Bihari Vajpayee (Balrampur) : Mr. Speaker, Sir I call the attention of the Minister of External Affairs to the following matter of urgent public importance and request that he may make a statement thereon :

"Departure of Mrs. Svetlana Allelueva from India to the west."

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री सु० क० चागला) : सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ की राष्ट्रिक, श्रीमती स्वेतलाना एलील्यूएवा 20 दिसम्बर 1966 को एयरोफलीत द्वारा मास्को से पालम हवाई अड्डे पर पहुंची ; उनके पास 5 नवंबर 1966 को मास्को से जारी किया गया एक सोवियत पासपोर्ट था। यह पासपोर्ट दो वर्ष के लिए अर्थात् 5 नवंबर 1968 तक के लिए वैध था और एक वीजा था जिस पर तारीख 16–11–1966 दी गयी थी। यह मास्को में भारतीय राजदूतावास द्वारा जारी किया गया था जो एक महीने के लिए वैध था । यह वीजा श्रीमती एलील्यूएवा के अनुरोध पर मास्को-स्थित हमारे दूतावास द्वारा सामान्य रूप से जारी किया गया था। भारत में प्रवास के लिए उनके वीजा की अवधि बाद में उनके अनुरोध पर 15 मार्च 1967 तक बढ़ा दी

गयी थी जो सोवियत राजदूतावास से प्राप्त हुआ था। वीज़ा की अवधि बढ़ाने के लिए कोई और प्रार्थना नहीं मिली ।

हमने जिन तथ्यों का पता लगाया है, वे इस प्रकार हैं :

श्रीमती एलील्यूएवा 20 से 25 दिसम्बर, 1966 तक सोवियत राजदूतावास में रही और उस दिन वह कालाकांकर के लिए रवाना हो गयी। वह कालाकांकर के स्वर्गीय कुंवर ब्रजेश सिंह की अस्थियाँ कालाकांकर की गंगा में प्रवाह करने के लिए साथ लाई थीं ; श्री ब्रजेश सिंह की मृत्यु 31 अक्तूबर 1966 को मास्को में हुई थी। श्रीमती और श्री दिनेश सिंह ने कालाकांकर में उन्हें अतिथि बनाकर रखा और उन्होंने आतिथ्य स्वीकार किया। श्री दिनेश सिंह स्वर्गीय कुंवर ब्रजेश सिंह के भतीजे हैं । श्रीमती और कुंवर सुरेश सिंह ने भी, जो स्वर्गीय कुंवर ब्रजेश सिंह के भाई हैं, उनका आतिथ-सत्कार किया । श्रीमती एलील्यूएवा 5 मार्च 1967 को दिल्ली वापस आईं और 5 तारीख की रात को श्रीमती दिनेश सिंह की व्यक्तिगत मेहमान बनकर रहीं। 6 मार्च को सोवियत राजदूतावास के एक अधिकारी ने उन्हें बुलाया और उन्हें लेकर सोवियत राजदूतावास चला गया जहां वह राजदूतावास के होस्टल में रहीं।

पता चला है कि वह 8 मार्च 1967 की सवेरे एयरोफलोत के जरिये मास्को जाने वाली थीं लेकिन बाद में यह मालूम हुआ कि वह वास्तव में व्यापारी जहाज़ कैन्टाज नंबर 751 के जरिये 6-7 मार्च को 0240 बजे रोम के लिए रवाना हो गयीं। 8 मार्च के सबेरे तक न तो भारत सरकार को और न किसी भारतीय अधिकारी को उनके 7 तारीख को सवेरे इच्छा से अथवा वास्तविक रूप से चले जाने की कोई पूर्व सूचना नहीं थी ।

उनके पास वैध यात्रा प्रपत्र थे। वह अपने नाम से वैध सोवियत पासपोर्ट और अमरीका के लिए वीज़ा लेकर पालम हवाई अड्डे से रवाना हुईं ; भारत छोड़कर जाने वाले विदेशियों को 'पी' फार्म की जरूरत नहीं पड़ती ; और न तीन महीने से पहले भारत छोड़कर जाने वाले किसी विदेशी को निकासी (एक्जिट) परमिट जैसी किसी चीज की जरूरत पड़ती है।

हमारी सूचना के अनुसार, भारत छोड़कर रोम चले जाना, अपने ही निर्णय के अनुसार था। उन्होंने 7 मार्च को सवेरे चले जाने के बारे में किसी भारतीय अधिकारी से संपर्क स्थापित नहीं किया और न उन्होंने अपनी योजना पर अपने भारतीय मेजवान अथवा भारतीय अधिकारियों से बातचीत की। ऐसा मालूम होता है कि उन्होंने 6 मार्च की शाम को सोवियत राजदूतावास होस्टल से टेलीफोन द्वारा टैक्सी मंगाई और किसी को अपने साथ लिए बगैर वह उसी टैक्सी में अमरीकी राजदूतावास चली गयीं। अमरीकी राजदूतावास ने एक अमरीकी वीज़ा दिया और उनके लिए रोम का टिकट खरीद दिया। राजदूतावास ने एक अफसर भेजा जो उनके साथ पालम हवाई अड्डे गया और वहां से रोम गया।

श्रीमती एलील्यएवा भारत सरकार की अतिथि नहीं थीं। भारत सरकार को उन्हें शरण देने के प्रश्न पर विचार करने का मौका नहीं था क्योंकि ऐसा कोई भी अनुरोध उनके द्वारा कभी नहीं किया गया था।

पहले पहल जब यह पता चला कि श्रीमती एलील्यूएवा अमरीकी राजदूतावास के द्वितीय सचिव के साथ भारत से रवाना हुई तब सोवियत राजदूतावास ने हमसे शिकायत की। हमने तत्काल इस मामले को अमरीकी राजदूत के साथ उठाया।

हमें बाद में जो सूचना मिली है, उसको देखते हुए श्रीमती एलील्यूएवा ने विशुद्ध वैयक्तिक कारणों से कुछ समय तक स्विटज़रलैंड में ठहरना पसंद किया है। भारत से चला जाना उनका निजी मामला है और जहां तक हमारा संबंध है, भारत सरकार की किसी एजेंसी की ओर से इस विषय में किसी भी प्रकार की कोई भूल नहीं है ।

मुझे विश्वास है कि इस घटना से सोवियत संघ के साथ हमारे मैत्रीपूर्ण संबंधों को किसी भी तरह बिगड़ने नहीं दिया जायगा । यह नाजुक मामला है और मैं माननीय सदस्यों से अपील करता हूं कि वे ऐसी कोई बात न कहें जिससे भारत के अन्य देशों के साथ संबंधों पर असर पड़े ।

Shri Atal Bihari Vajpayee : The Minister of External Affairs just now stated that he had no knowledge of the desire of Mrs. Svetlana to remain in India. I would like to draw his attention to the statement of Mr. Ludwig, Swiss Minister of Justice and Police in which he said that she decided to come to Switzerland because her wish to remain in India was not fulfilled. May I know why the Government did not show willingness for her stay in India. Was it because of the fear of U.S.S.R.

श्री मु० क० चागला : श्रीमती स्वेतलाना ने भारत में रहने की इच्छा कभी व्यक्त नहीं की। इसलिए उसे भारत में आश्रय देने का प्रश्न ही नहीं उठता । यह प्रधान मंत्री का काम नहीं है कि भारत में रूस से आने वाले किसी नागरिक को भारत में रहने के लिये कहें ।

Shri Onkar Singh (Badaun) : Would the Government permit her now and come and stay in India.

श्री मु० क० चागला : उन्होंने कोई ऐसी इच्छा व्यक्त नहीं की है। यदि वह ऐसा करें तो उस पर सामान्य रूप से विचार किया जायेगा ।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । श्रीमती स्वेतलाना को भारत से ले जाने में सी० आई० ए० का हाथ जान पड़ता है । इसके बारे में इस वक्तव्य में कुछ नहीं है । इसका स्पष्ट उत्तर मिलना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : इसमें कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

श्री हेम बरुआ (मंगलदायी) : श्रीमान विश्व के सभी समाचार पत्रों में यह समाचार प्रकाशित हुआ है कि श्रीमती स्वेतलाना को एक अमरीकी एजेन्ट स्विटज़रलैंड ले गया है। यह समाचार भी है कि एक मन्त्री महोदय ने उसके विज़ा की तिथि आदि बढ़ाये जाने में सहायता की थी । क्या उस महिला के बारे में यह सुझाव दिया गया था कि उसे यहां रहने न दिया जाये ?

श्री मु० क० चागला : मैं इन सब प्रश्नों का उत्तर दूंगा । अमरीकी राजदूत ने इस बात का खण्डन किया है वह एक सी० आई० ए० का अधिकारी था ।

श्री उमानाथ (पुदुकोट्टै) : क्या सी० आई० ए० के सम्बन्ध में हमें अमरीका के कथन पर निर्भर करना चाहिये ?

श्री मु० क० चागला : हमें एक राजदूत की बात पर विश्वास करना चाहिये । यदि कोई तथ्य उनके कथन के विपरीत सिद्ध होता है तभी हम आवश्यक कार्यवाही करेंगे । यह गलत है कि श्रीमती स्वेतलाना को भगा कर ले जाया गया है । उसके पास पारपत्र था । उन्हें विज़ा जारी किया गया था । उसके बाद पालम हवाई अड्डे पर एक घंटे तक रहीं और उसके बाद टिकट खरीदा । इस

में भारत सरकार के किसी मन्त्री का किसी प्रकार का हाथ नहीं है। यह आरोप नितान्त अनुचित है।

Dr. Ram Manohar Lohia (Kannauj) The Ministers should give complete and full information. Is it not correct that she did not ask for asylum. She had expressed the intention to stay in this country. I say that hon. Minister is concealing the information.

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar) : Sir, Shri Vajpayee has put a question asking about the report of the officer who was sent to Switzerland. No answer has been given about that.

श्री प्र० के० देव (कालाहाँडी) : यह एक दिलचस्प बात है कि कोई रूस से भाग स्वतन्त्र दुनियां में चला जाये। क्या इस देश में भारतीय राष्ट्रिक से विवाह होने के बाद राष्ट्रीयता बदल जाने का नियम नहीं है। एक भारतीय राष्ट्रिक के साथ विवाह के बाद क्या उनको भारतीय नागरिकता नहीं मिल जानी चाहिये थी ?

श्री मु० क० चागला : यह भारतीय महानुभाव रूस में रजिस्टर्ड नहीं थे।

Shri Vishwa Nath Pandey : It has come in the papers that some officials of the External Affairs Ministry visited Switzerland and have returned after consultation with Mrs. Svetlana. Has the hon. Minister been apprised of the situation, if so, what is his reaction ?

श्री मु० क० चागला : मैंने स्वयं अपनी जानकारी के लिये एक अधिकारी को भेजा था ताकि वह उस महिला से मिलकर सब बात का पता लगा सकें। अब मुझे पूरा विश्वास है कि जो कुछ मैंने कहा वह ठीक है।

श्री नाथ पाई (राजापुर) : मैं जानना चाहता हूँ कि स्थगन प्रस्ताव को ध्यान दिलाने वाली सूचना में कैसे परिवर्तित कर दिया गया है ?

अध्यक्ष महोदय : कल तक अविश्वास के प्रस्ताव पर चर्चा चल रही थी। सरकार की आलोचना के लिये बहुत से अवसर हैं। यह एक महत्वपूर्ण विषय है और मैं आपको अवसर देना चाहता था।

श्री नाथ पाई : क्या श्रीमती स्वेतलाना ने वैदेशिक कार्य मन्त्रालय या प्रधान मन्त्री से प्रार्थना नहीं की थी कि उन्हें भारत में ही रहने की अनुमति दी जाये ?

श्री मु० क० चागला : यह सच है कि भारत सरकार से या प्रधान मन्त्री से ऐसी प्रार्थना नहीं की थी। बल्कि यह कहा था कि रूस जाना चाहती हैं।

श्री नाथ पाई : 'पेटरियट' में छपा है कि उन्होंने वैदेशिक कार्य मन्त्रालय को पांच पत्र लिखे थे ?

श्री मु० क० चागला : हमें समाचार पत्रों में छपी सभी बातों को सच नहीं मान लेना चाहिये।

श्री नाथ पाई : क्या उन्होंने प्रधान मन्त्री से नहीं कहा था कि उन्हें भारत में रहने दिया जाये ?

श्री मु० क० चागला : जी नहीं।

श्री बाबूराव पटेल (शाजापुर) : श्रीमती स्वेतलाना एक भारतीय की प्रेमिका थीं। उनके पति मृत्यु के बाद वह भारत आयीं और हमारे अतिथि के समान थीं। हमें उन्हें शरण देनी चाहिये।

इस चर्चा से यह जान पड़ता है कि उन्हें शरण नहीं दी गई। अमरीका वालों ने यह अपहरण किया है। इस बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है। यदि अमरीकन इस काम के लिये यहां हैं तो बड़ी शर्म की बात है।

श्री मु० क० चागला : वह भारत की अतिथि नहीं थीं। वह निजी तौर पर यहां आयी थी। इसमें सरकार की किसी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं थी। यह भी गलत है कि अमरीका वालों ने उनका अपहरण किया है। हां, यह ठीक है कि अमरीकी दूतावास ने उनके टिकट आदि का प्रबन्ध किया था।

स्थगन प्रस्ताव के बारे में (प्रश्न)

Re. MOTION FOR ADJOURNMENT (QUERY)

अध्यक्ष महोदय : डा० राम मनोहर लोहिया ने एक विशेषाधिकार प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। यह प्रधान मन्त्री द्वारा दिये गये एक वक्तव्य के बारे में है। इसका सम्बन्ध एक हार के बारे में है और उसकी तारीख आदि का ब्यौरा देना है। प्रधान मन्त्री के लिए उसका अभी उत्तर देना कठिन है क्योंकि यह दस वर्ष पुरानी बात है। इस बारे में ब्यौरे से बताने के लिये प्रधान मंत्री को कुछ समय चाहिये। वह इस सम्बन्ध में यथा समय बतायेंगी।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, विनियोग लेखे आदि

उपप्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : मैं निम्न पत्रों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ :—

(1) संविधान के अनुच्छेद 151 (1) के अन्तर्गत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, रेलवे, 1967 की एक प्रति। [पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 14/67]

(2) वर्ष 1965-66 के लिए विनियोग लेखे, रेलवे, भाग 1—समीक्षा, की एक प्रति। [पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 15/67]

(3) वर्ष 1965–66 के लिए विनियोग लेखे, रेलवे, भाग 2—विस्तृत विनियोग लेखे, की एक प्रति। [पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 16/67]

(4) वर्ष 1965–66 के लिए ब्लाक लेखे (ऋण लेखे सम्बन्धी पूंजी विवरणों सहित), सन्तुलन-पत्र तथा लाभ-हानि लेखे, रेलवे, की एक प्रति। [पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 17/67]

न्यूनतम मजूरी (केन्द्रीय) संशोधन नियम, आदि

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ल० ना० मिश्र) : श्री जयसुखलाल हाथी की ओर से मैं इन पत्रों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ :—

(1) न्यूनतम मजूरी अधिनियम, 1948 की धारा 30क के अन्तर्गत न्यूनतम मजूरी (केन्द्रीय) संशोधन नियम, 1967 की एक प्रति जो दिनांक 25 फरवरी, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 255 में प्रकाशित हुए थे।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 18/67]

(2) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 40 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या एस० ओ० 726 की एक प्रति जो दिनांक 4 मार्च, 1967 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा "लौह-अयस्क खनन" को उक्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची में जोड़ा गया।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 19/67]

भारतीय तार यन्त्र अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना

संसद कार्य तथा संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : डा० राम सुभग सिंह की ओर से मैं इन पत्रों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ :—

(1) भारतीय तार यन्त्र अधिनियम, 1885 की धारा 7 की उप धारा (5) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) भारतीय तार यंत्र (छठा संशोधन) नियम, 1966 जो दिनांक 3 दिसम्बर, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1827 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय तार यन्त्र (पहला संशोधन) नियम, 1967 जो दिनांक 11 फरवरी, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 164 में प्रकाशित हुए थे। [पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 20/67]

(2) तीसरी लोक-सभा के विभिन्न सत्रों में मन्त्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों, वचनों, तथा प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही बताने वाले निम्नलिखित विवरण :—

(एक) विवरण संख्या 1 और अनुपूरक विवरण संख्या 1 सोलहवां सत्र, 1966
(दो) अनुपूरक विवरण संख्या 2, 3, और 4 पंद्रहवां सत्र, 1966
(तीन) अनुपूरक विवरण संख्या 7 और 8 चौदहवां सत्र, 1966

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 21/67]

(चार) अनुपूरक विवरण संख्या 9 और 10 तेरहवाँ सत्र, 1965
(पाँच) अनुपूरक विवरण संख्या 11 बारहवाँ सत्र, 1965
(छः) अनुपूरक विवरण संख्या 16 ग्यारहवाँ सत्र, 1965
(सात) अनुपूरक विवरण संख्या 17 दसवाँ सत्र, 1965

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 22/67]

(आठ) अनुपूरक विवरण संख्या 17 नवाँ सत्र, 1964
(नौ) अनुपूरक विवरण संख्या 24 सातवाँ सत्र, 1964

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 23/67]

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना

विधि मन्त्री (श्री गोविन्द मेनन) : मैं इन पत्रों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ :—

(1) लोक-प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 28 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :-

(एक) निर्वाचकों का रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) नियम, 1966 जो दिनांक 15 दिसम्बर, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 3874 में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) निर्वाचकों का रजिस्ट्रीकरण (दूसरा संशोधन) नियम, 1966 जो दिनांक 24 दिसम्बर, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 3963 में प्रकाशित हुए थे ।

(2) लोक-प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 169 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत निर्वाचनों का संचालन (दूसरा संशोधन) नियम, 1966 की एक प्रति जो दिनांक 15 दिसम्बर, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 3875 में प्रकाशित हुए थे । [पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 24/67]

प्रसारण तथा सूचना माध्यम सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती नन्दिनी सत्पति) : श्री के० के० शाह की ओर से मैं निम्न पत्रों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखती हूँ :—

(1) रेडियो तथा टेलीविजन के बारे में प्रसारण तथा सूचना माध्यम सम्बन्धी समिति की अग्रेत्तर सिफारिशों पर (अंशत: स्वीकृत, संशोधित रूप में स्वीकृत अथवा अस्वीकृत सिफारिशों सहित) किये गये निर्णय बताने वाले विवरण की एक प्रति ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 25/67]

(2) प्रेस सूचना तथा प्रचार के बारे में प्रसारण तथा सूचना माध्यम सम्बन्धी समिति के प्रतिवेदन की एक प्रति । [पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 26/67]

भाण्डागार निगम का वार्षिक प्रतिवेदन

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री श्री (शिन्दे) : मैं निम्न पत्रों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ :—

(1) भाण्डागार निगम अधिनियम, 1962 की धारा 31 की उप-धारा (11) के अन्तर्गत वर्ष 1965–66 के लिये केन्द्रीय भाण्डागार निगम के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति, वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखा–परीक्षा प्रतिवेदन ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 27/67]

(2) धान कूटना उद्योग (विनियमन) अधिनियम, 1958 की धारा 22 की उप-धारा (4) के अन्तर्गत धान कूटना उद्योग (विनियमन तथा लाइसेंस देना) संशोधन नियम, 1967 की एक प्रति जो दिनांक 11 फरवरी, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 187 में प्रकाशित हुए थे ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 28/67]

(3) भाण्डागार निगम अधिनियम, 1962 की धारा 41 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत केन्द्रीय भाण्डागार निगम (संशोधन) नियम, 1967 की एक प्रति जो दिनांक 14 जनवरी, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 56 में प्रकाशित हुए थे। [पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 29/67]

(4) खाद्य निगम अधिनियम, 1964 की धारा 44 की उपधारा (3) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1831 की एक प्रति जो दिनांक 3 दिसम्बर, 1966 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा खाद्य निगम (आठवाँ संशोधन) नियम, 1966 में कतिपय संशोधन किये गये।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 30/67]

(5) अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उप-धारा (6) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) उर्वरक (नियंत्रण) पहला आदेश, 1967 जो दिनांक 28 जनवरी, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 125 में प्रकाशित हुआ था।

(दो) वनस्पति तेल उत्पाद नियन्त्रण (संशोधन) आदेश, 1967 जो दिनांक 4 फरवरी, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 155 में प्रकाशित हुआ था। [पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 31/67]

(6) कृषि उत्पाद उपकर अधिनियम, 1940 की धारा 4 के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना संख्या एस० ओ० 3882 की एक प्रति जो दिनांक 17 दिसम्बर, 1966 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 32/67]

विदेशियों का रजिस्ट्रीकरण (छूट) संशोधन आदेश, आदि

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी): मैं श्री विद्याचरण शुक्ल की ओर से निम्न पत्रों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ :—

(1) विदेशियों का रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1939 की धारा 6 के अन्तर्गत विदेशियों का रजिस्ट्रीकरण (छूट) संशोधन आदेश, 1967 की एक प्रति जो दिनांक 11 मार्च, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 334 में प्रकाशित हुआ था। [पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 33/67]

(2) मंत्रियों के वेतन तथा भत्ते अधिनियम, 1962 की धारा 11 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत मंत्रियों के (भत्ते, चिकित्सा तथा अन्य विशेषाधिकार) चौथा संशोधन नियम, 1966 की एक प्रति जो दिनांक 17 दिसम्बर, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1912 में प्रकाशित हुए थे।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 34/67]

(3) अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) अखिल भारतीय सेवायें (छुट्टी) दूसरा संशोधन नियम, 1966 जो दिनांक 17 दिसम्बर, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1914 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षा) पहला संशोधन नियम, 1967 जो दिनांक 21 जनवरी, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 67 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय प्रशासन सेवा (परिवीक्षा) पहला संशोधन नियम, 1967 जो दिनांक 28 जनवरी, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 101 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षा) दूसरा संशोधन नियम, 1967 जो दिनांक 28 जनवरी, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 102 में प्रकाशित हुए थे।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 35/67]

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव
MOTION OF THANKS ON THE PRESIDENT'S ADDRESS

श्री हनुमन्तैया (बंगलौर) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

"कि राष्ट्रपति की सेवा में इन शब्दों में समावेदन प्रस्तुत किया जाये :—

"कि इस सत्र में समवेत लोक-सभा के सदस्य राष्ट्रपति के उस अभिभाषण के लिये, जो कि उन्होंने 18 मार्च, 1967 को एक साथ समवेत संसद की दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की है, उनके अत्यन्त आभारी हैं।"

वास्तव में इस प्रस्ताव पर पहले चर्चा होनी चाहिये थी। परन्तु किसी कारण से अविश्वास प्रस्ताव को पहले ले लिया गया। उस पर चर्चा और मतदान के बाद अब प्रस्ताव पर शान्ति से चर्चा होगी। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव एक पवित्र और महत्वपूर्ण प्रस्ताव है। इस समय हमें दलगत राजनीति से ऊपर उठकर राष्ट्र के समक्ष समस्याओं पर विचार करना है।

चौथे सामान्य चुनाव समाप्त हो गये हैं। अब कई राज्यों में गैर–कांग्रेसी सरकारें बन गई हैं। कांग्रेस केन्द्र में सत्तारूढ़ दल है। इस प्रकार अब सभी दलों की जिम्मेदारी बढ़ गई है। हम सब को अपनी जिम्मेदारी ठीक प्रकार से निभानी है। मुझे समाचार पत्रों में यह देखकर बहुत प्रसन्नता हुई है कि प्रधान मन्त्री ने गैर–काँग्रेसी मुख्यमंत्रियों को शुभकामना तथा सहयोग के सन्देश भेजे हैं। इसी प्रकार की भावना से हमारे देश में लोकतन्त्र सफलता से चल सकता है। मद्रास में सत्ताधारी डी० एम० के० दल उपाध्यक्ष के पद की प्रतिपक्ष वालों को पेशकश की है। यह बहुत अच्छी बात है। इसी प्रकार प्रधान मन्त्री प्रतिपक्ष वालों का सुझाव मानकर पिछली लोक सभा का अन्तिम सत्र नहीं बुलाया। मैं चाहता हूँ कि इसी प्रकार के सहयोग की भावना से अध्यक्ष का चुनाव हो।

इस समय हमारी सबसे बड़ी समस्या आर्थिक व्यवस्था में गतिरोध है। इसका उल्लेख राष्ट्रपति के अभिभाषण तथा उप-प्रधान मन्त्री के कल के भाषण है। इस समस्या पर गम्भीरता से विचार करना होगा।

प्रतिपक्ष वालों ने 200 से अधिक संशोधन प्रस्तुत किये हैं। उनमें देश की वर्तमान समस्याओं को उठाया गया है। हमें इनके समाधान के लिये देश में कड़े परिश्रम का भावना को जागृत करना होगा।

कम से कम मजूरी निर्धारित करने के साथ-साथ हमें कम से कम काम भी निर्धारित करना चाहिये। कीमतों को कम करने की जिम्मेदारी केवल कांग्रेस की ही नहीं बल्कि प्रतिपक्ष वालों की भी है। हमें देश में हड़तालों और तालाबन्दियों को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिये। मुद्रास्फीति का यह भी एक कारण हैं। इंगलैंड में लेबर सरकार ने मजूरी पर रोक लगा दी है। हां, वहां पर कीमतों पर भी रोक लगा दी गई है। हमें भी इस बारे में सोचना चाहिये। और राष्ट्रहित के लिये कार्यवाही करनी चाहिये। हाल ही में राज्य सरकारों ने अपने कर्मचारियों का मंहगाई भत्ता बढ़ाया है। परन्तु यह समस्या का समाधान नहीं है। हम सब को चाहिये कि सरकार को इसके प्रयत्नों में पूरा-पूरा सहयोग दें। राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में प्रशासनिक सुधार आयोग का उल्लेख किया है। हमारे भूतपूर्व प्रधान मन्त्री स्वर्गीय श्री शास्त्री ने भी ऐसे आयोग के महत्व के बारे में बताया था और एक आयोग की स्थापना की थी। प्रधान मन्त्री ने चुनाव के बाद अपने रेडियो प्रसारण में इस आयोग के महत्व की बात की है। अब हमारे देश की प्रशासनिक व्यवस्था में परिवर्तन की बहुत अधिक आवश्यकता है। अपने कार्यक्रमों को ठीक प्रकार से कार्यान्वित करने से ही देश में स्थिति सुधर सकती है। उस आयोग ने अपनी अन्तरिम रिपोर्ट सरकार को दे दी है और उसका बहुत स्वागत किया गया है। कुछ दिन पहले मुझे इस आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। हमें आशा है कि हम देश के हित में कुछ कार्य कर सकेंगे। मैं चाहता हूँ कि योजना आयोग का पुनर्गठन हमारी रिपोर्ट पर विचार करने के बाद किया जाये। हमने एक अध्ययन दल की नियुक्ति की है। जो इस सम्बन्ध में शीघ्र ही अपनी रिपोर्ट देगा। बड़े-बड़े पदों पर नियुक्तियाँ करते समय व्यक्ति विशेष का ध्यान न रखकर देश के हितों का ध्यान रखा जाना चाहिये। आज हमारे समक्ष सबसे बड़ी समस्या आर्थिक सुव्यवस्था की है। भाषा का प्रश्न इसके बाद आता है। राष्ट्रपति के अभिभाषण में विद्यार्थियों के द्वारा राष्ट्रीय सेवा का उल्लेख है। सरकार को इस ओर ध्यान देना होगा।

सरकार द्वारा नियुक्त किये गये सिक्षा-सुधार आयोग ने कुछ सिफारिशें की हैं। मेरे विचार में हमारे भविष्य के लिए वे सिफारिशें सभी योजनाओं तथा परियोजनाओं से अधिक महत्वपूर्ण हैं क्योंकि इसमें साढ़े सात करोड़ व्यक्ति अन्तर्ग्रस्त हैं।

हमें सरकार का धन्यवाद करना चाहिए क्योंकि उसने एक ऐसी अच्छी योजना अनुमोदनार्थ हमारे सामने प्रस्तुत की है। हमें इस बात को सुनिश्चित करना है कि यह योजना हमारे सम्बन्धित क्षेत्रों में प्रभावशाली ढंग से लागू हो।

परिवार नियोजन का विचार बहुत अच्छा है। परन्तु यदि इनको नियमितरूप से लागू किया जाता है तो दस अथवा पन्द्रह वर्षों में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जायेगी जबकि काम करने वालों की अपेक्षा बूढ़े व्यक्तियों की संख्या बहुत अधिक होगी। इसलिये हमें परिवार नियोजन को इस ढंग से लागू करना है जिससे कि जनसंख्या में यह असंतुलन उत्पन्न न हो।

परिवार नियोजन सम्बन्धी मंत्री ने यह प्रस्ताव किया है कि विवाह की आयु 20 अथवा 22 वर्ष कर दी जाये, मैं ऐसे कई व्यक्तियों को जानता हूँ जिन्होंने अपने इन विचारों के कारण

विलम्ब से विवाह किया परन्तु बाद में उन्होंने इस विवाह पर खेद प्रगट किया। ऐसे ही एक व्यक्ति हमारे भूतपूर्व मंत्री श्री दासप्पा थे। प्रत्येक देश की अपनी जलवायु तथा सभ्यता है। आजकल अमरीका में भी जल्दी विवाह करने का फैशन हो गया है, परन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि मैं बाल-विवाह की वकालत कर रहा हूँ। परन्तु यदि विवाह की आयु को कानून द्वारा निर्धारित किया जाता है तो मैं कहना चाहता हूँ कि जनसंख्या में काम करने वालों तथा दूसरे लोगों में असंतुलन हो जायेगा। इसलिए मुझे आशा है कि माननीय मंत्री देश के वातावरण और परिस्थितियों पर शान्तिपूर्ण ढंग से विचार करके ही कोई पग उठायेंगे।

Shri Vishwanath Pandey (Salempur) I second the motion of thanks moved by Shri Hanumantayya . Our President is a great philospher and Scholar. He is respected al over the world. We are all grateful to him as he has summoned and adddressed the nelw Parliament having full regard for the feelings of the opposition parties. Some opposition parties have bycotted the President's address. This attitude of the opposition parties is against the principle democracy. It is the duty of each and every Member to sit in the House and listen to him as he is highest official of our country.

Our country adopted the path of democratic socialism under the leadership of late Shri Jawahar Lal Nehru after independence. The work for the development and progress of the country was initiated on the basis of Five Year Plans. Our aim was to provide happier life to everyone in the country. Afterwards Late Shri Lal Bahadur Shastri also followed the same principles. The Present Prime Minister is also working on the same principles i.e. non-aliginments democratic socialism, peaceful co-existence and secularism. Pt. Jawahar Lal Nehru also initiated mixed economy. Due to these principles and policies India has made sufficient progress in the industrial field. It is quite clear from the statistics that India has made much advance in the production of Iron and Steel and Coal. More land has been brought under cultivation after independence. More facilities are now available in the spheres of agriculture, health, and transportation and communication.

During the third Lok Sabha some unhappy happenings took place. Our two reverend Prime Ministers, Sarvashri Jawahar Lal Nehru and Lal Bahadur Shastri passed away. During the same period country had to face two external aggressions; one from China and other from Pakistan. We faced these aggressions with determination and courage.

We devalued our currency in the hope that there will be an improvement in our economy and export position and that our country will make further progress. Our country is still faced with many serious problems such as the problem of Nagas and Mizos. We hopu that our Government will solve these problems in a peaceful and democratic way.

President in his address has also mentioned the determination of the government to become self sufficient in foodgrains by 1971 and also to check the rise in prices. He has also mentioned to acclarate the economic development and not to depend on foreign aid after 1976. He has also impressed upon the need of co-operation between Centre and the States.

So far as the question of banning the cow slaughter is concerned, a committee has been set up to go through the economic and religious aspects of this question. It has been clearly mentioned in the address that nobody in or out side this House wants to continue the cow slaughter.

I have full confidence in the present Government and I do hope that our country will make further progress and its prestige will be enhanced amongst the world under the present leadership.

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ

"कि राष्ट्रपति की सेवा में निम्न शब्दों में समावेदन प्रस्तुतं किया जाये :—

"कि इस सत्र के समवेत लोक सभा के सदस्य राष्ट्रपति के उस अभिभाषण के लिए, जो कि उन्होंने 18 मार्च, 1967 को एक साथ समवेत संसद की दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की है, उनके अत्यन्त आभारी हैं।"

कई माननीय सदस्यों ने स्थानापन्न प्रस्ताव तथा संशोधन दिये हैं। मैं उनको पुकारूंगा !

श्री नम्बियार (तिरूचिरापल्लि) : यदि सभी संशोधनों को ग्रुप के नेता द्वारा प्रस्तुत किया दिखाया गया तो सदस्यों का कार्यवाही में व्यक्तिगतरूप से कहीं नाम नहीं आयेगा।

अध्यक्ष महोदय : प्रत्येक दल के प्रथम सदस्य तथा कुछ मामलों में दूसरे सदस्य को भी बोलने का अवसर दिया जायेगा। सदा से यही प्रक्रिया रही है। मैं प्रत्येक दल से निवेदन करूँगा कि वे एक-एक सदस्य का नाम मुझे दे दें। मैं बारी-बारी से एक सदस्य कांग्रेस दल तथा एक सदस्य विरोधी दलों से बुलाऊँगा।

श्री सुरेन्द नाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : इसके लिए कितना समय निर्धारित किया गया है ?

अध्यक्ष महोदय : सायंकाल मैं विरोधी दलों से मिलने के पश्चात् ही समय निर्धारित करूँगा। मेरे विचार में साधारणतया 20 घन्टे का समय पर्याप्त रहेगा। हम इस पर आज तथा परसों चर्चा करेंगे। इसके पश्चात् चर्चा 29 ता० तक स्थगित कर दी जायेगी क्योंकि मांगों तथा अन्य बातों पर विचार करना है। मोटे तौर पर 20 घन्टे समय दिया जायेगा। मैं ग्रुप नेताओं से निवेदन करूँगा कि वे मुझे नाम भेज दें।

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत हुए

संशोधन संख्या	प्रस्तावक का नाम	संक्षिप्त विषय
1	2	3
1.	**श्री नी० श्रीकान्तन नायर** :	कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :- "परन्तु खेद है कि केरल तथा कमी वाले अन्य राज्यों को स्पष्ट आश्वासन नहीं दिया गया है कि कमी वाले क्षेत्रों में खाद्यान्न की समूची आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए फालतू अनाज वाले राज्यों में अनाज की वसूली सख्ती से लागू की जायेगी।"
2.		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :- "परन्तु खेद है कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रम स्थापित करने तथा विकास सम्बन्धी अन्य योजनाओं के बारे में केरल के साथ भेदभाव समाप्त करने का कोई आश्वासन नहीं दिया गया है।"
3.		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :- "परन्तु खेद है कि कांग्रेस सरकार ने गत सोलह वर्षों में आयोजन में जो आधारभूत गलतियां की हैं उन्हें सुधारने के लिए किन्हीं स्पष्ट उपायों का प्रस्ताव नहीं किया गया है।"

1	2	3

4. **श्री यशपाल सिंह :** कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये :

"परन्तु खेद है कि :

(क) राजस्थान के राज्यपाल को हटाये जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है जिन्होंने कांग्रेस दल को सरकार बनाने का निमंत्रण देकर पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया है ;

(ख) विरोधी दल द्वारा यह प्रदर्शित करने पर भी कि राजस्थान विधान-सभा में उनका स्पष्ट बहुमत है, राजस्थान में राष्ट्रपति का शासन अभी तक प्रतिसंहृत नहीं किया गया है;

(ग) सरकार भारतीय भूमि से चीनी तथा पाकिस्तानी सेनाओं को निकालने का कार्यक्रम बनाने में असफल रही है ;

(घ) सरकार जनता को उचित मूल्यों पर पर्याप्त भोजन, कपड़ा तथा मकान देने में असफल रही है ; और

(ङ) सरकार अत्यावश्यक वस्तुओं की मूल्य वृद्धि रोकने में असफल रही है ।

35. **श्री आनन्द नम्बियार :** (क) राजस्थान में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा को तुरन्त समाप्त करने ।

(ख) मद्रास, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, त्रिपुरा, और जम्मू तथा काश्मीर सहित बहुत से राज्यों में निष्पक्षता तथा स्वतन्त्र चुनाव कराने की गारंटी देने ।

(ग) विशेषतया, मद्रास, केरल, पश्चिमी बंगाल और बिहार राज्यों के लोगों को उचित दरों पर चावल तथा अनाज को पर्याप्त मात्रा में देने ,

(घ) केन्द्रीय कर्मचारियों को जीवन निर्वाह मूल्य में हुई वृद्धि के अनुरूप पर्याप्त मंहगाई भत्ता देने ,

(ङ) सभी स्तरों पर बार-बार किये गये वायदों के बावजूद बहुत प्रचार किए गये भूमि सुधारों को क्रियान्वित करने ,

(च) कि आपात स्थिति तथा भारत रक्षा नियमों को समाप्त करके नागरिक स्वतंत्रता को पुर्नस्थापित करने में असफलता पर खेद व्यक्त करते हैं ।

45. **श्री बलराज मधोक :** कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में इन बातों का कोई उल्लेख नहीं है :—

(क) जम्मू तथा काश्मीर राज्य में निष्पक्ष और निर्बाध चुनाव सुनिश्चित करने में सरकार की असफलता ;

1	2	3
		(ख) राजस्थान में संविधान के शब्दार्थ तथा भावार्थ का आदर करने में सरकार की असफलता, जहां संयुक्त दल को, जिसे राजस्थान में स्पष्ट बहुमत प्राप्त है, सरकार बनाने का अवसर दिये बिना राष्ट्रपति का शासन लागू कर दिया गया है;
		(ग) जनता की आर्थिक दशा सुधारने के लिए किसी स्पष्ट नीति की रूपरेखा बनाने में सरकार की असफलता, विशेषकर उन लोगों की दशा, जिनका संबंध निश्चित आय वाले गुटों से है जो बढ़ते मूल्यों और वास्तविक मजूरी की दृष्टि से कम होती जा रही आय के कारण पिसे जा रहे हैं;
		(घ) गोवध रोकने, नाकारा पशुओं की संख्या को बढ़ने से रोकने और अलाभप्रद गऊओं और बैलों की नस्ल सुधार कर उन्हें लाभकारी बनाने के उपाय स्पष्ट रूप से निर्धारित करने में सरकार की असफलता ; और
		(ङ) पूर्वी क्षेत्र में नागा और मिजो विद्रोहियों द्वारा उत्पन्न की गयी समस्या के सम्बन्ध में किसी विशेष निर्देश के देने में सरकार की असफलता और वहां के कानून का आदर करने वाले नागरिकों के जीवन तथा उनकी सम्पत्ति की रक्षा करने में सरकार की असफलता ।
47. श्री आनन्द नम्बियार :		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :- "परन्तु खेद है कि सरकार आपातकालीन स्थिति का प्रतिसंहरण करने और देश के नागरिकों को सामान्य जीवन के अधिकार और विशेषाधिकार लौटाने में असफल रही है ।"
48.		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :- "परन्तु खेद है कि सरकार भारत के सभी लोगों को स्वीकार्य ठीक भाषा-नीति बनाने में असफल रही है और स्वर्गीय प्रधान मंत्री नेहरू द्वारा दिये गये आश्वासनों के आधार पर विधान बनाने में निरन्तर विलम्ब हुआ है ।"
49.		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :- "परन्तु खेद है कि देश की अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में जो संकट उत्पन्न हो गया है और बना हुआ है उसे दूर करने के लिए ठोस उपायों की रूपरेखा तैयार नहीं की गई है ।"
50.		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :- "परन्तु खेद है कि देश की तेजी से बिगड़ रही खाद्य स्थिति को सुधारने के लिए ठोस उपाय नहीं सुझाये गये हैं ।"

1	2	3
51.		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :- "परन्तु खेद है कि मूल्यों को स्थिर नहीं रखा जा सका है जिसके कारण देश के नगरों तथा गांवों में मध्यम तथा श्रमिक वर्ग के लाखों लोगों का जीवन स्तर तेजी से गिर रहा है।"
52.		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :- "परन्तु खेद है कि कर्मचारियों के निरन्तर विरोध तथा जनता की अस्वीकृति के बावजूद भी जीवन बीमा निगम तथा तेल कम्पनियों में स्वत: चालन (आटोमेशन) योजना को समाप्त नहीं किया गया है।"
53.		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :- "परन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में बहुत सी कपड़ा मिलों के निरन्तर बन्द रहने का कोई उल्लेख नहीं है तथा उन्हें फिर से चालू करने और सभी मजदूरों को फिर से रोजगार देने के लिए कार्यवाही करने में सरकार असफल रही है।"
54.		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :- "परन्तु खेद है कि अभिभाषण में सभी कपड़ा मिलों का एक सप्ताह के लिए और प्रत्येक सप्ताह में एक दिन के लिए अनिवार्य रूप से बन्द रखने का कोई उल्लेख नहीं है और इस प्रकार मिलें बन्द रखने के लिए बाध्य करने वाले आदेश का प्रतिसंहरण नहीं किया गया है।"
55.		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :- "परन्तु खेद है कि अभिभाषण में त्रिपुरा में छलपूर्वक हुए निर्वाचनों का कोई उल्लेख नहीं है।"
56		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :- "परन्तु खेद है कि केरल को दिये जाने वाले चावल पर से राज-सहायता वापस लेने और चावल पर फिर से राज-सहायता देने के लिये सरकार द्वारा केरल राज्य सरकार की प्रार्थना स्वीकार न किये जाने का राष्ट्रपति के अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है।"
57.		कि प्रस्ताव है कि अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :- "परन्तु खेद है कि विभिन्न राज्यों के विशेष रूप से पिछड़े हुए क्षेत्रों में निरंतर चले आ रहे पिछड़ेपन का और सरकार द्वारा उनका शीघ्रता से विकास करने के विशेष उपाय न किये जाने का अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है।"

1	2	3
58.		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :– "परन्तु खेद है कि श्रीलंका में भारत-मूलक लोगों की दशा का और भारत-श्रीलंका समझौते की साम्यपूर्ण क्रियान्विति में सरकार की असफलता का कोई उल्लेख नहीं है ।"
59.		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :– "परन्तु खेद है कि अभिभाषण में वियतनाम में अमरीकी साम्राज्यवाद की आक्रमणकारी कार्यवाहियों की स्पष्ट रूप से निन्दा नहीं की गई है और इसमें प्रेजिडेंट हो ची मिन्ह के चार बातों वाले शान्ति प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया गया है ।"
60.		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :– "परन्तु खेद है कि घोषणा नहीं की गयी है कि सरकार पी० एल० 480 फंड से भारत-अमरीकी प्रतिष्ठान बनाने के प्रस्ताव को समाप्त करने के लिए तत्काल कार्यवाही करेगी ।"
61.		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :– "परन्तु खेद है कि अभिभाषण में क्यूबा तथा उत्तर वियतनाम के साथ व्यापार करने के विरुद्ध सरकार पर अमरीकी दबाव की अवहेलना नहीं की गयी है ।"
62.		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :– "परन्तु खेद है कि शिक्षा की अधिक अच्छी पद्धति के लिए विद्यार्थियों के आन्दोलन का अभिभाषण में उल्लेख नहीं किया गया है तथा देशभर में पुलिस द्वारा क्रूरता के साथ गोली चलाये जाने और लाठी प्रहार करने की उसमें निन्दा नहीं की गयी है और न ही उसमें यह स्पष्ट घोषणा की गयी है कि पुलिस से शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश करने तथा उनकी पवित्रता भंग करने के लिए अब आगे से नहीं कहा जायेगा ।"
63.		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :– "परन्तु खेद है कि सरकार को ऋण मंजूर करने से पहले विश्व बैंक द्वारा अपनायी गयी चालों की अभिभाषण में निन्दा नहीं की गई है ।"
64.		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :– "परन्तु खेद है कि देश में अध्यापकों की दुर्दशा का तथा अध्यापकों की दशा सुधारने के लिए उपायों का अभिभाषण में उल्लेख नहीं किया गया है ।"

1	2	3
65.		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :– "परन्तु खेद है कि अभी तक पंचवर्षीय योजना के लिए संसद् का अनुमोदन प्राप्त करने में सरकार की विफलता का अभिभाषण में उल्लेख नहीं किया गया है।"
66.		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :– "परन्तु खेद है कि मजूरी संकुचन की सरकार की नीति की, जिसके फलस्वरूप जनसमुदाय के एक बहुत बड़े भाग के रहन-सहन का स्तर गिरा है, अभिभाषण में आलोचना नहीं की गयी है।"
67.		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :– "परन्तु खेद है कि भारत भूमि पर सी० आइ० ए० और उसके एजेंटों की बढ़ती हुई गतिविधियों पर ध्यान नहीं दिया गया है।"
68.		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :– "परन्तु खेद है कि केन्द्र में मन्त्रियों के स्तर पर बहुव्याप्त भ्रष्टाचार पर ध्यान नहीं दिया गया है।"
69.		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :– "परन्तु खेद है कि पहली तीन योजनाओं में भूमि सुधार को लागू नहीं किया जा सका और पिछले अनेक अवसरों पर दिये गये आश्वासनों के बावजूद भी किसानों को भूमि नहीं दी जा सकी।"
70.	**श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :**	कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :– "परन्तु खेद है कि अभिभाषण में राजनैतिक स्तर पर भ्रष्टाचार को रोकने के सम्बन्ध में किये गये उपायों का कोई उल्लेख, नहीं किया गया।"
71.		कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :– "परन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में मूल्यों की वृद्धि को रोकने के लिए उपायों का उल्लेख नहीं किया गया।"
72.		कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :– "परन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में दुर्भिक्ष तथा कमी की स्थिति पर काबू पाने और भूख से मौतों को रोकने के बारे में उपायों का कोई उल्लेख नहीं किया गया।"
73.		कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :– "परन्तु खेद है कि अभिभाषण में भारतीय जनता द्वारा विरोध के बावजूद भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन किये जाने के पश्चात् निर्यात बढ़ाने के लिये उपायों का उल्लेख नहीं किया गया।"

1	2	3
74.		कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :- "परन्तु खेद है कि कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्रों में भारतीय अर्थ-व्यवस्था में संकट को रोकने के लिए पर्याप्त तथा प्रभावकारी उपायों के बारे में अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं किया गया।"
75.		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :- "परन्तु खेद है कि आय में विषमता को दूर करने के लिए और समतापूर्ण समाज की स्थापना के लिए दृढ़ आर्थिक एवं सामाजिक उपाय करने के बारे में अभिभाषण में उल्लेख नहीं किया गया है।"
76.		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :- "परन्तु खेद है कि अभिभाषण में भारतीय जनता पर थोपे गये आयात के पूर्ण प्रतिसंहार और भारत प्रतिरक्षा नियमों के निरसन की आवश्यकता का उल्लेख नहीं किया गया है।"
77.		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :- "परन्तु खेद है कि अभिभाषण में बेरोजगारी की समस्या को, जो त्रुटिपूर्ण आयोजन के कारण बिगड़ती जा रही है, हल करने के उपायों का उल्लेख नहीं किया गया है।"
78.		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :- "परन्तु खेद है कि अभिभाषण में विदेशी सहायता विशेषकर खाद्यान्न की सहायता पर निर्भरता समाप्त करने के लिए प्रभाव-कारी उपायों का उल्लेख नहीं किया गया है।"
79.		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :- "परन्तु खेद है कि विस्तारवादी चीन और पाकिस्तान द्वारा आक्रमण कर के हथियाए गये भारतीय राज्य क्षेत्र को तुरन्त खाली कराने के उपायों का अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।"
80.		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :- "परन्तु खेद है कि भारत के श्रमजीवी वर्ग के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान के लिए उनके साथ समुचित व्यवहार करने के उपायों का अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।"
81.		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :- "परन्तु खेद है कि गत सामान्य निर्वाचन के संचालन में कांग्रेस दल द्वारा किये गये हस्तक्षेप के बारे में अभिभाषण में उल्लेख नहीं किया गया है।"

1	2	3
82.		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :- "परन्तु खेद है कि राजस्थान राज्य की जनता की इच्छाओं और उन के निर्णय के अनुसार राज्य में गैर-कांग्रेस सरकार को कायम करने के लिए राजस्थान में राष्ट्रपति की उद्घोषणा का तुरन्त प्रतिसंहरण करने के बारे में अभिभाषण में उल्लेख नहीं किया गया है।"
83.		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :- "परन्तु खेद है कि अभिभाषण में चौथे सामान्य चुनावों के पश्चात् कई राज्यों में गैर-कांग्रेसी सरकारों के बनने के कारण बदली हुई परिस्थिति में संघ और राज्य सरकारों में अच्छे सम्बन्ध स्थापित करने के लिए प्रभावकारी कदमों का कोई उल्लेख नहीं किया गया।"
84.		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :- "परन्तु खेद है कि अभिभाषण में बैंको तथा बीमा कम्पनियों जैसी ऋण देने वाली संस्थाओं का तथा विदेशी व्यापार का राष्ट्रीयकरण करने के लिए तात्कालिक कदमों का कोई उल्लेख नहीं किया गया।"
88. **शिवचन्द्र झा :**		"परन्तु खेद है कि अभिभाषण भारत के भीतर तथा भारत से बाहर की वर्तमान स्थिति की गतिशीलता का आभास देने में असफल रहा है।"
89. **शिवचन्द्र झा :**		"परन्तु खेद है कि अभिभाषण भारत की पंचवर्षीय योजना के नतीजों का उल्लेख करने में असफल रहा है।"
94. **श्री एस० कंडप्पन :**		"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में सलेम में इस्पात संयंत्र स्थापित करने के बारे में कोई उलेल्ख नहीं है।"
95. **श्री बी० कृष्णामूर्ति :**		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :- "परन्तु खेद है कि चीन के कारखानों के विशेषत: मद्रास राज्य में नेल्लिकुप्पन में ई, आई, डी० पैरी लिमिटेड को 1958-59, 1959-60, 1960-61 और 1961-62 में सप्लाई किये गये गन्ने के लिए, उनके द्वारा गन्ना उत्पादकों को अतिरिक्त गन्ना मूल्य दिये जाने के बारे में निदेश देने के लिए तत्काल कार्यवाही नहीं की गयी।"
96.		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :- "परन्तु खेद है कि 1-11-66 से चालू मौसम के लिए चीनी के कारखानों द्वारा गन्ने का संशोधित मूल्य अदा किये जाने के बारे में उन्हें निदेश देने वाला विधान पेश नहीं किया गया।"

1	2	3
97.		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :- "परन्तु खेद है कि कारखानों तक गन्ना ले जाने के लिए सड़क विकास सम्बन्धी निर्माण कार्यों को कार्यरूप देने के लिए राज्य सरकारों के साथ बराबर का खर्च नहीं किया गया।"
98.		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :- "परन्तु खेद है कि ग्रामीण जल-सम्भरण की विशेष योजनाओं को, जिन के लिए भारत सरकार ने तकनीकी तौर पर मंजूरी दे दी है, कार्यरूप देने के लिए मद्रास सरकार को अभी तक समूची राशि नहीं दी है।"
99.		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :- "परन्तु खेद है कि मद्रास राज्य को पर्याप्त मात्रा में उर्वरक नहीं दिये गये हैं जिस के परिणाम-स्वरूप अनाज का उत्पादन कम हुआ है।"
100.		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :- "परन्तु खेद है कि सड़कें न बनाने और काजू उद्योग में काम करने वाले श्रमिकों की स्थिति में सुधार न करने से काजू बागान की स्थिति में सुधार करने में असफलता रही है।"
101.		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :- "परन्तु खेद है कि नीवेली लिग्नाइट कारपोरेशन के कर्मचारियों के साथ मजूरी, मंहगाई भत्ते एवं बोनस के बारे में मैत्रीपूर्ण समझौता नहीं किया गया।"
102.	**श्री निर्मल चन्द्र चटर्जी :**	कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :- "परन्तु खेद है कि अभिभाषण में राजनैतिक स्तर पर भ्रष्टाचार को रोकने के सम्बन्ध में दिये गये उपायों का कोई उल्लेख नहीं किया गया।"
103.		कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :- "परन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में मूल्यों की वृद्धि को रोकने के लिए उपायों का उल्लेख नहीं किया गया।"
104.		कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :- "परन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में दुर्भिक्ष तथा कमी की स्थिति पर काबू पाने और भूख से मौतों को रोकने के बारे में उपायों का कोई उल्लेख नहीं किया गया।"

1	2	3
105.		कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :- "परन्तु खेद है कि अभिभाषण में भारतीय जनता द्वारा विरोध के बावजूद भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन किये जाने के पश्चात् निर्यात बढ़ाने के लिए उपायों का उल्लेख नहीं किया गया।"
106.		कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :- "परन्तु खेद है कि कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्रों में भारतीय अर्थ-व्यवस्था में संकट को रोकने के लिए पर्याप्त तथा प्रभावकारी उपायों के बारे में अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं किया गया।"
107.		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :- "परन्तु खेद है कि आय में विषमता को दूर करने के लिए और समतापूर्ण समाज की स्थापना के लिए दृढ़ आर्थिक एवं सामाजिक उपाय करने के बारे में अभिभाषण में उल्लेख नहीं किया गया है।"
108.		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :- "परन्तु खेद है कि अभिभाषण में भारतीय जनता पर थोपे गये आपात के पूर्ण प्रतिसंहार और भारत प्रतिरक्षा नियमों के निरसन की आवश्यकता का उल्लेख नहीं किया गया है।"
109.		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :- "परन्तु खेद है कि अभिभाषण में बेरोजगारी की समस्या जो, भी त्रुटिपूर्ण आयोजन के कारण बिगड़ती जा रही है, हल करने के उपायों का उल्लेख नहीं किया गया है।"
110.		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :- "परन्तु खेद है कि अभिभाषण में विदेशी सहायता विशेषकर खाद्यान्न की सहायता पर निर्भरता समाप्त करने के लिए प्रभावकारी उपायों का उल्लेख नहीं किया गया है।"
111.		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :- "परन्तु खेद है कि विस्तारवादी चीन और पाकिस्तान द्वारा आक्रमण करके हथियाए गए भारतीय राज्य क्षेत्र को तुरन्त खाली कराने के उपायों का अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।"
112.		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :- "परन्तु खेद है कि भारत के श्रमजीवी वर्ग के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान के लिए उनके साथ समुचित व्यवहार करने के उपायों का अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।"

1	2	3
113.		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :– "परन्तु खेद है कि गत सामान्य निर्वाचन के संचालन में कांग्रेस दल द्वारा किये गये हस्तक्षेप के बारे में अभिभाषण में उल्लेख नहीं किया गया है ।"
114.		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :– "परन्तु खेद है कि राजस्थान राज्य की जनता की इच्छाओं और उनके निर्णय के अनुसार राज्य में गैर-कांग्रेस सरकार को कायम करने के लिए राजस्थान में राष्ट्रपति की उद्घोषणा का तुरन्त प्रतिसंहरण करने के बारे में अभिभाषण में उल्लेख नहीं किया गया है ।"
115.		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :– "परन्तु खेद है कि अभिभाषण में चौथे सामान्य चुनावों के पश्चात् कई राज्यों में गैर-कांग्रसी सरकारों के बनने के कारण बदली हुई परिस्थिति में संघ और राज्य सरकारों में अच्छे सम्बन्ध स्थापित करने के लिए प्रभावकारी कदमों का कोई उल्लेख नहीं किया गया।"
116.		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :– "परन्तु खेद है कि अभिभाषण मे बैंकों तथा बीमा कम्पनियों जैसी ऋण देने वाली संस्थाओं का तथा विदेशी व्यापार का राष्ट्रीयकरण करने के लिए तात्कालिक कदमों का कोई उल्लेख नहीं किया गया।"
125.	**श्री जाजं फरनेन्डीज** :	कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :– "परन्तु खेद है कि अभिभाषण में विशेष नीतियां तथा कार्यक्रम नहीं दिये गये हैं ।"
126.		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :– "परन्तु खेद है कि अभिभाषण में उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्यों में कमी करने का कोई उल्लेख नहीं है ।"
127.		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :– "परन्तु खेद है कि ऐसी सारी भूमि को, जहां सिंचाई सम्भव है, सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराने की आवश्यकता का अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है ।"
128.		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :– "परन्तु खेद है कि कृषि तथा औद्योगिक उत्पाद के मूल्यों में समता लाने की आवश्यकता का अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है ।"

1	2	3
129.		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :– "परन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बात का उल्लेख नहीं किया गया कि सभी ग्रामीण बेकारों की एक ऐसी भूमि सेना बनाई जाये जो कृषि-योग्य सारी भूमि में खेती करे।"
130.		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :– "परन्तु खेद है कि बहुत बड़े पैमाने पर शिक्षा के सरकारी तथा स्वैच्छिक कार्यक्रम द्वारा देश में निरक्षरता दूर करने की आवश्यकता के बारे में अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।"
131.		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :– "परन्तु खेद है कि विशेषाधिकृत वर्गों के लिए सभी स्कूलों को समाप्त कर देश में प्राथमिक शिक्षा को एक रूप बनाने की आवश्यकता के बारे में अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।"
132.		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :– "परन्तु खेद है कि मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने की आवश्यकता के बारे में अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।"
133.		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :– "परन्तु खेद है कि अभिभाषण में सरकारी और गैर-सरकारी स्कूलों के अध्यापकों की दशा सुधारने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।"
134.		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :– "परन्तु खेद है कि सरकारी पहल द्वारा तथा श्रम सम्बन्धी गहन आयोजन द्वारा देश में बेरोज़गारी दूर करने की आवश्यकता के बारे में अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।"
135.		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :– "परन्तु खेद है कि व्यक्तिगत खर्च पर 1500 रुपये की उच्चतम सीमा निश्चित करने की आवश्यकता के बारे में अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।"
136.		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :– "परन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि मंत्रियों, सरकारी अधिकारियों, सरकारी ठेकेदारों तथा राजनीतिज्ञों और उनके सम्बन्धियों द्वारा पिछले 20 वर्षों में सरकारी

1	2	3
		शक्ति के प्रयोग द्वारा अथवा अवैध और अनुचित तरीकों से अर्जित धन की जांच करने के लिए एक आयोग स्थापित की आवश्यकता है और ऐसे अनुचित ढंग से अर्जित धन को जब्त किया जाये।"
137.		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :- "परन्तु खेद है कि अभिभाषण में भारत में विदेशी शक्तियों की 'एजेन्सियों' की गतिविधियों की जाँच करने का कोई उल्लेख नहीं है।"
138.		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :- "परन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में चौथे सामान्य निर्वाचनों के दौरान पी० एल० 480 निधि के प्रयोग की जांच करने का कोई उल्लेख नहीं है।"
139.		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :- "परन्तु खेद है कि अभिभाषण में भारतीय जनता के बहुत बड़े भाग को औषधि और चिकित्सा सेवाएँ प्रदान करने का कोई उल्लेख नहीं है।"
140.		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :- "परन्तु खेद है कि अभिभाषण में गैर-सरकारी और सरकारी उद्योगों की उत्पादन-क्षमता बढ़ाने के लिए इसका पुनर्गठन करने और इसे विश्व की मण्डियों में प्रतियोगितात्मक वस्तुओं का निर्माण करने योग्य बनाने का कोई उल्लेख नहीं है।"
141.		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये; अर्थात् :- "परन्तु खेद है कि अभिभाषण में गुप्त मत के आधार पर कार्मिक संघों की मंजरी की व्यवस्था करने का कोई उल्लेख नहीं है।"
142.		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :- "परन्तु खेद है कि अभिभाषण में विज्ञान को नौकरशाही और पक्षपात के पंजों से छुड़ा कर विकसित करने का कोई उल्लेख नहीं है।"
143.		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :- "परन्तु खेद है कि अभिभाषण में बड़े पैमाने पर आवास कार्यक्रम के आरम्भ करने और आवास स्थानों के किराये घटा कर एक रुपया प्रति वर्ग गज तक लाने का कोई उल्लेख नहीं है।"

1	2	3
144.		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :- "परन्तु खेद है कि अभिभाषण में जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में ऊँचे पदों का 60 प्रतिशत भाग पिछड़े वर्गों हरिजनों, आदिवासियों, महिलाओं तथा अल्पसंख्यक जातियों के लिए आरक्षित रख कर उन्हें विशेष अवसर देने का कोई उल्लेख नहीं है।"
145.		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :- "परन्तु खेद है कि अभिभाषण में अनिवार्य फौजी भर्ती आरम्भ करके सशस्त्र सेनाओं के गठन की रूपरेखा में आमूल परिवर्तन करने का कोई उल्लेख नहीं है।"
146.		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :- "परन्तु खेद है कि अभिभाषण में उस भारतीय राज्य क्षेत्र को, जो इस समय चीन या पाकिस्तान के अधिकार में है, फिर से प्राप्त करने का उल्लेख नहीं है।"
147.		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :- "परन्तु खेद है कि अभिभाषण में विश्व में निश्शस्त्रीकरण एवं दरिद्रता के उन्मूलन जो कि एक ही विषय के दो पहलू हैं के सम्बन्ध में अन्तर्राष्ट्रीय जनमत तैयार करने का उल्लेख नहीं है।"
148.		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :- "परन्तु खेद है कि अभिभाषण में दक्षिण अफ्रीका, रोडेशिया तथा इसी प्रकार के अन्य देशों में जातीय असमानता के प्रश्नों के बारे में प्रभावशाली कदम उठाने का कोई उल्लेख नहीं है।"
149		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :- "परन्तु खेद है कि अभिभाषण में भारत तथा पाकिस्तान को मिलाने का इनका महा संघ बनाने का कोई उल्लेख नहीं है।"
150		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :- "परन्तु खेद है कि अभिभाषण में हमारे विद्यार्थियों के जीवन में नये आदर्शवाद के विस्तार को समाविष्ट करने का कोई उल्लेख नहीं है।"
151		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :- "किन्तु खेद है कि अभिभाषण में क्षेत्र सम्बन्धी पानी तथा विद्युत शक्ति के बटवारे बड़े उद्योगों की स्थापना आदि जैसे अन्तर्राज्यीय

1	2	3
		विवादों को हल करने के लिए किसी स्थाई व्यवस्था की स्थापना का कोई उल्लेख नहीं है।"
152.		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :- "किन्तु खेद है कि अभिभाषण में राजस्थान में राष्ट्रपति के शासन को समाप्त करने तथा उस राज्य में लोकप्रिय सरकार बनाने का उल्लेख नहीं है।"
153.		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :- 'किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश के विशेषतया बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, दिल्ली आदि महानगरों में नगरीयकरण से उत्पन्न समस्याओं के अध्ययन के लिए किसी प्राधिकार की स्थापना करने का उल्लेख नहीं है।"
154.		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :- "किन्तु खेद है कि अभिभाषण में उर्दू भाषा को हर क्षेत्र में उपयुक्त स्थान देने का उल्लेख नहीं है।"
155.		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :- "किन्तु खेद है कि अभिभाषण में गो-वध पर रोक लगाने के सम्बन्ध में संविधान के उपबन्धों को लागू करने का उल्लेख नहीं है।"
156.		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :- "किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बैंकों के राष्ट्रीयकरण का उल्लेख नहीं है।"
157.		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :- "किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश के ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए कुओं तथा नलों से पीने के स्वच्छ जल की व्यवस्था करने का उल्लेख नहीं है।"
158.		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :- "किन्तु खेद है कि अभिभाषण में भारतीय रेलवे की वातानुकूलित, पहले तथा दूसरे दर्जे की यात्रा को समाप्त करने तथा एक समान तीसरे दर्जे की यात्रा चालू करने एवं रेल यात्रियों को और अधिक सुविधा देने की व्यवस्था करने का उल्लेख नहीं है।"
159.		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :- "किन्तु खेद है कि अभिभाषण में उच्च सार्वजनिक पदों वाले लोगों द्वारा शान-शौकत के प्रदर्शन को समाप्त करने का उल्लेख नहीं है।"

1	2	3
160.	श्री राजाराम :	कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :- "परन्तु खेद है कि सलेम में एक इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए की गयी कार्यवाही का अभिभाषण में उल्लेख नहीं किया गया है ।"
161.		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :- "परन्तु खेद है कि भ्रष्टाचार समाप्त करने और मूल्य-वृद्धि रोकने के लिये ठोस कार्यवाही करने का अभिभाषण में उल्लेख नहीं है ।"
162.		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :- "परन्तु खेद है कि चौथे सामान्य निर्वाचन के पश्चात् कई राज्यों में गैर-कांग्रेसी सरकारें बनने के कारण बदली हुई परिस्थितियों में केन्द्रीय और राज्य सरकारों में अच्छा सम्बन्ध स्थापित करने के लिए प्रभावी कार्यवाही करने का अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है ।"
163.		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :- "परन्तु खेद है कि ऋण देने वाली संस्थाओं जैसे बैंकों और बीमा कम्पनियों के राष्ट्रीयकरण के लिये कार्यवाही करने का अभिभाषण में उल्लेख नहीं है ।"
164.		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :- "परन्तु खेद है कि विदेशों को हाथ-करघे पर बनी वस्तुओं के निर्यात-संवर्धन के लिए उपायों का अभिभाषण में उल्लेख नहीं किया गया है ।"
165.		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :- "परन्तु जीवन बीमा निगम और तेल कम्पनियों में यंत्रीकरण की योजना को कर्मचारियों के निरन्तर विरोध करने और जनता द्वारा निरन्तर नापसन्द करने के बावजूद भी समाप्त न करने पर खेद है ।"
166.		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :- "परन्तु खेद है कि श्रीलंका में भारत-मूलक व्यक्तियों की दशा का और भारत-श्रीलंका समझौते की सम्यक क्रियान्विति सुनिश्चित करने में सरकार की असफलता का अभिभाषण में उल्लेख नहीं है ।"
167.		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :- "परन्तु अभी तक पंचवर्षीय योजना का संसद् द्वारा अनुमोदन कराने में सरकार की विफलता पर खेद है ।"

1	2	3

168. **श्री के० अंबझगन** : कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"परन्तु खेद है कि अहिन्दी-भाषाभाषी लोगों को पंडित नेहरू द्वारा दिये गये आश्वासन को कार्यान्वित करने के लिये भारत के संविधान में संशोधन करने के लिये कार्यवाही करने में और देश की सभी राष्ट्रीय भाषाओं को समान दर्जा देने में सरकार की विफलता का अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है ।"

169. **श्री वी० कृष्णमूर्ति गौंडर** : कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"परन्तु खेद है कि पिछड़े क्षेत्रों में गरीब जनता के जीवन के न्यूनतम स्तर तक मूल्यों को बनाये रखने में सरकार विफल रही है ।"

170. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"परन्तु खेद है कि भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री जवाहर लाल नेहरू, द्वारा संघ की राजभाषा के बारे में दिये गये महत्वपूर्ण आश्वासन को कार्यान्वित करने के लिए संविधान में संशोधन करने में सरकार विफल रही है ।"

171. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"परन्तु खेद है कि श्रीलंका में भारत मूलक लोगों की स्थिति के बारे में तथा भारत-श्रीलंका समझौते के क्रियान्वयन के बारे में अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।"

172. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

परन्तु खेद है कि जीवन बीमा निगम तथा तेल कम्पनियों में यंत्रीकरण की नीति के परित्याग के बारे में अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

173. **श्री हीरेन्द्र नाथ मुकर्जी** : कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"परन्तु खेद है कि देश में सभी अत्यावश्यक वस्तुओं के निरन्तर बढ़ते हुए मूल्यों में कमी लाने के लिए प्रभावकारी उपायों का अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है।"

174. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"परन्तु खेद है कि बिहार, उत्तर प्रदेश तथा अन्य राज्यों के अकाल एवं दुर्लभता की स्थिति का निवारण करने और लोगों को भुखमरी से बचाने के लिए की गयी या की जाने वाली कार्यवाहियों का अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है।"

1	2	3
175.	कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :— "परन्तु खेद है कि राजनीतिक स्तर पर भ्रष्टाचार को रोकने तथा उसका उन्मूलन करने के लिए की गयी कार्यवाही का अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है ।"	
176.	कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :— "परन्तु खेद है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के कृषि तथा औद्योगिक दोनों क्षेत्रों में बढ़ते हुए संकट को रोकने के लिए प्रभावकारी एवं पर्याप्त उपायों का अभिभाषण में उल्लेख नहीं किया गया है ।"	
177.	कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :— "परन्तु खेद है कि शासक दल द्वारा सामान्य निर्वाचन में बरती गयी स्पष्ट अनियमितताओं का अभिभाषण में उल्लेख नहीं किया गया है ।"	
178.	कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :— "परन्तु खेद है कि आपात काल का प्रतिसंहरण करने तथा भारत प्रतिरक्षा नियमों का पूर्णतया निरसन करने की आवश्यकता का अभिभाषण में उल्लेख नहीं किया गया है ।"	
179.	कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :— "परन्तु खेद है कि देश में बढ़ती हुई बेरोज़गारी की समस्या को रोकने तथा उसे हल करने के लिये प्रभावकारी कार्यवाहियों का अभिभाषण में उल्लेख नहीं किया गया है ।"	
180.	कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :— "परन्तु खेद है कि सरकारी तथा गैर-सरकारी दोनों क्षेत्रों में श्रमिक वर्ग की वास्तविक मजूरी में कमी का अभिभाषण में उल्लेख नहीं किया गया है ।"	
181.	कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :— "परन्तु खेद है कि विदेशी सहायता पर निर्भरता, विशेषतया खाद्यान्नों के मामले में, समाप्त करने के लिए प्रभावकारी उपायों का अभिभाषण में उल्लेख नहीं किया गया है ।"	
182.	कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :— "परन्तु खेद है कि राजस्थान राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति की उद्घोषणा का तुरन्त प्रतिसंहरण करने के विषय में अभिभाषण में उल्लेख नहीं किया गया है ।"	

1	3	3
183.	कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :— "परन्तु खेद है कि केन्द्र तथा राज्यों के भावी सम्बन्धों विशेषतया उन राज्यों के साथ जहां गैर–कांग्रेसी सरकारें बनाई गयी हैं, के बारे में अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।"	
184.	कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :— "परन्तु खेद है कि जीवन बीमा निगम, तेल उद्योग आदि में यन्त्रीकरण करने (आटोमेशन), जिसके परिणामस्वरूप रोजगार क्षमता कम होती है तथा बेरोजगारी बढ़ती है, की निरर्थकता का अभिभाषण में उल्लेख नहीं किया गया है।"	
185.	कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :— "परन्तु खेद है कि केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के कर्मचारियों के मंहगाई भत्तों में समता लाने के प्रश्न का अभिभाषण में उल्लेख नहीं किया गया है।"	
186.	कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :— "परन्तु खेद है कि चौथी योजना के लिए पर्याप्त संसाधन जुटाने के हेतु बैंकों, सामान्य बीमा, विदेशी कम्पनियों तथा आयात-निर्यात व्यापार का राष्ट्रीकरण करने के बारे में सरकार के इरादे का अभिभाषण में उल्लेख नहीं किया गया है।"	
187.	कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :— "परन्तु खेद है कि विभिन्न प्रादेशिक भाषाओं के विकास, विशेषतया उर्दू के विकास के बारे में अभिभाषण में उल्लेख नहीं किया गया है।"	
188.	कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :— "परन्तु खेद है कि संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा उत्तर वियतनाम पर बमबारी को तुरन्त समाप्त करने की दिशा में सरकार द्वारा की गयी कार्यवाहियों का अभिभाषण में उल्लेख नहीं किया गया है।"	
189.	कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :— "परन्तु खेद है कि देश में एकाधिकार को समाप्त करने के लिए प्रभावकारी उपाय करने के बारे में अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।"	

1	2	3
190.		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :— "परन्तु खेद है कि सामान्य निर्वाचन के दौरान पी एल–480 निधियों के दुरुपयोग की जांच करने के सरकार के इरादे का अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं किया गया है ।"
191.		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :— "परन्तु खेद है कि भारत की भूमिहीन जनता को भूमि देने के लिए किये गये उपायों का अभिभाषण में उल्लेख नहीं किया गया है ।"
192.		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :— "परन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बात का उल्लेख नहीं किया गया है कि प्रशासनिक भ्रष्टाचार को कैसे समाप्त किया जा सकता है ।"
193.		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :— "परन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बात का उल्लेख नहीं किया गया है कि सत्तारूढ़ दल ने उत्तर प्रदेश में सरकार कैसे बनाई है ।"
194.		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :— "परन्तु खेद है कि मूल्यों में वृद्धि को रोकने तथा सामयिक वितरण करने के लिये प्रभावकारी उपायों का, जिसमें खाद्यान्नों में राज्य द्वारा व्यापार भी शामिल है, अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं किया गया है ।"
195.		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :— "परन्तु खेद है कि केरल, पश्चिमी बंगाल तथा बिहार को पर्याप्त मात्रा में चावल और गेहूँ देने की आवश्यकता का अभिभाषण में उल्लेख नहीं किया गया है ।"
196.		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :— "परन्तु खेद है कि सरकारी अथवा गैर-सरकारी क्षेत्र के किसी भी उद्योग में वैसे ही वैकल्पिक रोजगार की व्यवस्था किये बिना छंटनी करने पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाने के बारे में अभिभाषण में उल्लेख नहीं किया गया है ।"

1	2	3
197.		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :— "परन्तु खेद है कि देश में सी० आई० ए० तथा उनके एजेन्टों की गतिविधियों का अभिभाषण में उल्लेख नहीं किया गया है।"
198.		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :— "परन्तु खेद है कि कपास के उपलब्ध होने के बावजूद कपड़े की मिलों के प्रत्येक सप्ताह में एक दिन बन्द रखे जाने के बारे में अभिभाषण में उल्लेख नहीं किया गया है।"
199.		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :— "परन्तु खेद है कि शिक्षा प्रणाली में सुधार करने तथा विद्यार्थियों में व्याप्त नैराश्य को दूर करने के लिये किये जाने वाले प्रभावी उपायों का अभिभाषण में उल्लेख नहीं किया गया है तथा इसमें देश-भर में विद्यार्थियों, अध्यापकों और अन्य शान्तिपूर्ण नागरिकों पर पुलिस द्वारा निर्दयता से गोली चलाये जाने तथा लाठी चार्ज किये जाने की भी निंदा नहीं की गई है।"
200.		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :— "परन्तु खेद है कि देश में सभी अध्यापकों की दुःखद दशा का तथा उनका दर्जा बढ़ाने के लिये उपायों का अभिभाषण में उल्लेख नहीं किया गया है।"
201.	श्रीरामावतार शास्त्री :	कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :— "परन्तु खेद है कि बिहार, उत्तर प्रदेश तथा अकाल-ग्रस्त दूसरे राज्यों की जनता को उसकी आवश्यकता की पूर्ति के लिए निश्चित मात्रा में खाद्यान्न का संभरण करने का अभिभाषण में उल्लेख नहीं किया गया है।"
202.		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :— "परन्तु खेद है कि पटना शहर तथा बिहार के अन्य जिलों में व्याप्त भीषण पेय जल-संकट को हल करने की दिशा में भारत सरकार की किसी योजना का अभिभाषण मे उल्लेख नहीं किया गया है।"
203.		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :— "परन्तु खेद है कि बिहार, पश्चिमी बंगाल, केरल तथा अन्य राज्यों में गठित गैर-कांग्रेसी सरकारों के जनहित सम्बन्धी कार्यों के समर्थन में कुछ भी उल्लेख करने में सरकार विफल रही है।"

1	2	3
204.		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :— "परन्तु खेद है कि सरकार राष्ट्रीय-स्तर पर नागरिक अधिकारों की रक्षा करने में सर्वथा विफल रही है जिसके फलस्वरूप हमारा जनतंत्र मजबूत होने के बजाय कमजोर हुआ है।"
205.		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :— "परन्तु खेद है कि कांग्रेस द्वारा की गई अपने राज्य के पिछले 20 वर्षों में समाजवादी समाज बनाने की घोषणा के बावजूद एक ओर देश में गरीबी बहुत बढ़ती जा रही है तथा दूसरी ओर धनी लोग और अधिक धनी बनते जा रहे हैं यानी गरीबी और अमीरी के बीच खाई घटने के बदले और ज्यादा बढ़ती जा रही है।"
206.		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :— "परन्तु खेद है कि सरकारी योजनाओं को कार्यान्वित करने में जन-सहयोग सर्वथा अभाव का अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।"
207.		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :— "परन्तु खेद है कि अनाज पैदावार बढ़ाने के लिए सरकारी परती जमीन तथा बड़े-बड़े जमींदारों (जमीन मालिकों) के पास सिमटी जमीनों को खेतिहर मजूदरों एवं गरीब किसानों के बीच निःशुल्क बाँटने की आवश्यकता का अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।"
208.		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :— "परन्तु खेद है कि सिंचाई योजनाओं के नाम पर खर्च की गयी धन-राशि के अपव्यय का अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।"
209.		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :— "परन्तु खेद है कि पैदावार के मामले में आत्म-निर्भरता के नारे को अमली जामा पहनाने में विफलता का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।"
210.		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :— "परन्तु खेद है कि कीमतें बढ़ाने में गल्लाचोरों, जखीरेबाजों एवं मुनाफाखोरों की जन-विरोधी कार्यवाहियों का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।"

1	2	3
211.		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये अर्थात् :— "परन्तु गल्लाचोरों, जखीरेबाजों तथा मुनाफाखोरों के विरुद्ध कोई भी कार्यवाही करने का कोई उल्लेख नहीं किया गया है ।"
212.		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :— "परन्तु खेद है कि कीमतें स्थिर करने के लिए आवश्यक खाद्य वस्तुओं के मूल्य निर्धारित करने सम्बन्धी उपायों का कोई उल्लेख नहीं किया गया है ।"
213.		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :— "परन्तु खेद है कि चीजों की कीमतों में कमी लाने तथा मुनाफाखोरी एवं गल्लाचोरी को रोकने के लिए बैंकों के राष्ट्रीयकरण करने की घोषणा का अभाव है ।"
214.		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :— "परन्तु खेद है कि देश में सभी स्तरों पर व्याप्त भ्रष्टाचार को रोकने के लिए एक सर्व अधिकार सम्पन्न भ्रष्टाचार निरोध आयोग का गठन करने में असफलता का उल्लेख नहीं किया गया है ।"
215.		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :— "परन्तु खेद है कि विभिन्न राज्यों को अपने अराजपत्रित-कर्मचारियों को भारत सरकार के कर्मचारियों को मिलने वाले मंहगाई भत्ते के बराबर मंहगाई भत्ता देने में समर्थ करने हेतु उनको विशेष आर्थिक सहायता प्रदान करने का अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं किया गया है ।"
216.		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :— "परन्तु खेद है कि बीमा कर्मचारियों को आटोमेशन प्रणाली चालू करके बेकार बनाने की योजना का अन्त करने में असफलता का कोई उल्लेख नहीं किया गया है ।"
217.		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :— "परन्तु खेद है कि पटना तथा इसी प्रकार के अन्य शहरों के केन्द्रीय कर्मचारियों को विशेष सुविधा प्रदान करने के लिए उन शहरों को 'बी' श्रेणी में रखने की घोषणा न करने की असफलता का कोई उल्लेख नहीं किया गया है ।"

1	2	3
218.		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :— "परन्तु खेद है कि भारत सरकार ने वियतनाम पर चल रहे बर्बर अमरीकी हमले की निन्दा दो टूक शब्दों में अब तक नहीं की है तथा उत्तरी वियतनाम की समाजवादी सरकार की चार-सूत्री मांगों का समर्थन नहीं किया है।"
219.		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :— "परन्तु खेद है कि भारत सरकार अपनी युद्ध-विरोधी, शान्तिपक्षी गुलाम देशों की जनता के स्वतन्त्रता संग्रामों का बेहिचक समर्थन, गुट निर्पेक्षता एवं सह-अस्तित्व की नीति को कारगर ढंग से लागू करने में असफल रही है तथा ऐन मौके पर या तो उसने अमरीकी साम्राज्यवादियों का साथ दिया है या ढुलमुल नीति का अनुसरण किया है।"
220. श्री मो० रू० मसानी		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :— "परन्तु खेद है कि अभिभाषण में सरकार की आर्थिक नीतियों की नितान्त विफलता को स्वीकार नहीं किया गया है, चौथी पंचवर्षीय योजना को, जो पहले ही बदनाम है हर प्रकार से जारी रखने की इच्छा प्रकट की गई है और इसमें फिर से करारोपण और ऋण लेने में कमी करके विनियोजन के लिए तथा औद्योगिक एवं कृषि उत्पादन और निर्यात के लिए कोई प्रस्ताव नहीं रखे गये हैं, इसमें घाटे की अर्थ-व्यवस्था एवं स्फीतीकारी अन्य नीतियों को समाप्त करने, सरकारी खर्च में बहुत किफायत करने और नियंत्रणों, लाइसेंसों परमिटों और कोटे की हानिकारक व्यवस्था को उत्तरोत्तर समाप्त करने का कोई उल्लेख नहीं है।"
221.		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :— "परन्तु खेद है कि अभिभाषण में रूप में यह नहीं माना गया है कि कृषि को उच्चतम प्राथमिकता देने और कृषि सम्बन्धी नीतियों में, जिनमें निम्नलिखित बातें सम्मिलित है, आमूल परिवर्तन किये जाने की आवश्यकता है।" (क) खाद्यान्न तथा अन्य खाद्य उत्पादों की बिक्री तथा उनके लाने ले जाने पर लगे क्षेत्रीय तथा स्थानीय प्रतिबन्धों का यथासम्भव शीघ्र हटाया जाना ताकि इन सभी चीजों के लिए समूचे भारत में एक साझा बाजार बन सके;

1	2	3
		(ख) खाद्यान्नों तथा दूसरे खाद्य उत्पादों की अनिवार्य वसूली तथा उन पर लगे करों का हटाया जाना;
		(ग) अगली काश्त के मौसम से बहुत पहले ही निश्चित स्तर तक मूल्य बनाये रखने की एक योजना बनाना जिसके अनुसार सरकार व्यापारियों के साथ-साथ उत्पादकों से ऐसे लाभप्रद मूल्यों पर खाद्यान्न खरीदे जो एक स्वतंत्र सांविधिक निकाय के रूप में काम करने वाले कृषि मूल्य आयोग द्वारा निश्चित किये जायें;
		(घ) निम्न आय वाले वर्गों के लिए राज सहायता प्राप्त खाद्यान्न तथा अत्यावश्यक खाद्य उत्पाद उपलब्ध कराना।"
222.		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :— "परन्तु खेद है कि अभिभाषण में यह नहीं माना गया है कि जब तक साम्यवादी चीन भारतीय क्षेत्र के बड़े भू-भाग पर गैर-कानूनी तथा एक आक्रमणकारी के रूप में कब्जा किये हुए है उस समय तक उससे मैत्री तथा शान्ति स्थापित नहीं हो सकती।"
223.		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :— "परन्तु खेद है कि अभिभाषण में यह नहीं माना गया है कि जम्मू तथा काश्मीर में निर्वाचन निर्बाध अथवा निष्पक्ष नहीं थे और निम्नलिखित उपायों द्वारा वहां स्थिति सुधारने की अविलम्ब आवश्यकता है :— (क) राज्य में तत्काल राष्ट्रपति का शासन स्थापित करना ; (ख) विधान-मण्डल भंग करना ; और (ग) पुनः निर्वाचन का आदेश जारी करना।"
224.		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :— "परन्तु खेद है कि अभिभाषण में राजस्थान में राष्ट्रपति के अकारण शासन को न्यायोचित ठहराने की चेष्टा की गई है और यह नहीं माना गया है कि उस राज्य में तत्काल निम्नलिखित कार्यवाही करके अविलम्ब संवैधानिक लोकतन्त्रात्मक सरकार स्थापित करने की आवश्यकता है :— (क) राष्ट्रपति की उद्घोषणा को विखण्डित करना ; और (ख) राज्यपाल को यह निदेश देना कि वह संयुक्त दल को, जिसका राज्य विधान मण्डल में स्पष्ट बहुमत है, सरकार बनाने का निमंत्रण दे।"

श्री मी० रु० मसानी (राजकोट) : मैं अपने दल की ओर से संशोधन संख्या 220 से 224 का समर्थन करता हूँ। राष्ट्रपति के अभिभाषण के विषय में कुछ कहने से पूर्व मैं सभा का ध्यान देश की आर्थिक स्थिति की ओर दिलाना चाहता हूँ जो वास्तव में बहुत ही गम्भीर है। वित्तमन्त्री के बजट भाषण से भी इसी तथ्य की पुष्टि होती है। वर्ष 1964–65 में 890 लाख टन अनाज का उत्पादन हुआ और 1966–67 में यह घट कर 760 लाख टन रह गया, बिहार में भुख-मरी और सूखे ने वहाँ का चित्र और भी भयावह बना दिया है। परन्तु बिहार के पास उड़ीसा में सूखे के बावजूद भी स्थिति कुछ अच्छी है।

प्रत्येक वित्तमन्त्री सभा में घाटे का बजट न बनाने का वचन देता है परन्तु यह वचन कभी भी पूरा नहीं होता। पिछले कुछ महीनों में अभूतपूर्व मूल्य वृद्धि हुई है। वर्ष 1965–66 में वस्तुओं का थोक मूल्य सूचक देशनाँक सितम्बर में 165 था, अक्तूबर में यह बढ़कर 190, नवम्बर में 193 और अब यह देशनाँक 198 हो गया है। रुपये के अवमूल्यन के फलस्वरूप हमारे निर्यात में कोई वृद्धि नहीं हुई। अवमूल्यन के कारण रुपये का मूल्य और गिरता जा रहा है। ज्यूरिख और जनेवा में 15 फरवरी को डालर का मूल्य रु० 10.45 पै० बताया जा रहा था जबकि उसका सरकारी मूल्य रु० 7.50 पै० है। इसी प्रकार पौंड का मूल्य रु० 29.26 पै० था जबकि सरकारी मूल्य 21 रु० है। यदि यही स्थिति बनी रही तो रुपये का एक बार फिर अवमूल्यन करना पड़ेगा।

नैतिक दृष्टि से देखा जाय तो रिश्वत खोरी और छल कपट हमारे जीवन का अंग बन चुका है।

अंतर्राष्ट्रीय स्थिति यह है कि हम अकेले हैं और हमारा कोई मित्र राष्ट्र नहीं है। हमारी खराब आर्थिक स्थिति ने अन्य देशों के सामने हमारी स्थिति दयनीय बना दी है।

हमारे वित्तमन्त्री ने इस आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रीय और नैतिक अवस्था का कारण प्रकृति का कोप बताया है जो उचित नहीं है। राष्ट्रपति ने 26 जनवरी को राष्ट्र के नाम जो सन्देश प्रसारित किया था उसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया है कि देश की इस अवस्था के उत्तरदायी कौन हैं।

श्री हनुमन्तैया : मैं व्यवस्था के प्रश्न पर कहना चाहता हूँ कि राष्ट्रपति इन सभी विवादों से ऊपर हैं। उन्हें यह स्थिति संविधान के अधीन प्राप्त है। मेरे विचार से राष्ट्रपति के अभिभाषण पर इस प्रकार की चर्चा नहीं होनी चाहिये।

श्री मी० रु० मसानी : मैं राष्ट्रपति पर आक्षेप नहीं कर रहा था अपितु मैं उनके भाषण के एक अंश को उद्धृत कर रहा था। उन्होंने कहा था कि "हम अपने राष्ट्रीय संसाधनों के सम्बन्ध में व्यापक अक्षमता और घोर अव्यवस्था की स्थिति को सहन नहीं कर सकते।" मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण से शब्दशः सहमत हूँ। मतदाताओं ने स्थिति और भी स्पष्ट कर दी है। हमें गर्व है कि एक राज्य को छोड़कर चुनाव निष्पक्ष और स्वतन्त्र रूप से हुए और वह राज्य है जम्म और काश्मीर। चुनाव में कांग्रेस की हार हुई है। परन्तु प्रधान मन्त्री यह बात मानने के लिये तैयार नहीं। वस्तु स्थिति यह है कि जब कांग्रेस का 8 राज्यों में बहुमत समाप्त हो गया तो क्या यह कांग्रेस की हार नहीं ? मुझे विश्वास है कि अब शीघ्र ही कांग्रेस दल की ऐसी हार होगी कि प्रधान मन्त्री को स्वयं हार माननी पड़ेगी।

[डा० द० स० राजू पीठासीन हुए
Dr. D. S. RAJU *in the Chair.*]

हमें प्रसन्नता है कि अब विभिन्न राज्यों में भिन्न-भिन्न दलों का शासन है । हमें आशा है कि उन सब को सफलता मिलेगी और इससे देश की भलाई होगी ।

संसदीय चुनावों में कांग्रेस को लगभग 38 प्रतिशत मत प्राप्त हुए जबकि वर्ष 1962 में इन्हें 45 प्रतिशत मत मिले थे । मेरे विचार में तो कांग्रेस को 200 से अधिक स्थान नहीं मिलने चाहिये थे । इतने स्थान भी कांग्रेस को इसलिये मिल गये हैं कि हम निर्वाचन की उस पद्धति का अनुसरण करते हैं जो हमें अंग्रेजों से विरासित में मिली है ।

इसका दूसरा कारण बहुत बड़ी संख्या में प्रत्याशियों का निर्दलीय रूप में चुनाव लड़ना भी है । फिर भी मतदाताओं ने शान्तिपूर्वक क्रान्ति की ओर कदम बढ़ाया है । यह ठीक है कि चुनाव में कांग्रेस की निस्संदेह हार हुई है, परन्तु विजय किसकी हुई है ? मेरा उत्तर यह है कि किसी की भी नहीं । इसमें मेरे दल का नाम भी सम्मिलित है । हां भारत की जनता की विजय हुई है । हमें प्रसन्नता है कि जनता ने कांग्रेस की मूलभूत नीतियों को अस्वीकार कर दिया है । स्व० जी० एस० बर्वे के अनुसार "कांग्रेस के विरुद्ध जो मत दिये गये उसका कारण कुप्रशासन, भ्रष्टाचार, गलत आर्थिक नीतियों तथा मूल्य वृद्धि के विरुद्ध मत प्रकट करना था ।"

भारत में, कुछ लोगों को छोड़ कर, आम जनता अपने मतदान पर बहुत प्रसन्न है । कांग्रेस की हार का कुछ विदेशी पत्रों में यह अर्थ लगाया जा रहा है कि भारत में जनतन्त्र समाप्त होने जो रहा है । यह एक निराधार बात है । बल्कि तथ्य यह है कि अब देश की स्थिति और सुधरेगी जनता ने अशिक्षित होने के बावजूद बड़ी सूझबूझ तथा परिपक्वता का परिचय दिया है । इस परिवर्तन की बड़ी भारी आवश्यकता थी । कम से कम कांग्रेस दल का सत्ता पर एकाधिकार तो समाप्त हुआ ।

संयुक्त दलों द्वारा सरकार बनाने का अर्थ अस्थिरता नहीं है । कुछ समय बाद संयुक्त दल की सरकार की स्थिरता भी उतनी ही समझी जायगी जितनी एक दलीय सरकार की । दूसरे विश्व युद्ध से लेकर पश्चिम जर्मनी में संयुक्त सरकार चल रही है । पश्चिम जर्मनी के अतिरिक्त आस्ट्रिया तथा स्विटजरलैंड जैसे अन्य कई देश हैं जहां संयुक्त रूप से सरकार बनाई गई है । हम निःसंदेह कह सकते हैं कि भारत में भी ऐसी सरकारें सफलता प्राप्त करेंगी और केन्द्र में भी कुछ समय बाद ऐसी ही सरकार बनेगी । मैने इसी पृष्ठभूमि में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर विचार किया है, परन्तु मुझे अत्यन्त निराशा हुई है । इस अभिभाषण में बहुत सी बातें अस्पष्ट रखी गई हैं और सदा की तरह ध्येय बहुत ऊँचे रखे गये हैं । इसमें देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने के साधनों का कोई संकेत नहीं । हमारा यह विश्वास है कि जब तक सरकार की मूलभूत आर्थिक नीतियों में आमूलचूल परिवर्तन नहीं किया जाता तब तक देश की उन्नति की आशा नहीं की जा सकती । राष्ट्रपति के अभिभाषण में, बचत, नियोजन, कृषि और औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि से सम्बन्धित कुछ ठोस सुझाव दिये जा सकते थे । इसके विपरीत वित्तमन्त्री ने अपने बजट के भाषण में और कर लगाने का संकेत दिया है जिसका हम निश्चित रूप से विरोध करेंगे । श्री अन्नदुराई ने कहा था कि योजना कार्यक्रमों तथा प्राथमिकताओं में आमूलचूल परिवर्तन करके घाटे की अर्थ-व्यवस्था

समाप्त की जा सकती है। इस सम्बन्ध में केन्द्रीय योजनाओं का तथा केन्द्र का योजना के इतर खर्च का भी विश्लेषण किया जाना चाहिये। हम इस विवरण से पूर्णतया सहमत हैं।

राष्ट्रपति के अभिभाषण में खर्च में कमी के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया जो बहुत ही आवश्यक बात है। इसके विपरीत आगामी वर्ष बजट में अनुत्पादक असैनिक खर्च में 10 करोड़ रुपये तक की वृद्धि दिखाई गई है। अभिभाषण में अनुज्ञप्तियों, परमिटों तथा कोटा इत्यादि समाप्त करने का वचन देना चाहिये था और चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के वर्तमान रूप को तो समाप्त कर देने का वचन देना चाहिये था।

कृषि के सम्बन्ध में विभिन्न क्षेत्रों को समाप्त करने, खाद्यान्नों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने और भारत में खाद्यान्नों का कोई सांझा बाजार बनाने का कोई वचन नहीं दिया गया। इसमें सरकार द्वारा अर्ध-न्यायिक कृषि मूल्य आयोग द्वारा निश्चित मूल्यों पर किसानों से अन्न खरीदने का कोई वचन नहीं दिया गया। ये सभी बातें राष्ट्रपति के अभिभाषण में सम्मिलित होनी चाहिये थी।

राजस्थान में राष्ट्रपति का शासन लागू करने और काँग्रेस दल द्वारा प्रधान मन्त्री के चुनाव से यही पता चलता है कि कांग्रेस ने अपनी हार से कुछ नहीं सीखा। यदि कुछ ही समय में आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं हुआ, बढ़ते हुए मूल्य नहीं रुके, खाद्यान्न की कमी दूर नहीं हुई तो कुछ कहा नहीं जा सकता कि इस स्थिति का अन्त कहाँ होगा ? इस सरकार में काँग्रेस के सभी गुट हैं और यदि यह सरकार असफल हुई तो फिर इस सरकार में परिवर्तन होना निश्चित है।

इस अवधि में विरोधी दलों को भी परिश्रम से काम करना है। हम देश में अराजकता की स्थिति नहीं आने देंगे जिसका बड़ा भारी खतरा है। मेरा दल इस बारे में सतर्क रहेगा। यदि वर्तमान सरकार देश के लिये कोई भलाई का काम करती है तो हम इसे अपना पूरा समर्थन देंगे, यदि यह ऐसा नहीं करती है तो हम इसकी निन्दा करेंगे। हमारा दल संविधान के लिये वफ़ादार दल है। हमारी समस्त राजनीतिक पद्धति अर्थात प्रजातन्त्र आज कसौटी पर है। यदि हम में से कोई दल असफल होता है तो हमारी वही स्थिति हो सकती है जो पाकिस्तान, इण्डोनेशिया, और घना की हुई है, मैं सारी सभा को सतर्क रहने की अपील करता हूँ। हमें एक दूसरे की बात समझनी चाहिये। हमारा काम दूसरे दलों की आलोचना करना ही नहीं बल्कि उन्हें अपने विचारों के अनुसार ढालना है। लोकमान्य तिलक का भी मत यह था कि राजनीतिज्ञों का कर्त्तव्य विभिन्न प्रकार के मतों को समाप्त करना नहीं है बल्कि विभिन्न विचारधारा वाले व्यक्तियों का एक उद्देश्य की पूर्ति के लिये सहयोग प्राप्त करना है।

हम सब का उद्देश्य एक है। परन्तु उन उद्देश्यों के लिये जिन तरीकों को अपनाया जा रहा है, उनसे हमारा मतभेद है। इन मतभेदों को दूर करने के लिये हम सभा के अन्दर या बाहर किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं करना चाहते। कांग्रेस दल में आज जो कमी आ गई है उसे ऐसे व्यक्तियों द्वारा पूरा किया जा सकता है जो रचनात्मक ढंग से और शान्तिपूर्वक देश की सेवा करने के लिये तत्पर हो। जब शान्तिपूर्वक उपायों से शासन में पर्याप्त परिवर्तन लाया जा सकता है तो गड़बड़ी क्यों की जाय। इस समय देश की स्थिति ठीक नहीं और इसे ठीक करने के लिये अच्छे प्रशासन की आवश्यकता है। केवल वचनों की आवश्यकता नहीं काम करने की आवश्यकता है। क्या मैं प्रधान मन्त्री से यह कह सकता हूँ कि हमें कानून कम बनाने चाहिये। पिछले सत्र में 269 विधेयक पारित हुए।

उनमें से कितने विधेयकों पर ठीक ढंग से कार्यवाही की गई ? उनमें से बहुत से बेकार हो गये हैं । मुझे उस दिन बहुत प्रसन्नता हुई जब उच्चतम न्यायालय ने 17वां संशोधन रद्द कर दिया । इस संशोधन को पास कराने के लिये सरकार ने विशेष अधिवेशन बुलाया और लाखों रुपयों का खर्च किया था ।

दूसरे इस नई सरकार के संक्रमण काल में हमें एक वैकल्पिक सरकार का आधार भी तैयार करना है । क्योंकि वर्तमान सरकार एक कार्यवाहक सरकार है जिसका प्रमाण हमने पांडीचेरी तथा हरियाणा में देख लिया है ।

हमारा दल प्रजातन्त्र, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता तथा राष्ट्रवाद की सुरक्षा के लिये है । हम ऐसी विचारधारा वाले सभी दलों के साथ मिलकर काम करने के लिये तैयार हैं । देश में एकाधिकार समाप्त करने की आवश्यकता है । लंका में भी मार्च 1965 में यही बात हुई जब उन्होंने मार्कसवादियों का कुशासन समाप्त कर वर्तमान सरकार को बनाया । परन्तु ऐसा करते हुए हमें इस बात के लिये सतर्क भी रहना चाहिये कि कहीं हम प्रजातन्त्र से वंचित न हो जायँ ।

श्री मानवेन्द्र शाह (टिहरी गढ़वाल) : राष्ट्रपति के अभिभाषण में हमारी कुछ कमियों पर पर्याप्त प्रकाश डाला गया है । परन्तु विरोधी दल तथा समाचार पत्रों से यह सुन कर मुझे दुःख हुआ है कि यह कमियां बहुत पुरानी हैं । राष्ट्रपति के अभिभाषण में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि वर्ष 1970 तक खाद्यान्न के लिये आयात पर निर्भरता समाप्त कर दी जायगी । मुझे इस बात का दुःख है कि हमारे देश में भुख-मरी की स्थिति का नाजायज़ लाभ उठाकर अमरीका जैसे महान राष्ट्र ने अश्लील नाटकों के द्वारा हमारे देश के नेताओं का अपमान किया है । खाद्यान्नों की सहायता कर हम पर दबाव डालना उचित नहीं है । यह तो हीनता है । जानसन प्रशासन का संतुलन बिगड़ गया मालूम होता है । हमें खाद्य समस्या के समाधान के लिये भरसक प्रयत्न करने चाहिये । इस समस्या का समाधान युद्ध स्तर पर किया जाना चाहिये । हमें उत्पादन बढ़ाना चाहिये, वर्तमान भण्डारों का ठीक ढंग से प्रयोग करना चाहिये, कृषि उत्पादन के मूल्यों को यथार्थ रूप से निश्चित करना चाहिये । खाद्य विभाग में सेना की तरह का अनुशासन होना चाहिये ताकि खाद्यान्नों की वसूली आदि का काम ठीक ढंग से हो सके । हमें केवल मेज़ों पर काम न करके ग्रामों के साथ सम्पर्क स्थापित करना चाहिये । हमें प्राथमिकताओं तथा उनको प्राप्त करने के लिये समय-सीमाओं को निर्धारित करना चाहिये । पिछले वर्ष कृषि मूल्य आयोग की स्थापना की गई थी परन्तु उसके गठन में बहुत देरी कर दी गई । यह बहुत ही अनुचित बात है । इसी तरह राष्ट्रीय खाद्य बजट का एक सुझाव रखा गया था परन्तु अब उसका पता ही नहीं । खाद्य स्थिति इतनी गम्भीर है यदि आज हम खाद्य समस्या का समाधान करने के लिये मिलजुल कर काम नहीं कर सकते तो इसका उत्तरदायित्व किसी दल विशेष पर न होकर इस सारी सभा पर होगा अथवा सारे प्रजातन्त्र पर होगा । हमें अपनी मूलभूत समस्याओं पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिये । खाद्य समस्या को हल करने के लिये हमें प्रशासन के साथ ऋतु विशेषज्ञों, कृषि विशेषज्ञों, सांख्यिकीविदों तथा समझदार किसानों का भी सहयोग प्राप्त करना चाहिये ।

केन्द्रीय खाद्य मंत्रालय को राज्य सरकारों के साथ, एक बार रबी या खरीफ़ फ़सल से पहले और एक बार इन फ़सलों के बाद, परामर्श करना चाहिये ताकि हमें सही स्थिति की जानकारी रहे और उसी आधार पर भविष्य के लिये नीति निर्धारित की जा सके । इसके साथ ही खाद्य बजट का होना भी आवश्यक है ताकि हम खाद्य उत्पादन की उन्नति पर ध्यान रख सकें । विशेषज्ञ आयोगों

तथा निकायों को अपने प्रतिवेदन शीघ्र से शीघ्र प्रस्तुत करने चाहिये। इन्हीं उपायों से हम खाद्य समस्या का समाधान कर सकते हैं ।

मूल्य-वृद्धि को रोकने के लिये खाद्य-फ़सलों तथा नकदी फ़सलों के मूल्यों में संतुलन स्थापित करना आवश्यक है । मूल्यों में स्थिरता लाने की बातें तो बहुत कही गई हैं परन्तु उन्हें क्रियात्मक रूप नहीं दिया गया ।

परिवार नियोजन के विषय में भाषण तो बहुत किये जाते हैं और दवाइयां भी खूब दी जाती हैं परन्तु इसके साथ हमें एक बात का और ध्यान रखना है कि राजनीतिक कारणों से अल्प-संख्यक परिवार नियोजन के विरुद्ध प्रचार कर रहे हैं। परिवार नियोजन के लिये मेरा सुझाव यह है कि छोटे परिवारों को तो कुछ रियायतें दी जानी चाहिये और बड़े परिवारों पर कुछ ऐसे कर लगाये जाने चाहिये जो बड़े परिवार बनाने में बाधक सिद्ध हों ।

साधारण जनता को परिवार नियोजन के विषय में पर्याप्त जानकारी दी जानी चाहिये और जो लोग परिवार नियोजन के विरुद्ध प्रचार कर रहे हैं उनके विरुद्ध कार्यवाही की जानी चाहिये ।

योजना आयोग के सिद्धान्त कम से कम पहाड़ी क्षेत्रों में बिल्कुल अयथार्थवादी रहे हैं । योजना आयोग के पुनर्गठन के समय इस तथ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिये । हमें इस बात की भी पर्याप्त सावधानी बरतनी चाहिये कि पिछले 18 वर्षों का काम बिल्कुल चौपट न हो जाय । यह ठीक है कि योजना आयोग के काम में सैद्धान्तिक पक्ष तथा व्यावहारिक पक्ष दोनों का समन्वय होना चाहिये । योजना निर्माताओं और योजना को क्रयान्वित करने वालों में परस्पर सहयोग होना चाहिये ताकि किसी असफलता के कारण कोई भी एक दूसरे पर आरोप न लगा सके ।

Shri Balraj Madhok (South Delhi) : During the general elections, the people of this country have displayed a good sense of political maturity which denotes the deep roots of democracy in India. The Government. has however done a great injustice to the people of Jammu and Kashmir. The Election Commissioner agreed with my views that election should not he held in Jammu and Kashmir in the month of February as there will heavy snowfall in large part of the areas of that State. Later on the Election Commission announced those very dates for the elections in that state under the pressure of State Government with the result that on some polling booths not even five per cent of voters could come to caste their votes.

At the time of filing the nomination papers, a large number of nomination papers were rejected and this fact was brought to the notice of all concerned. The reason for rejections of nomination papers has been stated to be that the persons who have filed the nomination papers had not taken oath of allegiance to Indian Constitution. If a person like Sham Lal Saraf, who has been member of Congress Parliamentary Executive Party, was not prepared to take oath of allegiance to the Indian Constitution, who could else do so. The Jammu and Kashmir Government has committed treason against this country. Not only that, these ballot boxes were also tampered with. I am prepared to place all these facts on the table of the House

Shri Shashi Bhushan Bajpai (Khargone) : The Hon'ble member should have not charged the Kashmir Govt. in this manner as Kashmir is a delicate issue. The correct action was to file an election petition and place all these facts there.

Shri Balraj Madhok : This is not a policy question, here is the question of democracy. You can see these two ballot papers with the same Serial No. these ballot papers were being

placed in the ballot boxes at night. This is nothing but a blot on fair name of the elections in this country. In order to wash away this blot, fresh elections should he held in Jammu and Kashmir and defaulters should be brought to book. The Election Commissioner has not performed its duty well in that State. Kashmir is an integral part of India. I am sorry to point out that Congress party has taken Kashmir issue as their personal one. As this issue is becoming more complicated day by day we should discuss this matter and try to find out some solution so that certain misunderstandings could be removed. In 1953 Dr. Shyama Prasad Mukherjee also wrote a similar letter to Pandit Nehru but in vain. Had the elections been fair, there would have been a good democratic opposition this time in the State Assembly of Jammu & Kashmir and the atmosphere in the state as a whole would have been much better. Even now it is not considered to be too late to correct this mistake.

It has been said that the will be self-sufficient in food by 1971 which is not practicable unless there is radical change in the policies of the government. Pandit Nehru had said that the country would not import foodgrains after first Five Year Plan but as the policies followed were incorrect, it could not be materialised.

There are three economic problems. Backwardness in farming, which is our basic industry, is problem No. One. The reason of unemployment is that we are following America and Russia blindly. Their population is less whereas land is more and their economy is capital oriented. Whereas we are asking for financial help from foreign countries.

Again unless there is radical change in the policies, the price rise cannot be resisted. So long we cannot stabilise the prices of food grains, the price rise in other communities cannot be resisted. Another factor of price-rise is that money is being floated in the market like any thing but the production has not been increased with the same proportion. Due to the wrong policies followed by the government there is inflation in the market. This inflation and wasteful expenditure is to be checked and production has to be increased. There should be a balance between goods available and money available.

The fixed income group is worst affected. The government servants are living from hand to mouth. They are experiencing great shortage of accommodation. In my opinion a housing corporation should be established who should construct the houses costing Rs. 5000 to 7000 and they should be allotted to Govt. servants on hire purchase system.

Our Govt. claims to believe in socialistic pattern of society but in fact it continues to be imperialistic. We are not concerned with issues but we are concerned with the problems of this country. Unless we adopt realistic and national policies we cannot solve our problems.

At the time of reorganisation of Planning Commission, a few expert should be appointed who should decide about priorities. They should indicate the cost of the project and the time by which the same will he ready. There should he seperate Departments in the State or Centre who should be held responsible for the implementation of the projects.

Delhi is capital of India but it is lying in a desperate condition because of the attitude of certain capitalists. We would like to develop Delhi so as to make it a model for the whole of country. But it can be done only when the Central Govt. gives us full co-operation.

I am not prepared to concede that our foreign policy has stood the test. It is because of this foreign policy that our country has been attacked four times. We could secure only 85 votes at the time of our being elected as member of Security Council. On the basis of slogans we cannot run any policy. To day U.S.A. and Russia are coming together and the present blocs are melting away. We should also change our foreign policy and that should be in conformity with our national interests. We should establish our relations with foreign countries, irrespective of blocks, on reciprocal basis. We should not sign on Non-Profileration Treaty. We should equip our army with latest armaments possessed by our enemy.

We want to follow the policy of appeasement in case of Naga and Mizo rebels which would never help us in solving the problems. Reorganisation of those areas should include Nefa, Naga Land, Tripura, Manipur and Assam. During reorganisation defence of the territory should be given top priority.

The country should be kept above than party politics. We should formulate our policies on the basis of national interests and only then one would be able to solve the problems of the people.

श्री राम कृष्ण सिन्हा (फैजाबाद) : काश्मीर के सम्बन्ध में भारतीय जन संघ के नेताओं की अशुभ शंका है। वे सदा वहां राष्ट्रपति शासन लागू करने के पक्ष में रहे हैं। वे चाहते हैं कि उनकी यही बातें पाकिस्तान रेडियो प्रचारित करे। जब बख्शी गुलाम मुहम्मद 50,000 मतों से जीत सकते हैं तो यह बात कैसे मानी जा सकती है कि वहां लोकतंत्रीय चुनाव नहीं हुए। हमारे मन में भी देश के प्रति उतना ही प्रेम है जितना उनके मन में है।

[**श्री के० मनोहरन पीठासीन हुए**
SHRI K. MANOHARAN *in the Chair*]

आप एकता और लोकतंत्र में विश्वास का दावा करते हैं, परन्तु हिंसात्मक विद्रोह को प्रश्रय देते हैं। देश में 14 राज्यों में गो-हत्या पर निशेध लागू है परन्तु फिर भी आपके दल ने उत्तर-प्रदेश और बिहार में कृत्रिम आन्दोलन चलाया है। हमारे मित्र श्री मसानी भी लोक-तंत्र की दुहाई देते हैं। पहले तो उनके आन्दोलन न्यायसंगत माने जा सकते थे परन्तु अब नहीं। अब तो वे भी मद्रास और बिहार में सत्ताधारी दल के भागीदार हैं। उन्हें परम्पराओं का ज्ञान होना चाहिए। जिन देशों में सैनिक अधिनायकतंत्र की स्थापना हुई है वहां किसी न किसी रूप से पुनः उपनिवेषवाद की स्थापना हो रही है। केवल भारत में ही लोकतंत्र जीवित रह सका है। श्री मधोक ने कहा कि 1971 में कांग्रेस शासन नहीं रहेगा। उन्हें पता होना चाहिए कि जिन राज्यों में विरोधी दल को अधिक मत मिले हैं वहां से संसद के चुनाव में कांग्रेस दल को अधिक मत मिले हैं। जब हमारी सरकार कोई सही कार्यवाही करती है तो हमें सरकार का समर्थन करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति तोड़फोड़ की बातें करता है तो हम उसे सहन करेंगे। हमारे देश को श्रीमती इन्दिरा गान्धी के नेतृत्व में कोई खतरा नहीं।

श्री वी० कृष्णमूर्ति (कडलूर) राष्ट्रपति के अभिभाषण से मुझे बड़ी भारी निराशा हुई है। इसमें मूल्यों में वृद्धि को रोकने का विशेष सुझाव नहीं दिया। अहिन्दी भाषी जनता के हित का ध्यान रखते हुए विधान में संशोधन का कोई आश्वासन नहीं दिया गया। राज्यों को अधिक शक्तियां देने या राज्यों की नयी सरकारों के बारे में अभिभाषण में कुछ नहीं कहा गया।

मद्रास में कांग्रेस की हार का सबसे बड़ा कारण यह था कि उन्होंने वहां की जनता को धोका दिया है। वहां कांग्रेस के अध्यक्ष, मुख्यमंत्री तथा अन्य नेताओं की हार इसलिए हुई क्योंकि कांग्रेस ने अपने दिए हुए वचनों को नहीं निभाया। कांग्रेस की हार का दूसरा कारण मूल्य वृद्धि है। हमें आशा है कि प्रधानमंत्री अपने पूज्य पिता द्वारा इस सभा में दिए गए वचनों को पूरा करेंगी।

राष्ट्रपति के अभिभाषण में संघ की सरकारी भाषा के विषय में कानून बनाने के जो आश्वासन दिए गए हैं उन्हें संसद में पुरःस्थापित किया जायगा। यदि इसका अर्थ यह हो कि कानून में मामूली हेरफेर कर दिया जायगा तो हम उसका विरोध करेंगे। हम तो चाहते हैं कि

पूर्ववत स्थिति को कायम किया जाय। हम वैसे ही इस देश के निवासी हैं जैसे अन्य राज्यों में हैं। हम दया की भीख नहीं मांगते। हम केवल हिन्दी को ही सरकारी भाषा क्यों मानें ? जब तक संविधान में उल्लिखित 14 भाषाओं का पूर्णरूप से विकास नहीं हो जाता तब तक अंग्रेजी ही राष्ट्रभाषा रहनी चाहिए।

हाल के चुनावों के बाद देश में एक नई स्थिति उत्पन्न हो गई है। अब अनेक राज्यों में गैर-कांग्रेसी सरकारें बन गई हैं। सरकार को संविधान में आवश्यक संशोधन करके राज्यों को और अधिकार देने चाहिये। कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि वह कीमतों को कम करने के लिये कोशिश करेंगी। मैं समझ नहीं सका कि पिछले 20 वर्षों में यह ऐसा करने में असफल रहे हैं तो अब यह यह कार्य कैसे कर सकेंगे ? हमारे दल की सरकार वहां कीमतों में कमी करने में कुछ सफलता प्राप्त की है।

गैर कांग्रेसी सरकारें जहां भी बनी हैं वहां कीमतों में कमी हुई है परन्तु जहां भी कांग्रेसी सरकार बनी है वहां कीमतों में वृद्धि हुई है। इससे यही सिद्ध होता है कि कांग्रेस मुनाफाखोरी को प्रोत्साहन देती है। हमारे देश में बड़ी संख्या में जाली नोट छापे जा रहे हैं। कीमतों में वृद्धि का यह भी एक कारण है।

यहां कहा गया है कि हमें कृषि उत्पादन बढ़ाना चाहिये। परन्तु हमारे क्षेत्र में गन्ना उत्पन्न करने वालों को पिछले कई वर्षों से उनके उत्पाद का मूल्य नहीं चुकाया गया है। सरकार अनेक समितियां नियुक्त करती हैं परन्तु कार्य कुछ नहीं करतीं। 1958 में सप्लाई किये गये गन्ने के दामों के बारे में अभी तक निर्णय नहीं हो पाया है। इस प्रकार किसानों को अपने कार्य में रुचि नहीं रहती। गन्ने के जो दाम निर्धारित किये गये थे मिल मालिकों ने उसके अनुसार किसानों को भुगतान नहीं किया है। क्या इसमें सरकार के चीनी निदेशालय के बड़े-बड़े अधिकारियों का हाथ है ? क्या सरकार को गन्ना उत्पादकों के हितों की रक्षा नहीं करनी चाहिये। इस प्रकार के कर्तव्य में सरकार असफल रही है। इसीलिये राजा जी ने केन्द्र में सभी दलों की राष्ट्रीय सरकार बनाये जाने का सुझाव दिया है। भाषा के प्रश्न पर मैं चाहता हूं कि संविधान का संशोधन होना चाहिये और भूतपूर्व प्रधानमंत्री के आश्वासनों को पूरा किया जाना चाहिये।

श्री एच० डी० तुलसीराम (मैसूर) : मैं इस सभा में एक नया सदस्य हूँ। भाषा के प्रश्न पर हमें किसी प्रकार की जबर्दस्ती नहीं करनी चाहिये। हमें दक्षिण वालों को साथ लेकर चलना होगा।

कांग्रेस पार्टी एक अनुशासनशील पार्टी है। यह जानती है कि इसे किस प्रकार सुधार करना है। राष्ट्रपति ने जैसे अपने अभिभाषण में कहा है हमारे देश के लोगों ने अपनी परिपक्वता का परिचय दिया है। लोगों ने केन्द्र में केन्द्र को फिर से सत्ता दी है। इस से यही सिद्ध होता है कि देश की जनता को कांग्रेस में विश्वास है। गैर कांग्रेसी लोगों को भी कुछ राज्यों में सरकार बनाने का अवसर मिला है। अब पता चलेगा कि ये लोग किस प्रकार का प्रशासन प्रस्तुत करते हैं।

श्री मसानी ने कहा है कि देश की जनता ने कांग्रेस के प्रति अपने अविश्वास को व्यक्त किया है। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। अब डी० एम० के० मद्रास में जीता है। परन्तु डी० एम० के० तथा स्वतन्त्र पार्टी की नीतियों में बहुत अन्तर है। इसका अर्थ यह नहीं कि लोगों ने स्वतन्त्र पार्टी को पसन्द किया है। लोग तो अब प्रगति चाहते हैं। लोग समाजवाद को पनपते

देखना चाहते हैं। राष्ट्रपति ने नई पीढ़ी के लोगों की आशाओं की पूर्ति अधिक अवसर उपलब्ध किये जाने की बात कही है। कांग्रेस सरकार ने इस सम्बन्ध पर्याप्त कार्य किया है। इस बारे में अधिक कार्य की आवश्यकता है।

राजस्थान के बारे में प्रतिपक्ष वालों ने कहा है कि वहां राष्ट्रपति का शासन लागू किया जाना एक असंवैधानिक काम है। इस काम में कांग्रेस पार्टी को किसी प्रकार की प्रसन्नता नहीं हुई है। राजस्थान में जैसे ही स्थिति सुधार हुआ और वातावरण ठीक हुआ वहां पर जिम्मेदार सरकार की स्थापना कर दी जायेगी। कांग्रेस पार्टी ने अनेक राज्यों में गैर-कांग्रेसी सरकारें बनने में अड़चन नहीं डाली तो वह राजस्थान में ऐसा क्यों करेगी।

हमारा देश इस समय बड़े नाजुक दौर में से गुज़र रहा है। आजकल बड़ी कठिनाई के दिन हैं। सभी दलों को सहयोग की भावना से करना है और देश की समस्याओं को हल करना है। हमें दलगत राजनीति से ऊपर उठना है।

श्री हो० ना० मुकर्जी (कलकत्ता उत्तर-पूर्व); राष्ट्रपति का अभिभाषण सरकार की नीति को चित्रित करता है और आगामी कार्यक्रम के बारे में ब्यौरा प्रस्तुत करता है। इस अभिभाषण में राष्ट्रपति के सलाहकारों की अकुशलता का पता चलता है। इसमें देश की वास्तविक स्थिति के बारे कोई उल्लेख नहीं हैं। हमारे देश में जो परिवर्तन हुआ है उसके सम्बन्ध में भी कुछ पता इससे नहीं चलता।

कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्यों ने नये वातावरण को ठीक प्रकार से समझा नहीं है। अभी एक सज्जन कह रहे थे कि बिहार तथा उत्तर प्रदेश की कठिनाई बनावटी है।

राजस्थान की स्थिति के बारे में राष्ट्रपति ने चिन्ता व्यक्त की है। इस विषय पर मैं अधिक नहीं कहना चाहता। हम सब संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेते हैं परन्तु व्यवहारिक रूप में हम कई असंवैधानिक कार्य करते हैं। यह बड़े खेद की बात है। सरकार को इस पर शर्म आनी चाहिये। राष्ट्रपति को राजस्थान में अपने शासन सम्बन्धी उद्घोषणा समाप्त करने की घोषणा करनी चाहिये थी। कांग्रेस अब समाप्त होती जा रही है। हरियाणा ने इसका एक और उदाहरण प्रस्तुत किया है। लोग आज देश के भविष्य के बारे में सोचने लगे हैं। राष्ट्रपति को इस सम्बन्ध में कुछ संकेत देना चाहिये था। हाल के चुनावों ने हमारे देश की जनता की परिपक्वता का परिचय दिया है। परन्तु खेद की बात है कि देश के लोगों के प्रति कांग्रेस पार्टी का रवैया बहुत निराशाजनक है। हम चाहते थे कि हमें बताया जाता कि संकट कालीन स्थिति समाप्त की जा रही है। बिहार तथा उत्तर प्रदेश में स्थिति बहुत शोचनीय है। लोग भूख से मर रहे हैं। सरकार ने इस स्थिति में सुधार करने के लिये क्या कदम उठाये हैं। समाचार पत्रों में बिहार के बारे में बहुत खतरनाक समाचार आ रहे हैं। वास्तव में समूचे देश में आज लोगों की कठिनाईयां बढ़ गई हैं। देश में एकाधिकारों को समाप्त करने के लिये सरकार कोई कदम नहीं उठा रही। इसके बारे में एक आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी थी। कुछ गिने चुने लोग देश में एकाधिकार स्थापित किये हुए हैं। बैंकों तथा आयात निर्यात व्यापार के राष्ट्रीयकरण के बारे में राष्ट्रपति के अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है।

हमारे देश के समक्ष बेकारी की समस्या बहुत बड़ी समस्या है। सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र के उद्यागों में छंटनी पर प्रतिबन्ध लगना चाहिये। बड़े-बड़े उद्योगों तथा गैर-सरकारी समवायों में यन्त्रीकरण पर भी रोक लगनी चाहिये।

प्रधान मन्त्री ने गैर-सरकारी मुख्य मंत्रियों को सहयोग का बचन दिया है। यह एक अच्छी बात है। मैं जानना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों के सम्बन्धों में क्या क्या परिवर्तन किये जायेंगे। केरल राज्य में खाद्य स्थिति बहुत नाजुक है। पश्चिमी बंगाल की खाद्य सम्बन्धी मुश्किलें भी खड़ी हो रही हैं। कलकत्ता महानगर की समस्याओं के बारे में प्रधानमंत्री को अवगत कर दिया गया है और उन्होंने सहायता का वायदा किया है। सरकार को कलकत्ता नगर की समस्याओं को शीघ्र हल करना चाहिये।

मद्रास में डी० एम० के० को जनता ने चुनकर भेजा है। मद्रास के लोगों ने भाषा के प्रश्न को बहुत महत्व दिया है। केन्द्रीय सरकार को इस तथ्य को ध्यान में रखना होगा और उसके बाद निर्णय करना होगा।

उर्दू भाषा के बारे में कुछ क्षेत्रों के लोगों की मांगों पर भी ध्यान देना होगा।

सरकार ने वर्ष 1971 तक खाद्यानों के बारे में आत्म निर्भरता प्राप्त करने की बात की है। हम देखेंगे कि क्या सरकार इस बारे में पूरी उतरती है या नहीं। रुपये के अवमूल्यन से हमारे देश की अर्थ व्यवस्था पर बहुत प्रभाव पड़ा है। इस बारे में यदि शीघ्र ही उचित कदम न उठाये गये तो अर्थ व्यवस्था और भी खराब हो जायेगी। इस बुरी हालत के लिये सरकार ही जिम्मेदार है। हमें दक्षिणी वियतनाम के साथ व्यापार न करके उत्तर वियतनाम के साथ व्यापार बढ़ाना चाहिये। वियतनाम में की जा रही बमबारी के बारे में हमें अमरीका से विरोध प्रकट करना चाहिये।

सी० आई० ए० की गतिविधियों पर पाबन्दी लगनी चाहिये। स्वेतलाना यहां पर एक अतिथि थीं। न तो कहूगा कि अमरीकी दूतावास उसे यहां से ले जाने के लिये जिम्मेदार है। इसके लिये सरकार की ओर से कुछ न करना खेद की बात है।

यद्यपि ताशकन्द घोषणा पर अमल करने में पाकिस्तान ने सहयोग नहीं दिया फिर भी हमें अपनी ओर पूरी कोशिश करनी चाहिये। चीन के बारे में हमें फिर से सोचना चाहिये और किसी सम्मान जनक समझौते पर पहुंचने की कोशिश करनी चाहिये। हमें रूमानिया जैसे देशों से इस बारे में सम्पर्क स्थापित करना चाहिये। बर्मा के साथ हमारे सम्बन्ध बहुत मैत्रीपूर्ण हैं। यह अच्छी बात है।

Shrimati Tarkeshwari Sinha (Barh) : I do not believe that the law regarding election is faulty. Shri Masani has tried to prove that opposition parties have got more votes than the Congress Party in recent elections.

We have been contesting elections for the last 15 years. We polled more votes on certain occasions while we polled less votes on other occasions, but it cannot be implied that the votes polled by the oppositions were polled merely because of opposition. A major portion of the votes were polled on personal grounds. One of the factors of the votes polled by a candidate is the number of candidates. The argument that the opposition polled more votes than the Congress is wrong.

Shri Masani, Shri Hiren Mukherji and Members belonging to D.M.K. have referred to the language problem. They should not have the impression that Hindi speaking people want to impose Hindi on them. We do not favour Hindi imperialism. We oppose the continuance of English which is a foreign language.

[श्री प्र० के० देव पीठासीन हुए
SHRI P. K. DEO *in the Chair.*]

95 percent of our people do not know English. Hindi and other regional languages should replace English. Hindi knowing people would like to learn southern languages. We are not opposed to them.

It is wrong to think that the economic problems of a country with a population of 50 crores can be solved easily. A period of 20 years is too small in the economic life of such a vast country. Some time is needed to solve these problems. There is a conflict between poverty on the one hand and rising demands of the people on the other. We will have to wait for some time to solve our problems.

Effective steps to provide irrigation facilities to the entire land under cultivtion should be taken by the Government. Seeds and fertilizers should be utilised properly. Fertilizer in the shape of mud in rural areas should be fully utilized. At present it is going waste.

In the changed circumstances it is desirable to reorganise the Planning Commission. Planning Commission and Finance Commission should be merged. The Planning Commission should be reconstituted in consultation with Non-Congress Governments. Different State governments have asked for subsidy from the Centre. The Central budget has already shown a deficit of Rs. 350 crores. I, therefore, suggest that the Minister of Finance should also consult he non-Congress State Governments in the matter of financial discipline.

श्री मुहम्मद सैयद पदनाथ (लक्कादीव, मिनिकाय और अमीनदीवी द्वीप-समूह) : लक्कादीव से नाम-निर्देशन की बजाय चुनाव कराने के लिए मैं सरकार को बधाई देता हूँ । अब इस सभा में वहाँ का वास्तविक प्रतिनिधि है । उन द्वीपों की जनता ने चुनाव में राजनैतिक सूझ-बूझ का उचित परिचय दिया है । वहां अवैध मतपत्रों की संख्या सब से कम रही है । देश के किसी चुनाव क्षेत्र ने इतनी प्रगति नहीं दिखाई है जितने कि इस चुनाव क्षत्र ने ।

लक्कादीव के लोग शेष भारत जैसे स्वतन्त्र, सभ्य उन्नत नहीं हैं । अब वहां कुछ प्रगति होने लगी है । स्वास्थ्य की दशा में सुधार हुआ है ।

इस सभा के माननीय सदस्य यह नहीं जानते होंगे कि यद्यपि मैं यहां संविधान के अन्तर्गत चुनकर आया हूँ परन्तु लक्कादीव द्वीप समूह का प्रशासन 1912 के विनियम के अन्तर्गत किया जा रहा है । उस विनियम की कुछ धारायें हमारे संविधान के कुछ खण्डों के प्रतिकूल हैं । वह देश का एकमात्र क्षेत्र है जहाँ पंचायती राज लागू नहीं हुआ है । वहां का जनता को भी पंचायती राज की संस्था से लाभ प्राप्त होना चाहिये ।

अन्त में मैं वित्तीय सहायता के लिये भारत सरकार का लक्कादीव द्वीप समूह की जनता की ओर से धन्यवाद करता हूँ ।

Shri Ram Sewak Yadav (Barabanki) : The irregularities during the general elections have not been referred to in the Presidential address. General elections have not been free and fair. A number of poor people have not been included in the list of voters. It may be argued that they should themselves try to get their name, included in the list but as a matter of fact they have lost interest in the present capitalistic politics. They are not politically conscious. It is the responsiblity of Election Commission to ensure the inclusion of the names of such persons in the lists of voters.

The ruling party has a big facilitiy in the shape of money for winning the elections. Money has played a great part and the Congress has come to power due to the use o a large amount of money in the elections. If the election had been fought according to rulesf

and only the permissible amount had been spent the picture would have been different from what it is now. A commission should be set up to go into the question of money spent in elections.

Forgery was also adopted as a means of winning the elections. Posters appealing for voting against the Brahmins were distributed in that very community in Kanauj Constituency. The names of printers and publishers does not appear on such posters. It was designed to mar the chances of election of Shri Ram Manohar Lohia. The Congress raised communal feelings in order to catch votes. It is strange that although our constitution provides universal civil code, the Prime Minister has assured the Muslims that their personal law will not be interferred with.

No progress has been made during the last twenty years. The corresponding increase in population has nullified, whatever little progress was achieved. Whlile framing the policies, the government should have taken into account the expected rise in population.

Economic disparities are very wide. Major portion of national income goes to a small number of people. Poor people are suffering more and more. Socialism cannot be usherred in under such a situation. Revolutionary steps are needed to improve the situation.

Shri Manibhai J. Patel (Damoh) : Practically all the nations patronise their own language. Wherever I went in the world, I found that the work in Parliament is carried on in the language of that country, but it is a matter of great regret that many Members of this House speak in English. It is also regrettable that we take pride in the use of English.

The country has made much progress during last twenty years. Lokmanya Tilak and Mahatma Gandhi worked for the freedom of the country. The country is much indebted to the Congress party. That party achieved the freedom of the country through peaceful means. Pandit Jawaharlal Nehru has laid the foundations of democracy in the country.

The Canals should be dug up expeditiously. There should be a net work of canals throughout the country in order to provide irrigation facilities to the agriculturists. We can tackle our problems only in that case. All sections of the people should co-operate with the Government in order to solve the problem.

There has been great progress in the field of education during 20 years of Congress rule. The number of educational institutions has increased manyfold. There is provision for free education.

The three Five-Year Plans have taken the country on the path of progress and prosperity. The Fourth Five Year Plan will take the country further on that path. I, therefore, fully agree with the points made in the address of the President.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya (Ujjain) : Shri Manilbhai Patel accused certain Members of spending Rupees one lakh in the election. He himself spent three lakh rupees and he is exploiting beedi workers of Madhya Pradesh.

The country is facing the problem of rising prices. The Government has not been able to check the rising prices. Fall in production and deficit budgets are responsible for such a state of affairs. The country is also confronted with grave problem of unemployment. But the Government has failed to solve this problem. Radical steps should be taken to solve it.

The Government have attributed the failure in the field of agriculture to failure of rains. They could have made alternative arrangements for irrigation. They have resorted to State trading in foodgrains. As a result, the cultivators are not getting due price for their produce.

As for instance, the cultivators were given Rs. 140 or 145 per quintel for cotton whereas the prevailing market price was Rs. 175 per quintel. Cultivators should be given proper prices for their produce.

सभा का कार्य
BUSINESS OF THE HOUSE

संसद-कार्य तथा संचार मत्रालय में राज्य मंत्री (श्री इं० कु० गुजराल) : सामान्य आयव्यपक, रेलवे आयव्ययक तथा अन्य सभी सम्बन्धित वित्तीय मामलों को 24 मार्च से पहले अन्तिम रूप देना और उस तिथि तक राज्य सभा में भेजना है। इसलिये उन पर चर्चा 23, 27 और 28 मार्च को होगी और राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा 29,30 और 31 मार्च को जारी रहेगी।

इसके पश्चात् लोक-सभा गुरूवार, 23 मार्च, 1967/2 चैत्र, 1889 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Thursday, the 23rd March, 1967/ Chaitra 2, 1889 (Saka).

Tirthraj Prese, Allahabad,